

इसे वेबसाईट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजापत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 जुलाई 2017—श्रावण 6, शक 1939

### विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में प्रस्तावित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

#### सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जून 2017

क्र. ई.-5-909-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री एन.पी. डेहरिया, आयएएस., सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 21 से 24 जून 2017 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ 25, 26 जून 2017 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एन.पी. डेहरिया को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री एन.पी. डेहरिया को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन.पी. डेहरिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-920-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री नीरज कुमार सिंह, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर को दिनांक 27 जून से 4 जुलाई 2017 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25, 26 जून 2017 के सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री नीरज कुमार सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन सम्बन्धीय कार्यकालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री नीरज कुमार सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नीरज कुमार सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई.-5-968-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) सुश्री सोनिया मीना, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, उमरिया को समसंख्यक आदेश दिनांक 13 जून 2017 द्वारा दिनांक 27 जून से 7 जुलाई 2017 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, मैं आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 10 एवं 22 जुलाई 2017 तक, तेरह दिन का संशोधित/पुरनीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8,9 एवं 23 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 13 जून 2017 की शेष कंडिकाएं यथावत्,

क्र. ई.-5-1026-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला, आयएएस., संभागीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, इन्दौर को दिनांक 29 जून से 7 जुलाई 2017 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला, आयएएस., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती बेला देवर्षि शुक्ला अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करतीं रहतीं।

भोपाल, दिनांक 28 जून 2017

क्र. ई.-1-209-2017-5-एक.—श्री अवि प्रसाद, भाप्रसे (2014), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बड़नगर जिला उज्जैन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन संचालक, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल पदस्थ किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 29 जून 2017

क्र. ई.-1-213-2017-5-एक.—श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, भाप्रसे (2012) अपर आयुक्त, अनुसूचित जनजाति कल्याण को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन संचालक, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल पदस्थ किया जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री चन्द्र मोहन ठाकुर द्वारा संचालक, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से

राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2016 के नियमों के अन्तर्गत संचालक, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों में सम्मिलित उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

भोपाल, दिनांक 30 जून 2017

क्र. ई-5-836-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री एम. के. अग्रवाल, आयएएस., आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त तथा पदेन सचिव, राजस्व विभाग को दिनांक 5 से 30 जून 2016 तक मसूरी में आयोजित मिड केरियर ट्रेनिंग की समाप्ति के पश्चात् दिनांक 3 से 7 जुलाई 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 8, 9 जुलाई 2017 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री एम. के. अग्रवाल की अवकाश अवधि में आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर का प्रभार श्री एस. सुहेल अली, भाप्रसे, सदस्य राजस्व मण्डल, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. अग्रवाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त तथा पदेन सचिव, राजस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री एम. के. अग्रवाल द्वारा आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर एवं प्रमुख राजस्व आयुक्त तथा पदेन सचिव, राजस्व विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. सुहेल अली, भाप्रसे, सदस्य राजस्व मण्डल, ग्वालियर आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री एम. के. अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-865-आयएएस-लीब-5-एक.—(1) श्री व्ही. किरण गोपाल, आयएएस., उपसचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट केसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड को दिनांक 10 से 31 जुलाई 2017 तक, बाईस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. किरण गोपाल को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन, उपसचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री व्ही. किरण गोपाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. किरण गोपाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2017

क्र. ई.-1-215-2017-5-एक.—श्रीमती वीरा राणा, भा.प्र.से. (1988) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(2) श्री नीतेश कुमार व्यास, भा.प्र.से. (1996), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2017

क्र. ई.-5-480-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री एम. गोपाल रेड्डी, आयएएस., प्रशासकीय सदस्य, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर को दिनांक 20 जून से 7 जुलाई 2017 तक, अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 9 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री एम. गोपाल रेड्डी को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन प्रशासकीय सदस्य, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री एम. गोपाल रेड्डी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. गोपाल रेड्डी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1005-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजय गुप्ता, आयएएस., अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर को दिनांक 29 जून से

7 जुलाई 2017 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 9 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय गुप्ता, भाप्रसे को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन अपर कलेक्टर, जिला जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) श्री संजय गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पर पद कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2017

क्र. ई-1-213-2017-5-एक.—श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, भाप्रसे (2012), संचालक, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अपर आयुक्त, अनुपूर्चित जनजाति कल्याण का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2017

क्र. ई-5-1004-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री दीपक सिंह, आयएएस., कलेक्टर, जिला बुरहानपुर को दिनांक 10 से 14 जुलाई 2017 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8, 9 एवं 15, 16 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) श्री दीपक सिंह की अवकाश अवधि में श्री रोमानुस टोप्पो, अपर कलेक्टर, बुरहानपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कलेक्टर, जिला बुरहानपुर का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री दीपक सिंह को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन कलेक्टर, जिला बुरहानपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री दीपक सिंह द्वारा कलेक्टर, जिला बुरहानपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री रोमानुस टोप्पो, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर के प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री दीपक सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दीपक सिंह, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव।

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2017

क्र. एफ 24-7-2016-एक-10.—राज्य शासन, एतद्वारा, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का क्रमांक 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, माननीय श्री एस. के. पाण्डेय, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति, माननीय उच्च न्यायालय के एकल सदस्यीय जांच आयोग के गठन की मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 7 नवम्बर 2016 में प्रकाशित विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7 नवम्बर 2016 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है, अर्थात्:—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना की कंडिका-5 में, शब्द “तीन माह के भीतर” के स्थान पर, शब्द “06-11-2017 तक” स्थापित किये जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
धरणेन्द्र कुमार जैन, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 जुलाई 2017

क्र. ई.-5-873-आयएएस-लीब-5-एक.—श्री अभिषेक सिंह आयएएस., कलेक्टर, जिला उमरिया को समसंख्यक आदेश दिनांक 20 जून 2017 द्वारा दिनांक 21 जून से 3 जुलाई 2017 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2017

क्र. ई.-5-979-आयएएस-लीब-5-एक.—श्री लोकेश कुमार रामचन्द्र जांगिड़, आयएएस., तत्का. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), विजयपुर जिला श्योपुर को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16 जून 2017 द्वारा दिनांक 23 जून से 7 जुलाई 2017 तक, पन्द्रह दिन का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
फजल मोहम्मद, अवर सचिव “कार्मिक”.

गृह विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2017

क्र. एफ-1(ए)11-2000-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा समसंख्यक आदेश दिनांक 10 मार्च 2017 द्वारा श्री अंशुमान यादव,

भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 1 फरवरी से 30 अप्रैल 2017 तक, नवासी दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था। श्री यादव, भापुसे अपरिहार्य कारणों से उक्त स्वीकृत अवकाश का उपभोग नहीं कर पाये हैं। अतः उक्त अवकाश के स्थान पर दिनांक 16 फरवरी से 30 अप्रैल 2017 तक, चौहत्तर दिवस का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अंशुमान यादव, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री अंशुमान यादव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अंशुमान यादव, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2017

क्र. एफ 1-83-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे, तत्काल सचिव, गृह मध्यप्रदेश शासन, वर्तमान में पुलिस महानिरीक्षक रेल मुख्यालय, भोपाल को Study Tour on “South east Asain Model of infrastructure Development” Singapor, Kulalanpur (Malasiya) and Bangkok में प्रशिक्षण की अवधि के पश्चात् दिनांक 5 से 8 जून 2017 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश (Ex India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

- विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
- विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
- विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।
- स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से पुलिस महानिरीक्षक रेल मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री देव प्रकाश गुप्ता, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ1(ए)107-86-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे पुलिस महानिदेशक, होमगार्ड पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 5, 6 एवं 7 जुलाई 2017 कुल, तीन दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 8-9 जुलाई 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2014-17 के द्वितीय ब्लाक वर्ष के विस्तार वर्ष 2107 के अन्तर्गत अपनी पत्नी के साथ गृह नगर नोएडा उत्तरप्रदेश जाने एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस महानिदेशक, होमगार्ड पुलिस मुख्यालय भोपाल के पद पर पुनः पदस्थि किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री व्ही. के. सिंह, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1-91-2017-ब-2-दो.—राज्य शासन एतद्वारा श्री राजेश चावला, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक जे.एन.पी.ए. सागर को उनके पुत्र से मिलने अमेरिका जाने हेतु दिनांक 26 जून से 15 जुलाई 2017 तक, बीस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में निजी विदेश यात्रा (Ex India Leave) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:—

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे।
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे।
4. स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं करेंगे।

(2) श्री राजेश चावला, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री सतीश कुमार सक्सेना, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक सागर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश चावला, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन रूप से अति.

पुलिस महानिदेशक जे.एन.पी.ए. सागर के पद पर पुनः पदस्थि किया जाता है।

(4) श्री राजेश चावला, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री राजेश चावला, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश चावला, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2017

क्र. एफ 1(ए)107-2008-ब-2-दो.—श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक आर.ए.पी.टी.सी., इन्दौर को दिनांक 5 से 24 जून 2017 तक, कुल बीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 25, 26 जून 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, का चालू कार्य श्री ओ. एस. सिसौदिया, रापुसे, उप सेनानी (प्रभारी सेनानी), आर.ए.पी.टी.सी., इन्दौर द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन पुलिस उप महानिरीक्षक आर.ए.पी.टी.सी., इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थि किया जाता है।

(4) श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जितेन्द्र सिंह कुशवाह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीदास, अवर सचिव।

## विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 11 जुलाई 2017

फा. क्र. 17(ई)67-2008-2897-2017-इकीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की सेवायें श्रम न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक, प्रतिनियुक्त पर श्रम विभाग को सौंपता है:—

क्र. (1)	नाम तथा पद (2)	नवीन पदस्थापना (3)
1	श्रीमती माधुरी राजलालजी, सप्तम्, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जबलपुर.	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय जबलपुर (रिक्त न्यायालय)
2	श्री वैभव सक्सेना, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1, टोकखुर्द, जिला देवास.	पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय होशंगाबाद (रिक्त न्यायालय)

फा. क्र. I-1-2002-इकीस-ब(एक)-2898.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्वारा उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से, आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है:—

क्र. (1)	नाम एवं वर्तमान पद (2)	पदस्थापना (3)
1	श्री रहस बिहारी गुप्ता, तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, सीधी.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, नरसिंहपुर लिंक ऑरेजमेंट होशंगाबाद (रिक्त न्यायालय).
2	कु. भावना साधो, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय की द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, मण्डला.	अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल (रिक्त न्यायालय).

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

## स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2017

क्र. एफ 50-8-2015-बीस-3.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 25 अगस्त 2015 द्वारा माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 का अध्याय दूसरा, की धारा 4 की विभिन्न उप धाराओं के अन्तर्गत राज्य सरकार, एतद्वारा, माध्यमिक शिक्षा मण्डल में व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों में सदस्य नामांकित किया गया था।

2. अतः, उपर्युक्तानुसार गठित समिति के क्रमांक-2 में स. क्र. 03 पर अंकित श्री दिनेश निरिया, व्याख्याता, स.वि.मं. डिंडौरी, मध्यप्रदेश का आदेश निरस्त करते हुए, उनके स्थान पर राज्य शासन, एतद्वारा, निमानुसार श्रेणी में नाम के समुख व्यक्ति को सदस्य के रूप में मनोनयन किया जाता है:—

क्र.	श्रेणी	नामांकित व्यक्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)
1	मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों के 06 अध्यापक	डॉ. सुनील श्रीवास्तव, वरिष्ठ अध्यापक, टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़, म. प्र.

2. शेष आदेश यथावत् तदनुसार नियमानुसार आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
प्रमोद सिंह, उपसचिव.

**तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

भोपाल, दिनांक 10 जुलाई 2017

क्र. एफ 14-19-2007-बयालीस (1)—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 10 जुलाई, 2014 के द्वारा राज्य शासन द्वारा श्री प्रसन्न कुमार दाश (सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन) को प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति के अपील प्राधिकारी के पद पर तीन वर्ष के लिए नियुक्त किया गया था।

2. राज्य शासन द्वारा पुनः तीन वर्ष के लिये मध्यप्रदेश निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियामक एवं शुल्क निर्धारण) अधिनियम, 2013 की धारा 10 (1) के अन्तर्गत श्री प्रसन्न कुमार दाश (सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन) को अपीलीय प्राधिकारी, प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति भोपाल में निमानुसार सेवा-शर्तों के अधीन नियुक्त करता है:—

- (1) सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त हो रही सभी सुविधायें जैसे मकान, वाहन, यात्रा-भत्ता, चिकित्सा सुविधा, दूरभाष, अवकाश, यात्रा रियायत अवकाश आदि प्राप्त होती रहेगी।
- (2) सेवानिवृत्ति के पूर्व प्राप्त हो रहे वेतन में से पेंशन की राशि को कम करते हुए शेष राशि वेतन के रूप में देय होगी इस वेतन राशि का राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता देय होगा, किन्तु पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी।
- (3) नियुक्ति पूर्णकालिक होने के कारण अपीलीय प्राधिकारी अन्य कोई व्यवसाय, कार्य, सेवा आदि नहीं कर सकेंगे।
- (4) अन्य सेवा-शर्तें शासन की समस्त सामान्य सेवा-शर्तों के अनुरूप होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सभाजीत यादव, उपसचिव.

**संस्कृति विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**  
**भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2017**

क्र. एफ 11-10-2017-तीस.—राज्य शासन, एतद्वारा, भारत भवन न्यास ट्रस्ट डीड की कंडिका 7 के प्रावधानों के तहत तथा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्टस् एक्ट, 1951 की धारा 36 (2) के तहत प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 1 मार्च 2008 के अनुसरण में, भारत भवन न्यास में विभिन्न कला अनुशासनों के निम्न ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को न्यासी के रूप में मनोनीत करता है:—

(1)	डॉ. चन्द्रप्रकाश द्विवेदी	—	सदस्य
(2)	सुश्री पदमा सुब्रमण्यम	—	सदस्य
(3)	श्री उमाकांत गुर्देचा	—	सदस्य
(4)	श्री किरण देशपांडे	—	सदस्य
(5)	श्री वासुदेव कामत	—	सदस्य
(6)	श्री कपिल तिवारी	—	सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पदपरेखा ढोले, अवर सचिव.

**नगरीय विकास एवं आवास विभाग**  
**मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2017

क्र. एफ 3-25-2012-बत्तीस-1.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 65 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 18 के अध्यधीन राज्य शासन द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को आगामी आदेश तक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण ओरछा में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित पद पर नियुक्त किया जाता है:—

(1)	श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (कक्का)	—	अध्यक्ष
(2)	श्री नीरज तिवारी	—	उपाध्यक्ष
(3)	श्री महेश केवट	—	सदस्य
(4)	श्री सुमित मिश्र	—	सदस्य
(5)	श्रीमती सरोज ओझा	—	सदस्य (महिला)
(6)	श्रीमती गुलाब रजक	—	सदस्य (महिला)
(7)	श्री मुन्नालाल अहिरवार	—	सदस्य

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजीव शर्मा, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2017  
सूचना

क्र. एफ-3-34-2014-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा सागर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031, मध्यप्रदेश नगर तथा

ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

1. आयुक्त, सागर संभाग, सागर, मध्यप्रदेश.
  2. कलेक्टर, सागर, जिला सागर, मध्यप्रदेश.
  3. आयुक्त नगरपालिक निगम, सागर, मध्यप्रदेश.
  4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सागर, मध्यप्रदेश.
2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. के. साधव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2017

क्र. एफ-3-34-2014-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सूचना दिनांक 17 जुलाई 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
सी. के. साधव, उपसचिव.

Bhopal the 17th July 2017

#### NOTICE

No. F-3-34-2014-XXXII.—Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development plan for, Sagar (Planning Area) under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely:—

1. Commissioner, Sagar Division, Sagar, Madhya Pradesh.
2. Collector, Sagar District Sagar, Madhya Pradesh.
3. Commissioner, Nagar Plika Nigam Sagar Madhya Pradesh.
4. Joint. Director, Town & Country Planning, Sagar, Madhya Pradesh.

2. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazetteer under section 19 (5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
C.K. SADHAV, Dy. Secy.

#### महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2017

क्र. 1665-2034-2017-पचास-2.—किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :—

### अनुसूची

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय	जिला का नाम	प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अनूपपुर	अनूपपुर	श्री राकेश सनोधिया, JMFC
2	टीकमगढ़	टीकमगढ़	श्री रामसहरे राज, JMFC
3	जबलपुर	जबलपुर	श्री आशीष दवंडे, JMFC
4	शिवपुरी	शिवपुरी	श्रीमती नमिता बोरासी, JMFC
5	ग्वालियर	ग्वालियर	श्रीमती ज्ञानेश्वरी कुम्रे, JMFC
6	हरदा	हरदा	श्री ठाकुर प्रसाद मालवीय, JMFC

No. 1665-2034-2017-L-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016), the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column no. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :—

### SCHEME

S.No.	Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter	Name of the District	Name of the Principal Magistrate & Designation
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Anooppur	Anooppur	Shri Rakesh Sanodhiya, JMFC
2	Tikamgarh	Tikamgarh	Shri Ramsahare Raj, JMFC
3	Jabalpur	Jabalpur	Shri Ashish Dawande, JMFC
4	Shivpuri	Shivpuri	Smt. Namita Borasi, JMFC
5	Gwalior	Gwalior	Smt. Gyaneshwari Kumre, JMFC
6	Harda	Harda	Shri Thakur Prasad Malviya, JMFC

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पंकज शर्मा, उपसचिव.

### कार्यालय, कलेक्टर/जिलादण्डाधिकारी, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन

छिन्दवाड़ा, दिनांक 12 जुलाई 2017

क्र. 6764-सं.लि.-2017.—मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-2(क)-9-08-बी-3-दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा प्रदत्त किये गये अधिकार के तहत जिला स्तरीय समिति की अनुशंसा उपरांत मैं, जे. के. जैन, कलेक्टर/जिलादण्डाधिकारी, छिन्दवाड़ा एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड (ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग लाते हुए मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत पुलिस थाना रावनवाड़ा को “थाना रावनवाड़ा (शिवपुरी)” के नाम से ग्राम शिवपुरी में स्थापित करने की घोषणा करता हूँ.

No.6764-S.W.-2017.— As per powers given by circular of Government of Madhya Pradesh Home (Police) Department, Vallabh Bhawan, Bhopal, No. F-2(K)-9-08-B-3-2, dated 30 July 2010, After recommendation of district level committee I, J. K. JAIN, Collector/District Magistrate, Chhindwara & ex-officio Addl. Secretary, Government of Madhya Pradesh, in exercise of powers conferred by the clause (s) of Section 2 of the code of criminal procedure, 1973, w.e.f. the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette, declare Police station Rawanwara in Chhindwara District by the name of Police Station Rawanwara (Shivpuri) to be established in Shivpuri.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जे. के. जैन, कलेक्टर/जिलादण्डाधिकारी एवं पदेन अपर सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश**  
**उज्जैन, दिनांक 6 जून 2017**

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973(1974 का सखल क्रमांक 2) की धारा 2 के खण्ड एस. एवं शासन के आदेश क्रमांक-2(क)-15-99-बी-3-दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक एफ-2(क)-09-08-बी-3-दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक तथा जिला अभियोजन अधिकारी की जिलास्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए समिति की बैठक दिनांक 6 जून 2017 में लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व अधिसूचना में आंशिक उपान्तरण करते हुए राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से:—

- (एक) नीचे दी सारणी कालम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम नंबर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों का अपवर्जित करती है।
- (दो) सारणी के कालम नंबर (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम नंबर (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है:—

पुलिस थाने का नाम, तहसील तथा जिला सहित जिससे अपवर्जित किया गया	सारणी		पुलिस थाने का नाम/तहसील, जिला सहित जिसमें सम्मिलित किया गया है
	नाम	बंदोबस्त नंबर/वार्ड नंबर	
(1) थाना बिरला ग्राम, तहसील नागदा व जिला उज्जैन	ग्राम टुमनी	(2) 75	(3) थाना खाचरोद, तहसील खाचरोद व जिला उज्जैन

In exercise of the powers conferred by clause (s) Section 2 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police) Department order No. F2(k)-15-99-08-B-3-two, Dated 30th July 2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to committee of District Collector, SP & DPO. In meeting Dated 06th June 2017 in partial modification of the previous notification in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby which effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette:—

- (1) Excludes from the Police Station mentioned in column (1) of the Table below the Local areas specified in column (2) thereof and
- (2) Includes of the local areas specified in the column (2) of the said Table in the police Station mentioned in column (3) of the said Table:—

TABLE

Name of the Police Station (with tehsil and the District)	Name of Village/Local Places Name of Village.	Name of Police Station (with tehsil and the district)
from which excluded (1) Police Station Birla Gram, Tehsil NAGDA and DISTRICT UJJAIN	Local Areas Settlement No./Ward No. (2) Gram Tumani 75	from which included (3) Police Station Khachrod, Tehsil Khachrod and DISTRICT UJJAIN

पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित) जिससे अपवर्जित किया गया है	सारणी	पुलिस थाने का नाम/तहसील, जिला सहित जिसमें सम्मिलित किया गया है
(1) थाना बिरला ग्राम, तहसील नागदा व जिला उज्जैन.	(2) ग्राम टुमनी	(3) थाना खाचरोद, तहसील खाचरोद व जिला उज्जैन.

3. बैठक का कार्यवांत तथा निर्धारित प्रारूप में अधिसूचना जारी करने हेतु प्रस्ताव जिलाधीश उज्जैन पुलिस अधीक्षक, उज्जैन एवं जिला अभियोजन अधिकारी, उज्जैन द्वारा संयुक्त प्रस्ताव में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

## कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल दिनांक 18 जुलाई 2017

क्र. एफ-८-२-रा.स.-यू.ए.-३-२०१४.—यतः कुलाधिपतिजी के आदेश क्रमांक एफ. ८-१-२०१४-रा.स.-यू.ए.-३-६६८, दिनांक 29 मई, 2017 के द्वारा स्नातक स्तर के विभिन्न विषयों के एकीकृत पाठ्यक्रमों के पुनरीक्षण हेतु केन्द्रीय अध्ययन मण्डलों का गठन करने के लिये आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश को अधिकृत किया गया है। उक्त केन्द्रीय अध्ययन मण्डलों के द्वारा निर्मांकित विषयों के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम (वार्षिक पद्धति हेतु) अनुशंसित कर माननीय कुलाधिपति के अनुमोदन हेतु प्रेषित किए गये हैं :—

1. मिलिट्री साइंस
2. म्यूजिक-वोकल
3. म्यूजिक-इंस्ट्रमेन्टल परकशन
4. म्यूजिक-इंस्ट्रमेन्टल नॉन परकशन
5. म्यूजिक-ऑनस
6. डांस भरतनाट्यम
7. डांस कत्थक
8. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
9. ड्राइंग एण्ड पेन्टिंग
10. बिजीनेस इकोनॉमिक
11. रुरल बैंकिंग
12. बी. ए. एजूकेशन (पापुलेशन एजूकेशन एण्ड रुरल स्टडीज)
13. कम्प्यूटर एप्लीकेशन
14. कम्प्यूटर मैनेजेन्स
15. इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मेनेजेन्स
16. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
17. फंक्शनल हिन्दी
18. फंक्शनल इंगिलिश
19. प्राच्य संस्कृत
20. वेद
21. ज्योतिष
22. मराठी

23. होटल मैनेजमेंट
24. एडवरटाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एण्ड मैनेजमेंट
25. बी. कॉम. ऑनसे
26. ट्रू एण्ड ट्रेवल मैनेजमेंट
27. परशियन
28. अरेबिक
29. एप्लाईड साईंकोलॉजी
30. फिशरीज
31. क्लीनिकल न्यूट्रीशन एण्ड डायटिक्स
32. ऑफिस मैनेजमेंट एण्ड स्टेनोग्राफी
33. फैशन डिजाईन

निम्न 2 विषयों के पाठ्यक्रमों को पुनः संशोधित करने के लिये भी माननीय कुलाधिपति की अनुमति चाही गई है :—

1. साईंल कजरेशन एण्ड वाटर मैनेजमेंट
2. फाउन्डेशन कोर्स
2. मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 34-क की उपधारा (9) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपतिजी के द्वारा उपरोक्त पाठ्यक्रमों को अनुमोदित किया गया है।

मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के आदेशानुसार,  
शैलेन्द्र कियावत, राज्यपाल के अपर सचिव.

### कार्यालय, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2017

क्र. 3-खाद्य-2-35-2011-3685.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 34) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश, एतद्वारा उक्त अधिनियम एवं तद्धीन बने नियमों/विनियमों के अन्तर्गत कार्यों को करने के उद्देश्य से श्री कैलाश कुमार सिलावट को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिये खाद्य विश्लेषक के रूप में नियुक्त करते हैं।

No. 3-Food-2-35-2011-3685.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (Act No. 34 of 2006), the Commissioner, Food Safety, Madhya Pradesh hereby appoints Shri Kailash Kumar Silawat as Food Analyst for the whole of the State of Madhya Pradesh for the purpose of performing functions under the said Act and Rules/Regulations made thereunder.

पत्तलवी जैन गोविल, आयुक्त।

## राज्य शासन के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 9 जून 2017

प्रकरण क्र./10/अ-82/2016-17 भू-अर्जन/2017 टीकमगढ़, दिनांक 09.06.2017 पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और परदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन तारीख से ग्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समायावधि में कोइ आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की अवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया की नीचे दी गई अनुसूची कांडिका क्र.-(2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचि के कांडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कांडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

### अनुसूचि

(1) भूमि का वर्णन :-

- (क) जिला-टीकमगढ़
- (ख) तहसील-खरगापुर
- (ग) नगर/ग्राम-कुड़िला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-

संक्र.	कास्तकार/कब्जेदार भूमिस्वामी का नाम	खसरा क्र.	अर्जित रकवा
1.	ब्रजवहादुर,मोहनलाल तनय शंकरदयाल,ओमप्रकाश त. शंकरदयाल जमना वे. शंकरदयाल ममता पु. शंकरदयाल हि.1/2 खरी.श्यामकुरुर पुत्रिया मर्वईवारी जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	439	0.367
		438	0.042
		441	0.060
	योग		0.469
2.	हरिनारायण,पुत्रगण कुंजविहारी श्यामबहादुर तनय रमबहादुर जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	442	0.150
3.	ब्रजवहादुर,मोहनलाल तनय शंकरदयाल,ओमप्रकाश त. शंकरदयाल जमना वे. शंकरदयाल ममता पु. शंकरदयाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	447	0.295
4.	ब्रजवहादुर,मोहनलाल तनय शंकरदयाल,सरजू वे.शंकरदयाल,ओमप्रकाश तनय शंकरदयाल जमना वे.शंकरदयाल ममता वे.शंकरदयाल जाति लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	446	0.025
5.	शंकरदयाल तनय शिवदयाल जाति पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	450	0.202
6.	कुल योग -	7	1.236

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है— वानसुजारा सिंचाई परियोजना (सूखम सिंचाई पद्धति)

(3) भूमि का नवशा (प्लान का) का निरिक्षण, कलेक्टर, भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रियंका दास, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मुरैना दिनांक 7 जुलाई 2017

प्र. क्र. क्यू-कोर्ट कले.-राजस्व-भू-अर्जन-9-अ-82-2016-17-5270

चूंकि राज्य भासन को इसका समाधान हो चुका है कि नीचे दी गई अनूसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू अर्जन अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

## अनूसूची

## 1. भूमि का वर्णन

- |              |                |
|--------------|----------------|
| क. जिला      | - मुरैना       |
| ख. तहसील     | - जौरा         |
| ग. ग्राम     | - लोहाबासई     |
| घ. क्षेत्रफल | 72.52 हैक्टेयर |

संक्र.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हेक्ट. में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	वृक्ष		संरचना	
						केंद्रीय	संघीय	क्षेत्रीय	विद्युतीय
1.	2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.157	मु. बैजन्ती बे. मवसिया 1/2 सरनाम सिंह सेवाराम रामप्रकाश वासुदेव पुत्र शिवसिंह रामबेटी पुत्री शिवसिंह 1/2 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी	-	-	-	
2.	3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.209	रामकिशन नाबा. पुत्र बलवन्त सर. जंगजीत काका खुद 93/252 तुलाराम पुत्र रामकिशन भाग 16/252 रामविलास मुन्ना पप्पू राजवीर पि.	-	-	-	
	136/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.042	रामकिशुन समान भाग	-	-	--	
	137/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.523					

	138 / 2 142	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.669	50 / 252 मजबूत सिंह आशाराम परसराम सीताराम पि. सरदारसिंह समान भाग 93 / 252 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	-	-	-	
3.	4	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.484	मु.वैजन्ती बेबा मावसिया 1/4, सरनामसिंह, मेवाराम, रामप्रकाश, वासुदेव पि. शिवसिंह, रामवेटी पुत्री शिवसिंह 1/4 समान, पंचम सिंह पुत्र बिहारी सिंह 1/4 जगदीश सिंह पुत्र मुकट सिंह गुर्जर नि. सटुआ भाग 1/16 पता निवासी ग्राम समान भाग	-	-	-	
	5 6	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.700		-	-	-	
	40 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.209		-	-	-	
	139	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.763		-	-	-	
	140	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.376		-	-	-	
	141	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.188		-	-	-	
	144	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.251	भूमिस्वामी जसरथ सिंह, सुरेश पि. भमर सिंह, गीताबाई पुत्री भमर सिंह मु. वैकुण्ठी बेबा भमर सिंह 1/16 समान, राधेश्याम, पालसिंह बकील सिंह पि. ओतार सिंह मु. मथुरो बेबा ओतार सिंह 1/16 समान, पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी मु. तलफा बेबा भीखमसिंह विन्दावनसिंह पि. भीखमसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम 1/16 समान भाग भूमिस्वामी	-	-	-	
4.	13	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.752	सुखदेवसिंह, केदारसिंह, सुल्तानसिंह	-	-	-	
	178 181	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.543 0.240	गोकुलसिंह, जगदीश पि. परीक्षतसिंह 5/12 समान मेहरवानसिंह पुलन्दरसिंह	-	-	-	
	183	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.533	जितवारसिंह सेवारामसिंह बलवानसिंह पि. औतार सिंह मु. वैकुण्ठी बेबा ओतार सिंह पता निवासी ग्राम 1/12 समान भाग भूमिस्वामी जगदीश पुत्र परीक्षत 1/12 दर भाग 7/12 मातली देवी पत्नी तुलाराम	-	-	-	

					13 / 539 मनोज राजकिशोर पुत्र रामवरन सभाग 13 / 539 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी मु. शान्ती बेवा सियाराम खेमराज बीरबल मायाराम राजामैया पुत्र सियाराम संभाग 64 / 539 दरभाग 1 / 6 जाति गुर्जरठाकुर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी मालती देवी पल्ली तुलाराम 20 / 539 रतीराम पुत्र सोवरन 70 / 539 दर भाग 1 / 6 गन्दर्भ बा. रामविलास ना.बा. पुत्र बाबूसिंह बैजन्ती बेवा बाबूसिंह सर. माँ 5 / 36 जाति गुर्जर ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सेवाराम जितवार सिंह पु. ओतारसिंह 37 / 539 संभाग सुखदेवसिंह, सुल्तानसिंह पुत्र गोकुलसिंह संभाग 1 / 12 दरभाग 5 / 36 जाति गुर्जर ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी				
5.	14	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.554	जगदीश सिंह लोकेन्द्रसिंह भूरा वीरेन्द्रसिंह पूरनसिंह पु. मुकटसिंह रामबेटी बेवा मुकटसिंह संभाग 6 / 7 बनीया ध्यानू पुत्र मुन्ना नाबा. सर. माँ खुद प्रीती पुत्री नाबा. मुन्ना सर. माँ हलुकी बेवा मुन्ना खुद संभाग 1 / 7 दर भाग 1 / 3 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी हाकिम ग्यासी पुत्रगण गनपत संभाग 2 / 3 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी				
	20 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.627		-	-	-	
	25	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.212		-	-	-	
	26	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.418		-	-	-	
	108	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.512		-	-	-	
	109	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.031		-	-	-	
	110	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.042		-	-	-	
	146 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.627		नीम	1		

	147	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.773		-	-	-	
	148	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.042		-	-	-	
	149	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.418		-	-	-	
6.	15/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.188	रामप्रकाशसिंह महेन्द्रसिंह विजेन्द्र पुत्र गब्बरसिंह कृष्णाबेटी पुत्री गब्बरसिंह बैकुण्ठी बेवा गब्बरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ समान भाग भूमि स्वामी	बमूर नीम ऊमर	5 7 10		
7.	15/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.188	मुंशी सिंह पुत्र निरपति सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी	बमूर ऊमर बेर	5 8 2		
8.	15/3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.188	परिमाल सिंह पुत्र निरपतिसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	नीम बेर बमूर	8 5 5		
9.	16/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.063	लालसिंह पुत्र भुजबलसिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	बमूर ऊमर बेर	5 2 3		
	169	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.084		बमूर बेर	5 1		
	170/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.063		-	-	-	
	174/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.042		-	-	-	
	176/4	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.146		-	-	-	
10.	16/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.073	धुवसिंह रनजीतसिंह पि. हरीसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी	बमूर बेर ऊमर	15 2 3		
	170/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.115		बमूर बेर	8 4		
	171/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.031		-	-	-	
	174/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.031		-	-	-	

11.	16 / 3 19	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.063	भूपेन्द्रसिंह योगेन्द्रसिंह पुत्र चिम्मनसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ समान भाग भूमिस्वामी	बमूर ऊमर वेर नीम	5 2 2 3		
	170 / 3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.115		बमूर वेर	4 2		
	171 / 2 174 / 3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.042 0.031		-	-	-	
12.	18मि.1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.052	रामबरन रामेश्वर पुत्रगण सुंदरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	-	-	-	
13.	20 / 4 मि.1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.063	सुरेन्द्रसिंह पुत्र लच्छमनसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी	बमूर वेर	4 5		
	20 / 6 मि.3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.146		बमूर वेर	1 5		
14.	20 / 5	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.063	दुर्गसिंह पुत्र प्रीतमसिंह भाग 1/2 रघुवीरसिंह पुत्र प्रीतम सिह, जगदीश सिंह पुत्र रघुवीर सिंह समान भाग 1/2 जाति ठा. पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी	-	-	-	
	20 / 6 मि.2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.136		बमूर वेर	2 5		
	20 / 7	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.073		-	-	-	
	28 मि.2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.146		-	-	-	
15.	20 / 4 मि.2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.021	रामेश्वर सिंह पुत्र पदम सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी	-	-	-	
	28 मि.3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.146		-	-	-	
	29	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.031		-	-	-	
16.	20 / 6 मि.1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.136	पुलन्दरसिंह पुत्र कप्तानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	-	-	-	
	28 मि.1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.136		-	-	-	
17.	21	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.752	उत्तमसिंह, मेहतावसिंह, सुधरसिंह पुत्र	-	-	-	

	22	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.397	फेरन सिंह संभाग 1/6 राजाराम कल्याणसिंह उर्फ सियाराम लज्जाराम रामजीलाल प. सोनेराम मुन्नी, पुत्री सोनेराम संभाग 5/6 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी गुडडी बेबा रामनरेश योगेश नीरज पुत्र रामनरेश संभाग 1/6 दर भाग 1/6 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	-	-	-	-
	23	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.010		-	-	-	-
	24	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.146		-	-	-	-
	285	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.836		जामुन कटहल आम	1 1 2		
✓ 18.	40/1 मि1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.878	पारथसिंह पुत्र पंचम सिंह मुन्नी पुत्री पंचम सिंह संभाग 1/3 कदमसिंह पु. माधौसिंह 1/12 जसरथसिंह सुरेश पुत्र. भमरसिंह गीता पुत्री भमरसिंह बैकुण्ठी बेबा भमरसिंह 1/12 संभाग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी राधेश्याम पालसिंह वकीलसिंह पुत्र औतारसिंह मधुरा बेबा औतारसिंह संभाग 1/12 बिन्द्रावनसिंह पुत्र भीकमसिंह 1/12 दर भाग 1/3 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सरनामसिंह भेवाराम रामप्रकाश वासुदेव पुत्र शिवसिंह रामबेटी पुत्री शिवसिंह संभाग 2/3 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी	-	-	-	-
✓ 19.	44/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.052	रामजीतसिंह पुत्र सरनामसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम मजरा घसटुआ भूमिस्वामी विक्रय से वर्जित	-	-	-	-
✓ 20.	47/1 मि. 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.314	पालसिंह राधेश्यामसिंह वकीलसिंह पुत्रगण औतारसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	-	-	-	-
✓ 21.	57/1/	भूमि	कृषि	0.157	मु.कमला बेबा अकबर सिंह कम्पोद सिंह	-	-	-	-

	मि 1	स्वामी	भूमि		वासुदेव सिंह बकील सिंह पुत्र अकबर सिंह 1/2 संभाग पालसिंह लायक सिंह दीवान सिंह पुत्र सुन्दर सिंह संभाग 1/2 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी				
✓ 22.	78/मि1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.251	परसराम सीताराम पिस. सरदारसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम मजरा घसटुआ समान भाग भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	-	-	-	
✓ 23.	118/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.334	प्रभूसिंह लछिमन सिंह गेदालाल रामअख्यायर लाखनसिंह पि. बुद्धसिंह स. भाग 1/2 पंचम सिंह पुत्र बिहारीसिंह भाग 1/4 कदमसिंह पुत्र माधौसिंह भाग 1/16 भूरासिंह पुत्र मुकट सिंह हि. 2/16 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम मजरा घसटुआ भूमिस्वामी जगदीश पुत्र मुकट सिंह हि. 1/16 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	-	-	-	
✓ 24.	130/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.167	सुल्तानसिंह पुत्र गोकुलसिंह ब्रजमोहनसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी	-	-	-	
	179/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.209		-	-	-	
✓ 25.	130/2 मि6	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.240	मानसिंह पुत्र कप्तानसिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी	-	-	-	
✓ 26.	199	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.178	मु.कमला बेबा अकबर सिंह कम्मोद सिंह वासुदेव बकील सिंह राजेश सिंह पुत्र अकबर सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी	-	-	-	
✓ 27.	172/1	भूमि	कृषि	0.356	मु.इमिरता बेबा अमर सिंह रामवरन सिंह	बेर बमूर	1 8		

		स्वामी	भूमि		रामवीरसिंह पुत्र अमर सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम सगान भाग भूमिस्वामी	नीम	2	
	173 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.031		-	-	-
	176 / 1 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.230		-	-	-
28.	172 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.356	भरतसिंह पुत्र सबदल जाति गूठा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	बमूर बेर नीम	5 12 7	
	173 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.031		-	-	-
	176 / 1 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.230		-	-	-
29.	104	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.293	उत्तमसिंह मेहताबसिंह सुघर सिंह पुत्र फेरन सिंह संभाग 1/3 प्रभू सिंह लछिमन सिंह गेदालाल लाखनसिंह रामअख्तयार पुत्र बुद्ध सिंह संभाग 1/3 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी राजाराम कल्याण सिंह उर्फ सियाराम लज्जाराम रामजीलाल पुत्रगण सोनेराम मुन्नी पुत्री सोनेराम संभाग 1/3 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	-	-	-
30.	137 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.115	जगदीश सिंह पुत्र फूलसिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	-	-	-
	138 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.209		-	-	-
31.	151 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.136	पालसिंह दीवानसिंह लायकसिंह पि. सुंदरसिंह संभाग जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम मजरा घसटुआ भूमिस्वामी	बेर बमूर नीम	10 6 5	
	152 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.188		-	-	
	164 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.293		-	-	
32.	151 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.146	नाथूराम पुत्र मनोहरसिंह जाति गूठा. पता निवासी. ग्राम भूमिस्वामी	बेर बमूर नीम	5 5 5	
	152 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.188		-	-	-

	164 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.293		-	-	-	
33.	176 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.146	हरीसिंह पुत्र धनीराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	-	-	-	
34.	176 / 3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.146	चिम्मनसिंह पुत्र धनीराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी	-	-	-	
35.	176 / 5	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.314	सुखदेव सुल्तानसिंह केदारसिंह पु. गोकुलसिंह राजाबेटी पुत्री गोकुलसिंह 4 / 6 जगदीश पुत्र परीक्षत 1 / 6 मेहरवानसिंह सेवाराम पुलन्दरसिंह जितवारसिंह बलवानसिंह पुत्र औतारसिंह बैकुण्ठी बेवा औतारसिंह शीला पुत्री औतारसिंह संभाग 1 / 6 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	-	-	-	
36.	151 / 3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.136	हरीसिंह पुत्र होतमसिंह जाति गुर्जर पता निवासी. ग्राम मजरा घसटुआ भूमिस्वामी	बेर नीम	5		
	152 / 3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.188		-	-		
	164 / 3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.282		-	-	-	
37.	166 / 1 / 1 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.738	दर्शनलाल किलेदार बाबूसिंह काशीप्रसाद उदयवीर दीवानसिंह पुत्र शत्रुघ्नसिंह मथुरा बेवा शत्रुघ्न राजाबेटी पुत्री शत्रुघ्न संभाग 8 / 9 अशोक गिराज पुत्र सुजानसिंह 1 / 9 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी	-	-	-	
38.	186	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.157	जगदीश सिंह पुत्र फूलसिंह भाग 186 / 1963 सरनामसिंह मेवाराम रामप्रकाश वासुदेव पि. शिवसिंह, रामबेटी पुत्री	-	-	-	
	187	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.303		-	-	-	
	188	भूमि	कृषि	0.199		-	-	-	

		स्वामी	भूमि		शिवसिंह स.भाग 1/10 सरनामसिंह मेवारामसिंह रामप्रकाश वासुदेव पि.			
	189	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.108	शिवसिंह स.भाग 1/10 दर भाग 1/5 गोकुल सिंह पुत्र गंगाराम भाग 1/30 पता	-	-	-
	190	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.742	निवासी ग्राम भूमिस्वामी शान्ती बेबा सियाराम सौमराज बीरबल मायाराम,	-	-	-
	191	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.773	राजाभैया पुत्र सियाराम संभाग 1/90 रतीराम पुत्र सोबरन भाग 1/90 पता	-	-	-
	192	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.209	निवासी ग्राम भूमिस्वामी गंदर्भ सिंह रामविलास पि . बाबूसिंह मु. बैजन्ती बेवा	-	-	-
	193	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.073	बाबूसिंह स.भाग 1/90 रामबेटी पुत्री रामनारायण भाग 1/30 हरिविलास पुत्र	-	-	-
	194	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.031	लल्लू भाग 1/10 दरभाग 1/5 कंचन सिंह नबाबसिंह पि. हरिनारायन स.भाग	-	-	-
	195	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.167	1/5 हाकिम सिंह ग्यासीराम पि. गनपति स.भाग 2/3 भूमि स्वामी मुन्जासिंह पूरन	-	-	-
	196	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.136	सिंह पि. मुकट सिह मु. रामबेटी बेबा मुकट सिह स.भाग 1/3 रणवीरसिंह पुत्र साहब	-	-	-
	198	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.157	सिंह गूठा. भाग रक. 0.418 जाति गुर्जर पता भजरा घसटुआ भूमिस्वामी मु.इमिरता	-	-	-
	200	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.808	बेबा अमर सिंह रामवरन सिंह रामवीरसिंह पुत्र अमर सिंह संभाग 1/20 दर भाग	-	-	-
	201	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.146	1/5 मु.कमला बेबा अकबर सिह कम्मोद सिंह वासुदेव सिंह बकील सिंह राजेश सिंह	-	-	-
	202	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.125	पुत्र अकबर सिंह संभाग 1/12 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी	-	-	-
	203	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.199		-	-	-
	204	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.105		-	-	-
	206	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.606		-	-	-
	207	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.188		-	-	-
	208	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.251		-	-	-
	209	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.240		-	-	-
	210	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.314		-	-	-

	211	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.366		-	-	-
	212	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.314		-	-	-
	213	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.585		-	-	-
	214	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.209		-	-	-
	215	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.334		-	-	-
	216	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.219		-	-	-
	217	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.314		-	-	-
	218	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.178		-	-	-
	219	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.721		-	-	-
	302 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.371		-	-	-
✓	39.	221 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.219	अतरसिंह पुत्र हुकमसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बमूर	5
✓	40.	221 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.230	सरनाम सिंह पुत्र पुरुषोत्तम सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम घसटूआ भूमिस्वामी	-	-
✓	41.	221 / 3 मि.1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.052	दीवानसिंह पुत्र शत्रुघ्नसिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	-	-
		222 / 4 मि.1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.021		-	-
		235 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.073		-	-
✓	42.	166 / 1 / मि1/ ग	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.293		-	-
✓	42.	222 / 4 मि.2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.010	अशोकसिंह गिराज सिंह पुत्रगण सुजानसिंह	-	-

	166/1 /भि१/ क	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.178	जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	-	-	-	
43.	222/4 भि३	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.010	किलेदारसिंह पुत्र शत्रुघ्नसिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	-	-	-	
44.	221/3 भि.२ 224 भि. 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.052 0.135	दर्शनलाल पुत्र शत्रुघ्नसिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी			-	
45.	221/3 भि.३	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.063	बाबूसिंह पुत्र शत्रुघ्नसिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	-	-	-	
	166/1 /भि१/ ख	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.209		-	-	-	
46.	221/3 भि.४ 222/4 भि.४ 224 भि. 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.063 0.010 0.147	काशीप्रसाद पुत्र शत्रुघ्नसिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	-	-	-	
47.	221/4 222/3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.230 0.418	काशीप्रसाद उदयवीर सिंह दीवानसिंह पुत्रगण शत्रुघ्न सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी. ग्राम समान भाग भूमिस्वामी			-	
48.	222/4 भि.५	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.084	उदयवीर सिंह पुत्र शत्रुघ्न सिंह जाति गू. ठा. पता निवासी. ग्राम भूमिस्वामी	-	-	-	
49.	222/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.428	कलावती पत्नी इन्द्रसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम घसटूआ भूमि स्वामी	-	-	-	
	166/1 /१/१	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.115		-	-	-	

50.	222/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.418	सरनाम सिंह पुत्र पुरुषोत्तम सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	-	-	-	
	166/1 /1/4	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.105		-	-	-	
51.	223	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.097	कम्मोदसिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह 1/2 वासुदेव जण्डेलसिंह परिमाल सिंह	-	-	-	
	225 226	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.024	पंजाबसिंह वकीलसिंह तहसीलदारसिंह बबु राजा योगेन्द्रसिंह पुत्रगण केशव सिंह मुदुलारी बेवा केशवसिंह 1/6 रनवीरसिंह आफीसर सिंह पु. साहबसिंह संभाग 2/6 जाति गूठा. पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी	-	-	-	
52.	230 233	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.481 0.209	श्रीमती ममता पत्नी दीवानसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	-	-	-	
53.	166/1 /2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.084	वासुदेव जण्डेलसिंह परिमाल सिंह पंजाबसिंह वकीलसिंह तहसीलदारसिंह बच्चूराम योगेन्द्रसिंह पिस. केशव सिंह मुदुलारी बेवा केशव सिंह संभाग 1/4 रनवीरसिंह आफीसर सिंह कम्मोद सिंह पि. साहबसिंह स.भाग 3/4 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम मजरा घसटुआ भूमिस्वामी	-	-	-	
54.	284/1 /1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.658	उत्तमसिंह, मेहतावसिंह, सुधरसिंह पि. फेरन सिंह स.भाग 1/3 राजाराम कल्याण उर्फ सियाराम लज्जाराम रामजीलाल पु. सोनेराम मुन्नी, पुत्री सोनेराम भाग 1/3 रामवरन रामेश्वर पुत्र सुन्दर सिंह 1/3 जाति गुर्जर ठा. पता निवासी ग्राम मजरा घसटुआ भूमिस्वामी	-	-	-	

55.	287	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.240	प्रदीपकुमार पुत्र राजूसिंह 47/453 वासुदेव जन्डेलसिंह परिमालसिंह पंजाब सिंह बकील सिंह तहसीलदार सिंह बब्बराजा योगेन्द्र सिंह पुत्र केशव सिंह मु. दुलारी बेबा केशव सिंह संभाग 69/453 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी बतसिया बेबा भागीरथ 5/453 बाबू रामअख्यार पूरन पप्पू पुत्र श्यामा संभाग 40/453 रमेश महाराज सिंह मचल सिंह वासुदेव मातादीन पुत्र लछिमन सिंह अनेगा कमला पुत्री लछिमन सिंह संभाग 1/3 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भागीरथ पुत्र सुन्दरा 1/3 रामनिवास पुत्र जगन्नाथ प्रेमा गुडडी पुत्री जगन्नाथ संभाग 1/3 दरभाग 61/453 रामवती बेबा मोहन सिंह गिराज बन्टी पुत्र मोहन सिंह माया पुत्री मोहनसिंह 2/453 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी हाकिम सोवरन द्वारिका संभाग 6/453 रामस्वरूप 6/453 पुत्र मंगलिया जाति गड़रिया नि. इटावली का पुरा श्रीमती जनकश्री पत्नी रामहेत 88/453 गूठा. जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम मजरा घसटुआ भूमिस्वामी मुशोभा बेबा सिताराम नारायण सिंह बलिराम भूरा बंटी पुत्र सीताराम संभाग 2/3 रामहेत तुस्सीराम पुत्र जीवनलाल 2/9 संभाग पता निवासी ग्राम इटावली का पुरा भूमिस्वामी हरीसिंह पुत्र	नीम	1		
	289	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.481		-	-		
	291	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.554		बेर	1		
	292	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.439		बमूर	1		
	295	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.105		-	-		
	297	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.481		-	-		
	301	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.146		-	-		
	303	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.397		-	-		
	306	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.763		-	-		
	307	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.491		-	-		

					मुरारी 1/9 संभाग 34/453 नि.सेंधरी देवी पुत्र शंकर 17/453 सुन्दरिया बेवा हरिज्ञान गादीपाल उदयराज मटले पुत्र हरिज्ञान गीता पुत्री हरिज्ञान संभाग 17/453 जाति गडरिया पता निवासी ग्राम इटावली का पुरा भूमिस्वामी सिया पुत्र पोथी पोखन पुत्र शिवलाल संभाग 61/453 जाति काढी पता नि. खोखलि का पुरा भूमिस्वामी				
56.	296/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.052	वासुदेव सिंह जण्डेलसिंह परिमाल सिंह पंजाबसिंह वकीलसिंह तहसीलदारसिंह बबू राजा योगेन्द्रसिंह पुत्र केशवसिंह मु. दुलारी बेवा केशवसिंह 1/3 रणवीरसिंह आफीसर सिंह पुत्र साहब सिंह संभाग 2/3 जाति गृ. ठ. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	-	-	-	
57.	302/1 मि.1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.317	लज्जाराम पुत्र हुकमसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमि स्वामी	-	-	-	
58.	302/1 मि.2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.045	लोकेन्द्र सिंह पुत्र सरनामसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी विक्रय से वर्जित	-	-	-	
59.	309/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.920	रामपालसिंह पुत्र सरनामसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी विक्रय से वर्जित	-	-	-	
60.	309/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.355	भोलाराम पुत्र सरनामसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी विक्रय से वर्जित	-	-	-	
61.	309/3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.052	दाताराम सिंह पुत्र सरनामसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी विक्रय से	-	-	-	

					वर्जित			
62.	310 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.429	रामप्रकाश सिंह पुत्र सरनामसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी विक्रय से वर्जित	-	-	-
63.	323	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.951	सियाराम हलुके पुत्र नवला स.भा. 1/2 मु. भोगा बेवा ल्होरे मु. आनंदी बेवा मवसिया स.भा. 1/2 जाति गडरिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	-	-	-
64.	327 ✓	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.334	हरीसिंह कल्यानसिंह राजेन्द्रसिंह प्रतापसिंह अवधकिशोर पुत्रगण लाखन सिंह मु. कटोरी बेवा लाखन सिंह जाति गूठा. पता निवासी. ग्राम समान भाग भूमि स्वामी			
	328 ✓	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.460		-	-	-
	330 ✓	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.209		-	-	-
	331 ✓	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.512		-	-	-
	616 ✓	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.031		-	-	-
	617 ✓	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.084		-	-	-
	645 / 1 ✓	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.314		-	-	-
	649 ✓	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.042		-	-	-
	650 ✓	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.105		-	-	-
	652 ✓	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.167		-	-	-
	653 ✓	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.167		-	-	-
85.	337 / 3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.105	प्रतिपालसिंह पुत्र रघुराजसिंह 41/91 गुर्जर परिमालसिंह वासदेव पुत्र बेदरिया 50/91 जाति खटीक पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी नवला पुत्र नथुआ जाति काढी पता निवासी	-	-	-

					ग्राम अधिपत्त कृषक मु.जा. 12 साल			
66.	✓ 337 / 4	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.188	बह्दी पुत्र मुला जाति काढ़ी पता नि. मजरा खोखल का पुरा शासकीय पटटेदार अहस्तांतरणीय	-	-	-
67.	586 / 3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.042	पूरनसिंह सुल्तानसिंह केशवसिंह पुत्र रामराजसिंह कमला पुत्री रामराजसिंह कटोरी बेवा रामराजसिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी	-	-	-
68.	642 643 644 655	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.136 0.157 0.324 0.199	हरीसिंह कल्यानसिंह राजेन्द्रसिंह प्रतापसिंह अवधकिशोरी पुत्र लाखन सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	- - - -	-	-
69.	332 / 1 333 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.805 0.596	शिवेन्द्र सिंह जितेन्द्र सिंह रामराजा श्यामराजा पि. गजेन्द्रसिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	- -	-	-
70.	332 / 2 333 / 2 335 336 659 660	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.418 0.209 0.418 0.408	मनोज सिंह अजयसिंह पि. रामशरण सिंह जाति गुर्जर पता निवासी. ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	- - - - - -	-	-
71.	586 / 2 587 पि. 1 639 640	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.021 0.052 0.282 0.146	देवेन्द्रसिंह प्रतिपाल सिंह कृष्णपालसिंह रविन्द्रसिंह प्रहलादसिंह पुत्र रघुराजसिंह ठाकुर बेटी पुत्री रघुराजसिंह जाति गुर्जर पता निवासी. ग्राम समान भाग भूमि स्वामी	- - - - -	-	-

		स्वामी	भूमि						
	641	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.355			-	-	
	657	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.376			-	-	
72.	582	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.324	पूरन सिंह सुल्तानसिंह केशवसिंह पुत्र रामराज सिंह संभाग 10/23 रघुवीरसिंह बाबूसिंह मानसिंह पुत्र भवानी सिंह संभाग 13/23 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी			-	-
	583/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.010			-	-	
	584	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.408			-	-	
	585	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.167			-	-	
	587 मि2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.063			-	-	
	596	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.867			-	-	
73.	339/3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.105	मोजीलाल परिमालसिंह वासुदेव पुत्र वेदरिया बसन्ती पुत्री वेदरिया मु. रामदेव बेवा वेदरिया जाति काढी पता निवासी ग्राम खोखलि का पुरा समान भाग भूमिस्वामी		-	-	-
74.	340/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.126	हरीसिंह रोशनसिंह कुंवरपाल पुत्रगण नवला जाति काढी पता निवासी ग्राम खोखलि का पुरा समान भाग भूमिस्वामी		-	-	-
75.	340/3 मि.1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.105	केशवसिंह पुत्र शिवलाल रक 0.507 प्रकाश पुत्र छविराम हि. रक 0.120 जाति काढी पता निवासी ग्राम खोखलि का पुरा भूमिस्वामी		-	-	-
76.	574	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.167	पूरन सिंह सुल्तानसिंह केशवसिंह पि. रामराज जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		-	-	-
	578	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.115			-	-	-
	579	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.115			-	-	-

77.	575 595 मि.5	भूमि स्वामी भूमि स्वामी	कृषि भूमि कृषि भूमि	0.136 0.240	रघुवीरसिंह बाबूसिंह मानसिंह पुत्रान भवानीसिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	-	-	-	
78.	606 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.209	रघुवीरसिंह बाबूसिंह पि. भवानीसिंह जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी	-	-	-	
	607	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.345		-	-	-	
	608	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.533		-	-	-	
79.	577	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.073	सिया पुत्र पोथी जाति काढी पता निवासी ग्राम खोखलिका पुरा भूमि स्वामी	-	-	-	
80.	581	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.240	पूरन सिंह सुल्तानसिंह केशवसिंह पि. रामराज सिंह स.भा. 10/23 रघुवीरसिंह बाबूसिंह मानसिंह पि. भवानीसिंह स.भा. 13/23 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	-	-	-	
81.	589	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.554	हरिसिंह पुत्र जगमनिसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	बेर	1		
	590	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.042		-	-		
	606 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.219		-	-		
82.	591 / 1 592	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.303	जितेन्द्रसिंह कलियानसिंह पुत्र लोकेन्द्रसिंह मु. कलिया बेवा लोकेन्द्रसिंह 1/3 स.भा मु. सरोज बेवा महेन्द्रसिंह राजेन्द्रसिंह बलवीर सिंह पुत्र महेन्द्रसिंह संतरा पुत्री महेन्द्रसिंह स.भा. 1/3 बैजनाथ सिंह पु. मंगलसिंह हि. 1/3 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	-	-	-	
	593 मि1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.303		-	-	-	
	594 मि1क	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.282		-	-	-	
	609 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.251		-	-	-	
83.	592 मि1	भूमि	कृषि	0.314		-	-	-	
		स्वामी	भूमि		पता निवासी. ग्राम भूमि स्वामी				
	593 मि. क	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.293		-	-	-	
	594 मि1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.282		-	-	-	
84.	595 मि1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.042	मुले सिंह पुत्र ओछे सिंह जाति गुर्जर पता निवासी. ग्राम भूमि स्वामी				

85.	595 मि२	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.094	दीरेन्द्र सिंह पुत्र ओछेसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	-	-	-
86.	595 मि३	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.052	वकील सिंह पुत्र ओछे सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	-	-	-
87.	595 मि४	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.052	गिरज सिंह पुत्र ओछे सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	-	-	-
88.	599 / १	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.543	मोजीलाल परिमालसिंह वासुदेव पुत्र वेदरिया बसन्ती पुत्री वेदरिया मु. रामदई बेवा वेदरिया संभाग 1/3 हरीसिंह रोशनसिंह कुंअरपाल पुत्र नवला संभाग 1/3 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी हरिवालस	आम	1	
	599 / २	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.010		-	-	-
	601	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.178		-	-	-
	602	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.031	शिवचरन बारेलाल पुत्र बुद्धा भागवती कस्तूरी कपूरी हलुकी पुत्री. बुद्धा संभाग 7/8 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी जगदीश रामहेत कमलसिंह मुनेश संजय पुत्र मोहरपाल शीला छत्तो मीरा विमला पुत्री. मोहरपाल कुन्ती बेवा मोहरपाल संभाग 1/8 दर भाग 1/3 जाति काढी पता निवासी ग्राम खोखलि का पुरा भूमि स्वामी	-	-	-
89.	604	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.157	हमीरसिंह पुत्र कप्तानसिंह जाति गुर्जर पता			
	605	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.345	निवासी ग्राम भूमि स्वामी	-	-	-
90.	611	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.324	मोटू उर्फ मोतीराम पुत्र लायकराम जाति ब्राह्मण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	-	-	-
	612	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.178		-	-	-
	614	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.157		-	-	-
91.	662	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.596	उदयभानसिंह पि. चंदनसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	-	-	-
	663	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.481		-	-	-

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की जौरा तहसील में ग्राम धमकन के आवश्यकता है— जौरा तहसील में ग्राम धमकन के नजदीक आसन नदी पर आसन बैराज निर्माण हेतु।
3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी जौरा जिला मुरैना के कार्यालय में देखा जा सकता है।
4. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जल संसाधन संभाग जौरा जिला मुरैना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. क्यू-कोर्ट कले.-राजस्व-भू-अर्जन-11-अ-82-2016-17-5271

चूंकि राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है कि नीचे दी गई अनूसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू अर्जन अधिनियम 2013 (क 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत एतद् द्वारा यह घोषित किया जाता है कि अधोलिखित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

### अनूसूची

#### 1. भूमि का वर्णन

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| क. जिला      | - मुरैना        |
| ख. तहसील     | - जौरा          |
| ग. ग्राम     | - सिघोरा        |
| घ. क्षेत्रफल | 71.829 हेक्टेयर |

संक्र.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हेक्ट. में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	वृक्ष		संरचना		
						किस्म	वृक्ष	प्रक्र.	किस्म पुस्ति	
1	1/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.418	सूबेदार सिंह पुत्र रामचरन हि. 11/56 उम्मेदसिंह पुत्र छोटेसिंह हि. 11/56 सियाराम पिता छोटेसिंह भाग 0.88 आरे दयालराम पु. प्रभूसिंह 0.32आरे दर भाग 11/56 जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी विजेन्द्रसिंह पुत्र फेरनसिंह सुनीता मुन्नी कमलेश पुत्री फेरनसिंह मु. रामश्री बेवा फेरनसिंह स.भाग 11/56 रामश्री बतसिया बिट्टो पुत्री. छोटेसिंह स.भाग 3/14 जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	बमूर बेर	1 1	-		
	114	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.272		-	-	-		
	116	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.115		-	-	-		
	117/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.157		बमूर नीम बेर	3 2 1	-		
2	1/2 मि1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.084	मातादीन रामू पिता ग्यासिया हलुकी कलिया मुन्नी पुत्रीयां ग्यासिया जाति गूठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी	-	-	-		
	1/9 मि1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.251		बमूर बेर	1 1	-		

3	1/2 मि 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.084	शान्ती अंगूरी पिता भगवानसिंह समान भाग जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	-	-	-
	1/9 मि 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.241		बमूर	5	-
4	1/2 मि 3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.084	मनीराम सिंह पुत्र बद्रीसिंह शीला द्वारिका सोनो भूरी पि. बद्रीसिंह मु. कोकिला बेवा बद्रीसिंह भाग समान जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	बमूर	2	-
	1/9 मि 3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.240		-	-	-
5	1/3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.209	जेनकसिंह पुत्र होतमसिंह राजाबेटी मुन्नी पुष्पा पि. होतम समान भाग 2/7 वीरेन्द्र राजेन्द्र महेश मुकेश योगेन्द्र पु. पीतम कोमेश पुत्री पीतम मु. कलावती बेवा पीतम स.भाग 5/28 जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी पातीराम नाबा. पु. चंदनसिंह अमलेश वीएस इंगिलश कमलेश नाबा. पुत्री चंदनसिंह स.भाग 5/28 काशीराम लखपति भीकम पुत्र करनसिंह संभाग 2/7 जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी रामदेव पुत्री ग्यासीराम 1/56 सुधरसिंह पुत्र देवलाल भाग 1/112 लखपति पुत्र करनसिंह भाग 5/112 जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	सफेदा बमूर	20 8	-
6	1/4	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.052	जाहरसिंह रामस्वरूप मनीराम परसादी पिता भगवानलाल लोंगसिरी पुत्री भगवानलाल स.भाग 1/2 राजाराम पुत्र झण्डू 1/2 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	बमूर	4	-
	1/5	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.157		बेर	2	-
7	1/6	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.314	लायकसिंह पुत्र हाकिमसिंह 1/2 आनंदी पुत्री उधोसिंह 1/2 जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	बमूर	1	-
8	1/8	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.397	गजराज बन्दावन बादामसिंह पिता सरमन स.भाग जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	बमूर	1	-
	382/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.836		नीम	1	-
	383	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.209		अमरलद	8	-
						नीम	5	-
						नीबू	3	-

	384 / मि2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.045		बमूर नीम शीशम	5 4 1	
9	1 / 10मि1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.052	भागवती, गुडडी पिता भीमा समान भाग 2/3 रामखिलाडी वीरेन्द्र पिता पंजाबसिंह वीकेश गुडडी पिता पंजाबसिंह मु. रामवती बेवा पंजाबसिंह भाग स.भा. 1/3 गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	बमूर बेर	2 1	-
10	1 / 10मि2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.042	रामबेटी पुत्री भीमा भाग 1/2 जगमनी सुंदरसिंह पुत्रान मु. बैकुण्ठी भाग समान भाग 1/2 जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	बमूर	1	-
11	1 / 10मि3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.042	संतोषी पुत्र भीमा रामबेटी कलावती पुत्रीया भीमा जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम स.भा. भूमिस्वामी	बमूर	1	-
12	1 / 10मि4	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.146	औतार सिंह दामोदर रामेश्वर बिन्दावन पिता रतनसिंह रामबेटी गोदावरी पुत्रीयां रतनसिंह मु. रामकटोरी बेवा रतनसिंह जाति. गू.ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी	बमूर	2	-
13	1 / 11	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.045	विशभर देवेन्द्र पुत्रान रामरतन 1/2 पप्पू पुत्र हुकमसिंह भाग 1/2 दर भाग 9/100 गू.ठा.नारायनी पत्नी रोशन भाग 11/100 मुरारी सोनेराम पुत्र मोती रामबेटी मुन्नी शीला पुत्रीयां मोती लहोई बेवा मोती स.भा. 20/100 जीगनिया कोकिला पुत्रीयां विरखा 27/100 गजराज बृन्दावन बादाम सिंह पिता सरमनसिंह 33/100 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम जिंदपुरा भूमिस्वामी	बमूर बेर	4 2	-
14	1 / 12	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.523	विशभर देवेन्द्र पुत्रान रामरतन 1/2 पप्पू पुत्र हुकमसिंह 1/2 दर भाग 4/50 नारायनी पत्नी रोशन 23/50 मुरारी सोनेराम पिता मोती रामबेटी मुन्नी शीला पुत्रीयां मोती लहोई बेवा मोती 10/50 जीगनिया कोकिला	बमूर बेर	4 3	-

					पुत्रीयां विरखा 13/50 जाति कुशवाह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी			
15	1/13/1 /1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.125	रन्धोर पुत्र जगन्नाथ भाग 5/57 आरती पुत्री दर्शनलाल पत्नी बकील सिंह मलखान पुत्र जगन्नाथ गोमती गुड़डी, पुत्री जगन्नाथ संभाग 52/57 जाति कुशवाह पता नि. जिन्दपुरा भूमिस्वामी	-	-	-
	1/13/3 /1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.397		बपूर बेर	2 1	-
	377/1/3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.073		बपूर	1	-
16	1/13/1 /2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.084	लाल सिंह पुत्र खाडे जाति कुशवाह पता नि. जिन्दपुरा भूमिस्वामी			
	1/13/3 /2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.230		बपूर नीम लिसाडा	3 1 1	-
	377/1/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.460		बपूर	1	-
	381/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.575		नीम बेर	1 1	-
17	1/13/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.836	राजाराम पु. झण्डू 1/4 जहारसिंह मनीराम पु. भगवानलाल स. भाग 1/4 सोबरनसिंह पु. गनेशराम भाग 2/3 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी रामपाल पु. सुधरसिंह 1/3 दर भाग 1/4 रघुनाथ पु. गनपत विशभर पु. कमलसिंह स.भाग 16/20 पूरनसिंह पु. हुक्मसिंह 4/20 दर भाग 1/4 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	बपूर	20	-
18	3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.920	लायकसिंह सहाबसिंह पि.0 भोगीराम सिंह भूरीबाई पत्नी रामहेत सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी	नीम बपूर	3 6	-
	14	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.094		बपूर	3	-
19	5/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.878	कल्यानसिंह बेताल सिंह दीना कंहई पि तेजसिंह समा भाग जाति गूठा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	बपूर नीम बेर	28 5 10	-
	5/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.418		-	-	-
	5/3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.460		बपूर	2	-
20	6/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.073	केदार पु. सतोली 1/2 विशाल राजवीर पुत्रान सरदार साजन्दे बेवा सरदार स.भाग 1/2 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	बपूर	1	-
	6/3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.073		बेर	1	-

	357 / 3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.178		नीम	1	-
21	6 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.073	वीरेन्द्र राजेन्द्र महेश मुकेश बंटी पुत्र। पीतमसिंह मु. कलावती बेवा पीतमसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी		-	-
	6 / 7	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.052		-	-	-
	29 / 1 / 6	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.105		बमूर	1	-
	31 / 5	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.105		बमूर	1	-
22	6 / 4	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.010	लोटन पुत्र शिकलाल जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	-	-	-
	21 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.042		बेर	1	-
	29 / 1 / 10	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.042		-	-	-
	31 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.010		बेर	1	-
	355 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.010		बमूर	1	-
	356 / 3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.084		-	-	-
23	6 / 5	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.063	मुन्नी पल्ली भूरा जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	-	-	-
	22 / 6	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.042				-
	31 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.031				-
	356 / 5	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.073		बेर	1	-
24	6 / 6	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.125	राजेश रामराज एंदलसिंह पुत्रान बाबूसिंह स.भा. जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी		-	-
	29 / 1 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.042				-
	31 / 4	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.460		बमूर	3	-
25	7	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.690	विनोद सिंह पुत्र सूबेदार सिंह विजेन्द्र सिंह पुत्र फेरनसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	बमूर	1	-
	10	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.052				-

	11	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.178		बमूर	2	-	
	13	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.063		-	-	-	
	16	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.021		पीपल नीम	1	-	
	17	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.010				-	
	18	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.470		नीम	1	-	
	19	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.021				-	
	20	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.042		-	-	-	
	24	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.094		बमूर	1	-	
	25	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.146		बमूर बेर	1	-	
	26	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.136		नीम	1	-	
	27	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.073		बमूर	1	-	
26	12	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.251	विनोद पुत्र सूबेदारसिंह दलवीरसिंह पुत्र विजेन्द्रसिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी	-	-	-	
	15	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.376		बमूर	2	-	
27	21 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.084	कोकसिंह पिता शिवलाल जाति कुशवाह पता निवासी मजरा जिंदपुरा भूमिस्वामी	बेलपत्र नीम	1	-	
	22 / 5	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.042		नीम	1	-	
	22 / 7	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.021		-	-	-	
	29 / 1 / 9	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.021				-	
	31 / 3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.073		बेर	1	-	
	355 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.010				-	
	356 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.157		-	-	-	

28	354 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.335	पहलवान सिंह सोबरन सिंह पुत्र गनेशा संभाग जाति कुशवाह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी पोखन पुत्र हरजीत जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम अधिपत्य कृषक	पीपल	1	-
29	354 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.031	कोक सिंह लोकेन्द्र कप्तान लोटन पुत्र शिवलाल बैकुन्ठी रामकुअरि पुत्री शिवलाल अजुद्धी बेबा शिवलाल संभाग 1/4 जनक सिंह बा. बेदम नावा. पुत्र होतम सिंह सर.भाई जनक सिंह खुद राजाबेटी पुष्पा, मुन्नी पुत्री होतम सिंह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी फूल सिंह दामोदर पुत्र असर्फी रामदेव पुत्री ग्यासीराम सुधर सिंह पुत्र देवलाल संभाग 1/4 सियाराम पुत्र भोगीराम त्रिवेणी बेबा भोगीराम केदार पुत्र संतोली सरदार पुत्र जीवनलाल शान्ती बेबा नारायण सिंह अशोक पुत्र नारायण सिंह नावा. सर. माँ शान्ती खुद पता निवासी ग्राम संभाग 1/4 भाग भूमिस्वामी गनपति पुत्र विकम रामरतन सुधर सिंह पुत्र गनेशा बतसिया मुन्नी पुत्री गनेशा मु. गनेशी बेबा गनेशा संभाग 1/4 दर भाग 1/3 जाति कुशवाह लखपति पुत्र करन सिंह भाग 2/3 जाति गूठा. पता निवासी जिन्दपुरा भूमिस्वामी पोखन पुत्र हरजीत जाति कुशवाह पता निवासी जिन्दपुरा अधिपत्य कृषक	बेर	1	-
30	22 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.010	दामोदर प्रभूसिंह प्रकाश रम्पू बा. फुटबल हेमराज नावा. पु. सुधरसिंह गुडडी बा. ममता नावा. पुत्री सुधरसिंह सर. माँ खुद मु. भागवती बेबा सुधरसिंह जाति कुशवाह पता निवासी जिन्दपुरा संभाग भूमिस्वामी			-
	23 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.042		बगूर	5	-
	28 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.031				-
	29 / 1 / 5	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.052		बगूर	1	-
31	22 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.010	रोशन पु. रामरतन जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	बेर	1	-

32	181 / मि 4	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.669	रोशन पुत्र रामरतन जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	बमूर बेर	4 1	-		
33	22 / 3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.125	लखपति पुत्र करनसिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	-	-	-		
	29 / 1 / 7	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.084		बमूर	2	-		
34	22 / 4	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.084	मुंशी सिंह गब्बरसिंह पुत्र. हाकिम सिंह संभाग जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	-	-	-		
	29 / 1 / 8	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.272		-	-	-		
	29 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.010		बमूर	1	-		
35	23 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.021	बीरबल पुत्र रामरतन जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी			-		
	28 / 2 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.021		बेर	1	-		
36	23 / 3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.010	सोबरन पुत्र गनेशा जाति कुशवाह पता नि. ग्राम भूमिस्वामी			-		
	28 / 3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.021		-	-	-		
	29 / 1 / 3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.021		-	-	-		
	30 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.031		बमूर	1	-		
37	28 / 2 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.010	कम्पोटर पुत्र रामरतन जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी			-		
	30 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.021		बमूर	1	-		
38	29 / 1 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.063	कोकसिंह कप्तानसिंह लोटनसिंह लोकेन्द्र पुत्र. शिवलाल बैकुण्ठी रामकुआरि पुत्री. शिवलाल जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम जिंदपुरा संभाग भाग भूमिस्वामी					
39	29 / 1 / 4	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.084	पहलवान पुत्र. गनेशा जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम जिंदपुरा भूमिस्वामी	-	-	-		
40	56 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.010	काशीराम पुत्र चतुरा भाग 104 / 106 भुजबल पुत्र काशीराम भाग 2 / 106 जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	-	-	-		
	57 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.073		नीम	1	-		

	126 / 3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.115			
41	34 / 1 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.418	रामनाथ पुत्र चतुर सिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	नीम	1
	51 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.021			-
	56 / 3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.063		-	-
	126 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.115		बमूर	1
42	34 / 2 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.418	कल्लू सिंह पुत्र चतुरसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	बमूर	18
	56 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.084			-
	126 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.115		बमूर	2
43	57 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.084	निहालसिंह पुत्र चतुरा जाति गूठा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी		-
	126 / 4	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.115		बमूर	2
44	34 / मि 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.195	लायकसिंह आशाराम पुत्र. भगवानसिंह मुन्नी राजाबेटी पुत्री. भगवानसिंह मुंशीया बेवा भगवानसिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	बमूर	6
	42	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.042		बेर	3
	43	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.125			-
	48	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.209		बमूर	1
	55	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.125		ऊमर शहदूत	1
	124	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.052		बेर बमूर	10 5
45	34 / मि 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.366	राजेन्द्र सिंह पुत्र सियाराम जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	बमूर नीम	5 1
46	37	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.073	जण्डेल सिंह पुत्र मोहनसिंह 150 / 328 साहबसिंह, कम्पोटरसिंह महेन्द्रसिंह पि. नवल रामबेटी पुत्री नवल हिस्सा 178 / 328 जाति गू.ठा.	बमूर	2
	38 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.209		बमूर	1

	39	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.052	पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी			-	
	40	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.115		बमूर बेर	1 1	-	
	47	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.105				-	
	143	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.355		बमूर	4	-	
47	38/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.314	मनीरामसिंह वीरेन्द्रसिंह लाखनसिंह नरेन्द्रसिंह पि. रघुवीरसिंह कमला फूलवती उर्मिला पि. रघुवीरसिंह शान्ती बेवा रघुवीर स.भाग 4/9 हलुकी पुत्री सीता भाग 1/9 तुस्सी पुत्र सीता भाग 4/9 जाति गू.ठ. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	बमूर	2	-	
48	38/3 मि1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.376	पहलवानसिंह लोटनसिंह केदारसिंह सरनामसिंह बजसिंह पुत्र रत्तीराम सिरमिती सरवदी सनेही पुत्री. रत्तीराम जाति गू.ठ. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी	-	-	-	
49	97	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.209	पहलवानसिंह पुत्र रत्तीराम भाग 350/400 सीताराम पुत्र रामप्रकाश भाग 50/400 रकबा 0.2 विस्ता 10 विस्तांसी जाति गूजर ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	बमूर	1	-	
50	38/3मि2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.386	पंजाबसिंह दयाराम जगदीश दशरथ पि प्रभसिंह शीला पप्पो पि प्रभ सिंह जाति गू.ठ. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी	बमूर	3	-	
51	38/3मि3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.387	हाकिम सिह गिरजि पि. हरगोविंद बसन्ती लच्छो भूरी पि हरगोविंद मु भागो बेवा हरिगोविंद भाग समान जाति गू.ठ. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	बमूर बेर	4 4	-	
52	44	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.105	मुनेश पत्नी रुस्तमसिंह ललिता पत्नी गजेन्द्रसिंह जाति गू.ठ. पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी	-	-	-	
	46	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.125		-	-	-	
	50	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.167		बमूर	2	-	

	52	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.199		-	-	-
53	53	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.167	मुनेश पत्नी रुस्तमसिंह भाग 1/2 आशाराम पुत्र भगवानसिंह भाग 1/2 जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	-	-	-
54	45	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.105	ललिता पत्नी गजेन्द्रसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी			-
55	49	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.136	रेवती पत्नी जगमनिसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	-	-	-
	58	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.293		-	-	-
	59	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.251		-	-	-
	60	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.240				
56	51 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.136	भूरी पुत्री चतुरा जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	बमूर	3	-
57	61	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.188	जगमनिसिंह पुत्र रामरतन सिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी			-
	63 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.052		-	-	-
	64	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.345		-	-	-
	181 / मि1 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.669		बमूर बेर	4 2	-
58	62	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.219	रामहेत लायकसिंह पि भोगीराम मु. चिरोंजी बेवा भोगीराम समान भाग 3/4 साहबसिंह पिता भोगीराम 23/187 रामबेटी पत्नी रमेश 24/187 दर भाग 1/4 जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	बेर पीपल बमूर	2 1 2	-
59	65	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.125	रामदयाल रमेश राजेन्द्र कदमसिंह पि. प्यारे प्रेम पुत्री प्यारे मु. कलावती बेवा प्यारे संभाग 1/6 सरमन छिददी चितामनि पिता देवीया बतसिया मथुरा पि. देवीया भाग समान भाग 5/6 जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	बेर बमूर	1 2	-
	86	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.575				-
	89	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.021				-
	90	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.021				-

	91	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.084		-	-	-
	92	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.042		-	-	-
	93	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.063		बमूर	1	-
	95	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.522		बमूर बेर	8 2	-
	145	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.596		बमूर बेर	8 9	-
60	67 मि2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.157	पातीराम उमेश पूरनसिंह जसवन्तसिंह पुत्रगण नवलसिंह रामकली बेवा नवलसिंह जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी रामकली पत्नी नवलसिंह जाति गूठा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	-	-	-
	68 मि2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.272		-	-	-
61	66	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.355		बमूर	2	-
	67 मि1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.157		-	-	-
	68 मि1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.282				-
62	69	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.293	श्रीमती अंगूरी पत्नी औतारसिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी			-
63	88	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.481	अंगूरी पत्नी औतारसिंह भाग 38 विस्वा 6 सही 1/2 विस्वांसी औतारसिंह पुत्र हाकिमसिंह भाग 7 विस्वा 13 सही 1/2 विस्वांसी जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी			-
64	70	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.167	भूरासिंह संतोषी रामभजन पिता विशालसिंह मीरा गुडडी पुत्री. विशालसिंह मु. बैजन्ती बेवा विशालसिंह संभाग 6/7 राजवीर बा. धीरज संजूसिंह नाबा. पुत्र हमीरसिंह सीमा कल्लो मल्लो नाबा. पुत्री. हमीरसिंह सर. मां खुद मु. सुनीता बेवा हमीरसिंह स.भाग 1/7 जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी			-
	79	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.209		-	-	-
65	71	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.042	मुकेश पिता कप्तानसिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	बमूर	2	-

66	72	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.178	औतारसिंह पुत्र हाकिमसिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	सफेदा	2	-
	73	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.209		बमूर	1	-
	74 / मि2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.052		बमूर	1	-
	77	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.146		-	-	-
	78	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.178		-	-	-
	81	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.188		-	-	-
	82	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.292		-	-	-
	83	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.293		-	-	-
67	87	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.940	औतारसिंह पुत्र हाकिमसिंह हि. 4/6 अंगूरी पत्नी औतारसिंह 7 विस्वा द्वोपति पत्नी पहलवानसिंह भाग 23 विस्वा जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी			
68	74 / मि1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.052	सरदारसिंह पि. शंकरसिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	बेर	1	-
69	75	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.264	बनवारी बाबू सुरेश गिरीश बा. अशोक नाबा. पि. शिवचरन द्वारिका कमला सुनीता पुत्रीयां शिवचरन सरप. रामकटोरी मां खुद मु. रामकटोरी बेवा शिवचरन स.भाग 31/2420 रामदुलारी पत्नी रघुनाथ सिंह भा.086/2420 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सीताराम पुत्र रामप्रसाद भाग 293/2420 मुंशी गब्बरसिंह पिता हाकिमसिंह स.भाग 551/2420 अंगूरी पत्नी औतारसिंह भाग 1459/2420 जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	बेर बमूर सेजना	10 5 19	-
70	137	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.136	बनवारी बाबू सुरेश गिरीश बा. अशोक नाबा. पुत्र शिवचरन द्वारिका कमला सुनीता पुत्री शिवचरन सर. मां खुद रामकटोरी बेवा शिवचरन संभाग	बमूर	5	-

						35/2440 सीताराम पुत्र रामप्रसाद भा.457/2440 मुंशी गब्बर सिंह पुत्र हाकिम सिह संभाग 652/2440 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी दीवान गब्बर सिंह, कोक सिह सुल्तान पुत्रगण हाकिम सिंह भा. 1296/2440 जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी			
71	80	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.178		रामजीलाल पुत्र पंछी जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	-	-	
	149 /मि 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.575			बमूर वेर	2 2	
72	85	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.366		दर्शनलाल, हलुका गब्बर पुत्र. घमण्डी शीला विधा भीना पुत्री. घमण्डी संभाग 55/700 जाति बाढ़ई गब्बरसिंह पुत्र हाकिमसिंह 1/2 औतार पुत्र हाकिमसिंह 1/2 दर भाग 095/700 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी प्रकाश पु. भगवानसिंह 078/700 हरविलास पु. बूचा मु. राधा बेवा बूचा 350/700 लोंडू पुत्र बूचा 122/700 जाति बाढ़ई पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	-	-	
73	96	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.314		दर्शनलाल, हलुका गब्बर पुत्र. घमण्डी शीला विधा भीना पुत्री. घमण्डी संभाग 240/1760 प्रकाश पु. भगवान सिंह 200/1760 लोंडू पुत्र बूचा 440/1760 गब्बर सिंह पुत्र हाकिमसिंह 87/1760 दर भाग 1/2 जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी चबूतरा हनुमानजी दीवानसिंह गब्बरसिंह कोकसिंह सुल्तानसिंह पुत्रगण हाकिमसिंह संभाग 968/1760 जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	नीम पीपल वेर	6 2 1	
74	117/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.157		मुन्नी पुत्री रामरतन जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	बमूर नीम	2 2	
75	84	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.261		रमेश सिंह पुत्र रामरन सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी		-	
	118	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.063			बमूर	2 -	

	119	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.021		-	-	-
	120 / मि2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.230				-
	181 / मि 3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.669		बमूर बेर	5 3	-
76	120 / मि1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.230	रामदई, जसोदा, बसन्ती, पुत्रीयान देवीसिंह समान भाग जाति गूजर ठाकुर पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	बमूर	2	-
77	122	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.199	कप्तानसिंह पुत्र गुलाबसिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	बमूर बेर	7 8	-
78	127 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.105	कसीराम रामनाथ कल्ला निहालसिंह पि चतुरा भूरी पुत्री चतुरा जाति गूठा. पता निवासी ग्राम शासकीय पटटेदार	-	-	-
79	141 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.418	बज्रसिंह सरनामसिंह पुत्रान रत्नीराम समान भाग जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	बेर बमूर	1 3	-
80	141 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	2.205	दीवान सिंह गब्ररसिंह पुत्रान हाकिमसिंह स.भा 84 / 211 काकेसिंह सुल्तानसिंह पुत्रान हाकिम सिंह स.भा. 127 / 211 जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	बमूर बेर	18 10	-
81	142	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.094	सुखदेव लायकसिंह वकीलसिंह पुत्रान लालकिशन बैजन्ती विमला पुत्रीयां लालकिशन स.भा. 1 / 2 सोनेराम पि. कुढेरी 1 / 2 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम घूघस भूमिस्वामी	बमूर	2	-
	146	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.648		बमूर बेर	6 4	-
	147	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.084				-
	148	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.042		बेर	2	-
	151	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.052		बमूर	1	-
	152	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.219		बमूर	1	-
82	149 / मि 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.993	जगदीश, वकील, बादाम पि. लज्जाराम जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	बमूर बेर	3 2	-
83	149 / मि 3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.073	रामधार सिंह पुत्र पंछी जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	बमूर	4	-

84	150 / मि 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.293	रणवीर सिंह पुत्र सोनेराम जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	बमूर नीम वेर सफेदा	9 3 6 3	-
85	150 / मि 4	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.387	रामवरन सोनेराम रामसहाय रामलखन पि देवीसिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	बमूर नीम वेर सफेदा	9 2 6 4	-
86	160	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.408	रघुराजसिंह महावीरसिंह रणवीरसिंह पि पहलवान सिंह भाग समान जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	शीशम लिंगाड़ा नीम	1 1 3	-
	161	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.188		वेर	18	-
87	168	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.794	लोटनसिंह पुत्र रतीराम सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	बमूर वेर	4 5	-
88	177 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.369	धनीराम पुत्र कंचन सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	बमूर वेर नीम	7 3 2	-
89	177 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.254	भरतसिंह पुत्र कंचनसिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	बमूर वेर नीम	5 2 1	-
90	177 / 3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.596	जण्डैलसिंह पुत्र सोबरनसिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	बमूर वेर	3 1	-
91	181 / मि 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.418	अतरसिंह पुत्र हलके जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	बमूर वेर	4 3	-
92	181 / मि 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.669	भूरासिंह पुत्र रामरतन सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	बमूर वेर	6 3	-
93	181 / मि 5	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.157	लोकेन्द्रसिंह पुत्र शत्रुघ्नसिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	बमूर वेर	5 2	-
	183 / मि 6	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.616		बमूर वेर	2 1	-
94	181 / मि 6	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.115	कल्याणसिंह पुत्र शत्रुघ्नसिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	बमूर वेर	4 3	-
	183 / मि 7	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.422		वेर बमूर	1 2	--
95	181 / मि 1 / 3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.668	बाबू पुत्र रामरतन जाति गूठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	बमूर वेर	6 4	-
	63 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.251		-	-	-

96	183 / मि 3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.475	मुन्नासिंह पुत्र अतरसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	बभूर बेर	6 4	-
97	355 / 3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.010	मनोजसिंह रंजीतसिंह पुत्र अतरसिंह रीना नाबा पुत्री अतरसिंह सर मां खुद मु. रामबेटी बेवा अतरसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम स.भा. भूमिस्वामी	बेर	1	-
98	355 / 4	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.010	रघुनाथ पुत्र गनपत ल्होई पुत्री गनपत सभाग 1/10 कमलू पुत्र गनपत 9/10 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी			-
	356 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.094				-
99	357 / 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.084	पातीराम पुत्र तंदनसिंह 7/8 अमरेश वी.एस. इग्निश कमलेश नाबा पुत्री. चंदनसिंह सर मां खुद मु. राजाबेटी बेवा चंदनसिंह स.भाग 1/8 जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी			-
100	357 / 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.094	काशीराम पुत्र करनसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी			-
101	357 / 4	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.073	भीकमसिंह पुत्र करनसिंह जाति गू.ठा. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी			-
102	361	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	2.435	जहारसिंह पुत्र भगवानलाल 21/233 रामस्वरूप मनीराम पुत्र भगवानलाल लोंगश्री पुत्री भगवानलाल स.भा. 17/233 परसादी पुत्र भगवानलाल भाग 35/233 10विस्वांसी राजाराम पुत्र झण्डू 35/233 रामसिंह पुत्र देवलाल कुंअरदे पुत्री देवलाल स.भाग 18/233 दिलीप छोटेलाल बच्चू नाबा. पुत्र अमरसिंह शारदा गिरजा नीरज नाबा. पुत्री अमरसिंह नाबा. सरप. मां खुद बसन्ती बेवा अमरसिंह समान भाग 14/233 10 विस्वांसी रामकटोरी पुत्री मोहनसिंह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी कौसा बेवा मोहनसिंह 14/233 सुरेश वीरेन्द्र पुत्र शुक्ल 36/233 शीला कलिया बा. गुडडी नाबा. पुत्री शुक्ल सर. मां खुद सावित्री बेवा शुक्ल 42/233 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	बर बेर नीम ऊमर	8 4 1 1	-

103	362	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.010	जाहरसिंह पुत्र भगवानलाल 7/77 रामस्वरूप मनीराम परसादी पुत्र भगवानलाल लोंगश्री पुत्री भगवानलाल संभाग 8/77 राजाराम पुत्र झण्डू 10/77 रामसिंह पुत्र देवलाल कुंअरदे हलुकी रामदुलारी पुत्री देवलाल संभाग 15/77 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी धर्मपाल नरेश दशरथ पुत्र पंचमसिंह मालती पुत्री पंचमसिंह संभाग 5/77 उदयसिंह महेश पुत्र नवलू मीना केतुकी भिथलेश शकीला बा. केशकली नाबा. पुत्री नवलसिंह सर. माँ बैकुण्ठी बेवा नवलू स. भाग 5/77 दिलीप छोटेलाल बच्चू नाबा. पुत्र अमरसिंह शारदा गिरजा नीरज नाबा. पुत्री अमरसिंह सर. माँ खुद मु. बसन्ती बेवा अमरसिंह संभाग 4/77 10 विस्वांसी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी लायकसिंह पुत्र मोहनसिंह 4/77 -10 वि. रामकटोरी पुत्री मोहनसिंह कोसा बेवा मोहनसिंह स. भाग 4/77 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी सुरेश वीरेन्द्र पुत्र शुक्लू शीला कलिया बा. गुडडी नाबा. पुत्री शुक्लू सर. माँ मु. सावित्री बेवा शुक्लू संभाग 14/77 जाति कुशवाह पता निवासी जिंदपुरा भूमिस्वामी	बेर बमूर	1 1	-
104	375 / मि 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.523	बालिराम बा. भरतसिंह नाबा. पि. रजुआ शान्ती बा सुभद्रा नाबा पि रजुआ सर. मु. रामरती माँ खुद मु. रामरती बेवा रजुआ भाग समान भाग जाति काढी पता निवासी ग्राम शासकीय पटटेदार	बमूर	2	-
	415 / 3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.888	मातादीन मौजीराम पि. छवीराम मुन्नी पुत्री छवीराम मु. बैकुण्ठी बेवा छविराम भाग समान जाति जाटव पता निवासी ग्राम शासकीय पटटेदार	बमूर	2	-
105	375 / मि 2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.314	मातादीन मौजीराम पि. छवीराम मुन्नी पुत्री छवीराम मु. बैकुण्ठी बेवा छविराम भाग समान जाति जाटव पता निवासी ग्राम शासकीय पटटेदार	बमूर	2	-

106	376	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.470	विसम्बर देवेन्द्र पुत्रान रामरतन 1/2 पप्पू पुत्र हुक्मसिंह 1/2 दर भाग 1/5 गूठा मुरारी सोनेराम पिता मोती रामबेटी मुन्नी शीला पुत्रीयां मोती ल्होई बेवा मोती 1/5 जीगनिया कोकिला पुत्रीया बिरखा 4/15 गजराज बृन्दावन बादाम पि. सरमन 1/3 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी	बमूर बेर	1 10 3	-
107	377/1/5	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.293	औतार रामवरन पुत्रगण कंचना जाति कुशवाह पता निवासी जिन्दपुरा समान भाग भूमिस्वामी	बमूर बेर	1 4	-
	381/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.013		बमूर तिसाडा	8 2	-
108	377/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.150	बल्लू खां पुत्र मुन्ना खां जाति मुसलमान तेली पता निवासी ग्राम सुभाष रोड जौरा भूमिस्वामी	बमूर	1	-
109	377/1/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.094	सन्तो पल्ली सियाराम जाति कुशवाह पता निवासी जिन्दपुरा भूमिस्वामी	बमूर	2	-
110	377/1/4	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.250	सुमेरा पुत्री लल्ला भाग 7/24 राजो बेबा लल्ला भाग 10/24 अंगूरी शीला रामा पुत्री कुअरपाल संभाग 7/24 जाति कुशवाह पता निवासी जिन्दपुरा भूमिस्वामी			-
111	384/मि1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.627	उदयसिंह महेश पि. नवल सिंह मीना केतुकी मिथलेश सकीला बा केशकली नावा. पुत्रीयान नवलू मु. बैकुण्ठी बेवा नवलू भाग 1/2 सियाराम पुत्र मोरीराम हि. 1/2 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	बमूर नीम	3 3	-
112	384/मि 3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.418	रामसिंह पुत्र देवलाल जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	बमूर नीम	2 2	-
113	413/1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.254	मजबूत सिंह पुत्र सरदार सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी	बेर बमूर नीम हिंगोट रेमजा गुलर	10 112 42 20 30 4	-
114	413/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.285	आशाराम पुत्र सरदारसिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी	बमूर बेर नीम हिंगोट	89 20 20 12	-

							रेमजा छोकर अरु	25 10 2	
115	413/3	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	1.097	परसराम पुत्र सरदारसिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी	नीबू बगूर नीम हिंगोटा रेमजा छोकर सेमरा	10 104 47 17 20 5 2	—	
116	414	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.314	सीताराम पुत्र सरदार सिंह जाति गूठा. पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी	नीम नीबू शहतूत लिसाडा बेर हिंगोट शीशम रेमजा	12 11 2 2 7 10 2 17		
	415/2	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.188					
	416	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.261					
	417	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.627			बेर	1	
117	418/मि 1	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.418	राजू पुत्र लज्जाराम जाति गूठा. पता निवासी ग्राम घसटुआ भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय	बगूर बेर	3 5		
118	374	भूमि स्वामी	कृषि भूमि	0.157	जनकसिंह पुत्र होतमसिंह भाग 2/70 राजाबेटी मुन्नी पुष्पा पिता होतम भाग समान भाग 3/70 जाति कुशवाह काशीराम लखपति भीकम पिता करनसिंह भाग समान भाग 1/14 जाति गूठा. पहलवान रामनाथ रमेश लक्ष्मण पिता फददी मु. ल्होरी बेवा फददी भाग समान भाग 1/14 रामश्री गंगो पिता गयाजीत भाग समान 2/112 रघूवर पुत्र ग्यासीराम रामदेई पुत्री ग्यासीराम भाग समान भाग 1/12 रामविलास टीकाराम सुधरसिंह पिता देवलाल हलुकी पुत्री देवलाल भाग समान जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी भाग 1/12 दर भाग 1/28 जाति कुशवाह लखपति पुत्र करनसिंह भाग रकबा 50/5120 दर भाग 1/28	अमरुद नीबू मौसमी आम कटहल ऊमर	16 7 1 2 2 2		

				जाति गूठा. जाहरसिंह रामस्वरूप मनीराम परसादी पि. भगवानलाल लोंगश्री पुत्री भगवानलाल भाग समान भाग 3/48 राजाराम पुत्र झण्डू 3/48 दर भाग 1/8 रामसिंह पि. देवलाल 1/48 धर्मपाल नरेश दशरथ पु. पंचम मालती पुत्री पंचम 1/48 उदयसिंह महेश पिता नवलू भीना केतुकी मिथ्यलेश शकीला बा. केशकली नाबा. पिता नवलू सर. जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी मां बैकुण्ठी खुद मु. बैकुण्ठी बेवा नवलू संभाग 1/48 कुंअरदे हलुकी रामदुलारी पि. देवलाल संभाग 3/48 दर भाग 1/8 काशीराम लखपति भीकम पुत्र करनसिंह संभाग 1/8 सुरेश वीरेन्द्र पिता शुक्लू शीला कलिया बा. जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी गुडडी नाबा. पिता शुक्लू नाबा. सर. सावित्री मां खुद मु. सावित्री बेवा शुक्लू भाग समान भाग 1/8 कोकसिंह लोकेन्द्रसिंह कप्तानसिंह लोटनसिंह पिता शिवलाल भाग समान भाग 1/4 दर भाग 1/4 जाहरसिंह रामस्वरूप मनीराम परसादी पि. भगवानलाल लोंगश्री पुत्री भगवानलाल संभाग 1/8 राजाराम पुत्र झण्डू भाग 1/8 दर भाग 1/4 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम जिंदपुरा भूमिस्वामी		
कुल क्षेत्रफल है:-	71.829					

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की जौरा तहसील में ग्राम धमकन के नजदीक आवश्यकता है:-
3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी जौरा जिला मुरैना के कार्यालय में देखा जा सकता है।
4. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जल संसाधन संभाग जौरा जिला मुरैना के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्र. क्र. 24-अ-82-भू-अर्जन-रेलवे-जयपुर उर्फ नयागांव-2017-5282

{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सिहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (गवालियर-घोपुरकलौं रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम जयपुर उर्फ नयागांव, तहसील व उपखण्ड मुरैना, जिला-मुरैना में कुल रकवा 1.550 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम 4 के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला-मुरैना तहसील-मुरैना के ग्राम-जयपुर उर्फ नयागांव प.ह.नं. 89, रा.नि. वृत-08 में उक्त परियोजना के लिये 0.560 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया प्रस्तावित किया जाता है:-

### सूची

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यवित का नाम और पता
1	772	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.059	कमला सिंह पुत्री उत्तमसिंह कौम गूठाठनी० बुद्धी का पुरा भूमिस्वामी
2	773	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.013	कमला सिंह पुत्री उत्तमसिंह कौम गूठाठनी० बुद्धी का पुरा भूमिस्वामी
3	774	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.123	कुअरपाल रकवा 0.209 सन्तोषीलाल रकवा 0.449 बच्चुसिंह रकवा 0.209 पुत्र रामजीत सिंह, रामजीत सिंह पुत्र दयाराम रकवा 0.627, सत्यनारायण, दिलीपराम, सत्यभान, भूपेन्द्र पुत्र रामवरन, सूरज बाई वेवा रामवरन, पूजा, नेमोदेवी पुत्रियाँ रामवरन जाति राठौर निं० थाना का पुरा सं०भा० रकवा 0.836 भूमिस्वामी
4	775 / 1 मिन.1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.312	कुअरपाल रकवा 0.209 सन्तोषीलाल रकवा 0.449 बच्चुसिंह रकवा 0.209 पुत्र रामजीत सिंह, रामजीत सिंह पुत्र दयाराम रकवा 0.627, सत्यनारायण, दिलीपराम, सत्यभान, भूपेन्द्र पुत्र रामवरन, सूरज बाई वेवा रामवरन, पूजा, नेमोदेवी पुत्रियाँ रामवरन जाति राठौर निं० थाना का पुरा सं०भा० रकवा 0.836 भूमिस्वामी
	775 / 1 मिन.2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		कमला सिंह पुत्री उत्तमसिंह जाति गूठाठनी० बुद्धी का पुरा भूमिस्वामी

	775 / 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		कुअरपाल रकवा 0.209 सन्तोषीलाल रकवा 0.449 बच्चुसिंह रकवा 0.209 पुत्र रामजीत सिंह, रामजीत सिंह पुत्र दयाराम रकवा 0.627, सत्यनारायण, दिलीपराम, सत्यभान, भूपेन्द्र पुत्र रामवरन, सूरज बाई वेवा रामवरन, पूजा, नेमोदेवी पुत्रियाँ रामवरन जाति राठौर निं० थाना का पुरा सं०भा० रकवा 0.836 भूमिस्वामी
5	778	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.053	कमला पुत्री उत्तमसिंह जाति गूठाठनि० बुट्टी का पुरा भूमिस्वामी

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

**विशेष :** धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 25-अ-82-भू-अर्जन-रेलवे-बामौरकंला-2017-5277.—

भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 {सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्वस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (गवालियर-श्योपुरकलौ रेलवे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम बामौरकलां, तहसील व उपखण्ड मुरैना, जिला-मुरैना में कुल रकवा 12.854 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम 4 के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला-मुरैना तहसील-मुरैना के ग्राम-बामौरकलां प.ह.नं. 89, रा.नि. वृत्त-08 में उक्त परियोजना के लिये 12.854 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया प्रस्तावित किया जाता है:-

### सूची

क्र. सं.	सर्व नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	621 मिन.	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.130	प्रकाश करनसिंह पुत्रगण मवसिया स०भा० जाति जाटव नि०थाना का पुरा भूमिस्वामी
	621 मिन.	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		दयालसेवा एवं शिक्षा समिति रजि. नं. 5338 द्वारा अध्यक्ष आर.एस.शर्मा पुत्र आर. सी.शर्मा सचिव हरेन्द्र पुत्र आर.एस. शर्मा जाति ब्रा० नि० गवालियर भूमिस्वामी
2	622	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.124	सोवरन सिंह पुत्र छिदा जाति जाटव नि. ग्राम भूमिस्वामी
3	624	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.066	सुरेशचन्द्र पुत्र मुंगाराम जाति जाटव नि. थाना का पुरा भूमिस्वामी
4	625	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.075	कैलाशी वाई पत्नि किशनलाल गौरीशंकर पुल्षोत्तम बा० अजय नाबा० पुत्र किशनलाल दीपा बा० ज्योति नाबा० पुत्रियॉ किशनलाल सर माँ खुद स० भाग जाति जाटव नि० थाना का पुरा भूमिस्वामी
5	626	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.040	कैलाशी वाई पत्नि किशनलाल गौरीशंकर पुल्षोत्तम बा० अजय नाबा० पुत्र किशनलाल दीपा बा० ज्योति नाबा० पुत्रियॉ किशनलाल सर माँ खुद स० भाग जाति जाटव नि० थाना का पुरा भूमिस्वामी
6	629	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.053	दीपक, दिनेश, राकेश पुत्रगण चन्द्रभान स० भा० जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
7	631	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.007	दीपक, दिनेश, राकेश पुत्रगण चन्द्रभान

					s0 भा० जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
8	633/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.131	दीपक, दिनेश, राकेश पुत्रगण चन्द्रभान स0 भा० जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
	633/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		सूरजभान उदयभान ओमप्रकाश हि० 3/4 सरोज वेवा हरिकृष्ण आनन्द अजय कुमार पत्र हरिकृष्ण अंजना प्रियंका पुत्री हरिकृष्ण स0 भा० 1/4 जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी
9	632	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.065	दीपक, दिनेश, राकेश पुत्रगण चन्द्रभान स0 भा० जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
10	644	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.013	संदीप पुत्र डॉ एस.वी.मलैया वैशाली पुत्री ठा० एस० वी० मलैया जाति खत्री मौहल्ला ग्वालियर भूमिस्वामी
11	645	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.032	सूरजभान, उदयभान, ओमप्रकाश हि० 3/4 सरोज वेवा हरिकृष्ण आनन्द अजय कुमार पत्र हरिकृष्ण अंजना प्रियंका पुत्रियाँ हरिकृष्ण स0भा० 1/4 जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
12	646	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.038	सूरजभान, उदयभान, ओमप्रकाश हि० 3/4 सरोज वेवा हरिकृष्ण आनन्द अजय कुमार पत्र हरिकृष्ण अंजना प्रियंका पुत्रियाँ हरिकृष्ण स0भा० 1/4 जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
13	647	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.002	सूरजभान, उदयभान, ओमप्रकाश हि० 3/4 सरोज वेवा हरिकृष्ण आनन्द अजय कुमार पत्र हरिकृष्ण अंजना प्रियंका पुत्रियाँ हरिकृष्ण स0भा० 1/4 जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
14	263	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.125	राकेशसिंह पुत्र सुगीबसिंह श्यामसुन्दर पुत्र रामकिशोर जयपाल सिंह पुत्र सामन्तसिंह स0भा० जाति ठा० नि० ग्वालियर भूमिस्वामी
15	264 मिन.	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.115	सुरेश पुत्र भगवानलाल शिवहरे जाति कलार नि० वामौर भूमिस्वामी
	264 मिन.	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		पुन्ना पुत्र तेजासिंह जाति गडरिया नि० ग्राम भूमिस्वामी।
16	265	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.219	उषादेवी पत्नि शिवनारायण जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
17	266	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.125	उषादेवी पत्नि शिवनारायण जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
18	267	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.145	मनोज भट्टेले पुत्र रमेश भट्टेले जाति ब्रा० नि० सत्यदेव नगर ग्वा० सचिव रामसनेही सुकला शिक्षण संस्था वामौरगाँव भूमिस्वामी
19	268	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.224	मनोज भट्टेले पुत्र रमेश भट्टेले जाति ब्रा०

						नि० सत्यदेव नगर ग्वा० सचिव रामसनेही शुकला शिक्षण संस्था बामौरगाँव भूमिस्वामी
20	269	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.195		मुरारीलाल राधेश्याम शम्भूदयाल पुत्र रामस्वरूप स.भा. 4 / 5 पवन कुमार पुत्र मुरारीलाल शुकला हि० 0.160 निवासी बामौरगाँव रमन पुत्र राधेश्याम शुकला अरुण पुत्र शंभू दयाल शुकला रकवा ०. 320 जाति ब्रा० नि० फड़ का पुरा स०भाग दर भाग 1 / 5 नि० ग्राम भूमिस्वामी
21	270	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.303		ओमप्रकाश पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी
22	271	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.146		वृजभूषण पुत्र कल्याण जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी
23	272	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.230		ओमप्रकाश पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी
24	282	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.165		मुरारीलाल राधेश्याम शम्भूदयाल पुत्र रामस्वरूप स.भा. 4 / 5 पवन कुमार पुत्र मुरारीलाल शुकला हि० 0.160 निवासी बामौरगाँव रमन पुत्र राधेश्याम शुकला अरुण पुत्र शंभू दयाल शुकला रकवा ०. 320 जाति ब्रा० नि० फड़ का पुरा स०भाग दर भाग 1 / 5 नि० ग्राम भूमिस्वामी
25	237	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.036		मुरारीलाल राधेश्याम शम्भूदयाल पुत्र रामस्वरूप स.भा. 4 / 5 पवन कुमार पुत्र मुरारीलाल शुकला हि० 0.160 निवासी बामौरगाँव रमन पुत्र राधेश्याम शुकला अरुण पुत्र शंभू दयाल शुकला रकवा ०. 320 जाति ब्रा० नि० फड़ का पुरा स०भाग दर भाग 1 / 5 नि० ग्राम भूमिस्वामी
26	238	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.039		ओमप्रकाश पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
27	239	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.084		वृजभूषण पुत्र कल्याण जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
28	240	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.141		ओमप्रकाश पुत्र बद्री प्रसाद जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी
29	241	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.196		ओमप्रकाश पुत्र बद्री प्रसाद जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी
30	242	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.005		मुरारीलाल राधेश्याम शम्भूदयाल पुत्र रामस्वरूप स.भा. 4 / 5 पवन कुमार पुत्र मुरारीलाल शुकला हि० 0.160 निवासी बामौरगाँव रमन पुत्र राधेश्याम शुकला अरुण पुत्र शंभू दयाल शुकला रकवा ०. 320 जाति ब्रा० नि० फड़ का पुरा स०भाग दर भाग 1 / 5 नि० ग्राम भूमिस्वामी

31	273	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.167	नन्दकिशोर महादेव पुत्रगण रामस्वरूप प्रीति पुत्री रामस्वरूप स0 भा0 जाति ब्रा0।
32	274	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.114	सरवती पत्नि लक्खूराम जाति जाटव नि�0ग्राम भूमिस्वामी
33	275	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.115	प्रदीप पुत्र सीताराम अवस्थी जाति ब्रा0 नि0 दत्तपुरा मुरेना राजेन्द्र मनोज प्रशान्त पुत्र सीताराम अवस्थी नि0 मिल एरिया रोड़ दत्तपुर मुरेना भूमिस्वामी
34	277	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.240	प्रदीप राजेन्द्र मनोज प्रशान्त पुत्र सीताराम अवस्थी नि0ग्राम मिल एरिया रोड़ दत्तपुर मुरेना भूमिस्वामी
35	280	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.010	उषाप्रसाद नातिन महावीरप्रसाद पल्ली चन्द्रशेखरप्रसाद जाति कायस्थ नि0सरकुल रोड़ रांची ।
36	281	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.293	नन्दकिशोर महादेव पुत्र रामस्वरूप प्रीति पुत्री रामस्वरूप स.भाग जाति ब्रा0 नि0ग्राम भूमिस्वामी
37	278	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.157	नन्दकिशोर महादेव पुत्र रामस्वरूप प्रीति पुत्री रामस्वरूप स.भाग जाति ब्रा0 नि0ग्राम भूमिस्वामी
38	292 293	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.007	रमेश रामकिशोर पुत्रगण द्वारिका प्रसाद हि. 2/3 स.भाग मु. रजनी वेबा नवल किशोर रमन मोहित पुत्रगण नवल किशोर 1/3 स.भा. जाति कायस्थ नि0 ग्राम भूमिस्वामी ।
39	294	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.282	नन्दकिशोर महादेव पुत्र रामस्वरूप प्रीति पुत्री रामस्वरूप स.भाग जाति ब्रा0 नि0ग्राम भूमिस्वामी
40	295	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.008	रामदयाल पुत्र भगवन्त जाति शिवहरे नि0 ग्राम भूमिस्वामी ।
41	226	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.025	सीताराम पुत्र लटूरी जाति ब्रा0 नि0 बामौर भूमिस्वामी ।
42	225	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.052	रामदयाल पुत्र भगवन्त जाति शिवहरे नि0 ग्राम भूमिस्वामी ।
43	224	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.063	रामदयाल पुत्र भगवन्त जाति शिवहरे नि0 ग्राम भूमिस्वामी ।
44	220 मिन.	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.126	मुरारीलाल पुत्र श्यामदयाल जाति कलार नि0 ग्राम भूमिस्वामी ।
	220 मिन.	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		धनवन्ती पत्नी मुरारीलाल जाति शिवहरे नि0 ग्राम भूमिस्वामी ।
45	218	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.502	रामदयाल पुत्र भगवन्त जाति शिवहरे नि0 ग्राम भूमिस्वामी ।
46	311 मिन.	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.168	नन्दकिशोर महादेव पुत्रगण रामस्वरूप प्रीति पुत्री रामस्वरूप स0 भा0 जाति ब्रा0 ।

	311 मिन.	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		राकेश पुत्र हरविलास जाति शिवहरे निः 0 ग्राम भूमिस्वामी।
47	312	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.073	रामदयाल पुत्र भगवन्त जाति शिवहरे निः 0 ग्राम भूमिस्वामी।
48	320	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.160	मुकेश पुत्र हरविलास जाति शिवहरे हिः 0 रकवा 0.145 योगेश पुत्र मुन्ना लाल शिवहरे निः ए. बी. रोड बामौर कार्तिकेय पुत्र हाकिमसिंह जाति बघेल रकवा 0.263 निः शिक्षक कालोनी मुरेना भूमिस्वामी
49	319	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.038	रामजीलाल पुत्र जयलाल जाति शिवहरे निः 0 मुरेना भूमिस्वामी।
50	318	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.021	धनवन्ती पत्नी मुरारीलाल जाति शिवहरे निः 0 बामौर भूमिस्वामी।
51	317 मिन.	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.261	राधाकिशन, दिनेश, मनोज, अनिल बाबीरु नाबा 0 पुत्र जगन्नाथ सर मॉ मु 0 रामकुवरि वेवा जगन्नाथ उर्मिला रेखा पुत्रियॉ जगन्नाथ स 0 भा 0 1 / 3 लहोरे पुत्र मिठठीलाल हिः 0 0.392 रेवती पुरी मिहीलाल हिः 0 रकवा 0.131 है स 0 हि. 2 / 3 जाति शिवहरे निः 0 ग्राम भूमिस्वामी
	317 मिन.	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		मुरारीलाल पुत्र श्यामलाल जाति कलार निः 0 ग्राम भूमिस्वामी
	317 मिन.	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		धनवन्ती पत्नी मुरारीलाल जाति शिवहरे निः 0 ग्राम भूमिस्वामी
52	323	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.064	रामजीलाल पु 0 जयलाल जाति शिवहरे निः 0 मुरेना भूमिस्वामी।
53	324	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.048	गिर्जाज पुत्र अंगद जाति राठौर निः 0 ग्राम भूमिस्वामी
54	325	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.042	रामदयाल पुत्र भगवन्त जाति शिवहरे निः 0 ग्राम भूमिस्वामी।
55	315 मिन.	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.146	राधाकिशन, दिनेश, मनोज, अनिल बाबीरु नाबा 0 पुत्र जगन्नाथ सर मॉ मु 0 रामकुवरि वेवा जगन्नाथ उर्मिला रेखा पुत्रियॉ जगन्नाथ स 0 भा 0 1 / 3 लहोरे पुत्र मिठठीलाल हिः 0 0.392 रेवती पुरी मिहीलाल हिः 0 रकवा 0.131 है स 0 हि. 2 / 3 जाति शिवहरे निः 0 ग्राम भूमिस्वामी
	315 मिन.	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		मुरारीलाल पुत्र श्यामलाल जाति कलार निः 0 ग्राम भूमिस्वामी
	315 मिन.	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		धनवन्ती पत्नी मुरारीलाल जाति शिवहरे निः 0 ग्राम भूमिस्वामी
56	316	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.084	गिर्जाज पुत्र अंगद जाति राठौर निः 0 ग्राम भूमिस्वामी।
57	216	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.019	सुरजभान पुत्र वद्रीप्रसाद जाति ब्रा 0 निः 0 ग्राम भूमिस्वामी।

58	183	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.103	विजयसिंह गोकुलसिंह अजमेरसिंह रामनाथ पुत्रगण फैलीराम लक्ष्मी पुत्री फैलीराम स०भा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
59	181	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.105	विजयसिंह गोकुलसिंह अजमेरसिंह रामनाथ पुत्रगण फैलीराम लक्ष्मी पुत्री फैलीराम स०भा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
60	180	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.101	विजयसिंह गोकुलसिंह अजमेरसिंह रामनाथ पुत्रगण फैलीराम लक्ष्मी पुत्री फैलीराम स०भा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
61	179	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.230	रामदयाल पुत्र भगवन्त जाति शिवहरे नि० ग्राम भूमिस्वामी।
62	178	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.209	पुन्ना पुत्र तेजसिंह जाति वधेल नि० ग्राम भूमिस्वामी।
63	177 मिन. 1/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.106	ओमप्रकाश पुत्र वद्रीप्रसाद जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
	177 मिन. 2/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		सरोज वेबा हरिकृष्ण आनन्द अजय कुमार पुत्र हरिकृष्ण अजना प्रियंका कृष्णा पुत्रियाँ हरिकृष्ण स० भा० जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
64	176	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.222	ओमप्रकाश पुत्र वद्रीप्रसाद जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
65	175	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.157	विजयसिंह गोकुलसिंह अजमेरसिंह रामनाथ पुत्रगण फैलीराम लक्ष्मी पुत्री फैलीराम जा० जाटव स०भा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
66	174	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.753	सीताराम पुत्र लद्दूरी जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
67	173	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.658	अनूपकुमार विनोदकुमार पुत्रगण मांगीलाल सु० सोमवती वेवा मांगीलाल स० भा० जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
68	172	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.009	सुरजभान उदयभान ओमप्रकाश पुत्रगण वद्रीप्रसाद गोमती नर्मदा त्रिबेणी पुत्रियाँ बद्री प्रसाद स० भा० 6/8 सरोज वेबा हरिकृष्ण आनन्द अजय कुमार पुत्र हरिकृष्ण अजना प्रियंका कृष्णा पुत्रियाँ हरिकृष्ण 1/8 स.भा. रानी, रजना, कमलेश पुत्रियाँ चन्द्रभान दीपक, दिनेश, राकेश पु० चन्द्रभान स० भा० 1/8 जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
69	171 मिन. 1/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.576	सुरजभान पुत्र वद्रीप्रसाद जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
	171 मिन.	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		सरोज वेबा हरिकृष्ण आनन्द अजय कुमार पुत्र हरिकृष्ण अजना प्रियंका कृष्णा पुत्रियाँ

	2/1				हरिकृष्ण स० भा० जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
70	170 मिन. 1/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.510	दीपक दिनेश पुत्रगण चन्द्रभान स० भा० जाति स० भा० जाति ब्रा०।
	170 मिन. 2/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		औमप्रकाश पुत्र वद्रीप्रसाद जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
	170 मिन. 3/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		सरोज वेबा हरिकृष्ण आनन्द अजय कुमार पुत्र हरिकृष्ण अजना प्रियंका कृष्णा पुत्रियॉ हरिकृष्ण स० भा० जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
	170 मिन. 4/5	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		सुरजभान पुत्र वद्रीप्रसाद जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
	170 मिन. 5/4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		उदयभान पुत्र वद्रीप्रसाद जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
71	168	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.508	दरगाह वावा कपुर बांके ग्वालियर एहतमाम पुजारी अदीमुद्दीन पुत्र मोहम्मद जाति मुसलमान सा० भा० शासकीय पटटेदार।
72	165	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.437	वाहलकुमार शास्त्री पुत्र डी० के० शास्त्री नावा० सरण० मॉ खुद मंजू पुत्री सीता राम पत्नी डी० के० शास्त्री जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
73	163	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.048	प्रभुदयाल हरिदास देवसिंह धीरज रनवीर पुत्रगण लक्ष्मण सिंह मु० द्रौपती बेवा लक्ष्मण सिंह व मुन्नी पुत्री लक्ष्मण सिंह स० भा० जाति जाटव नि० ग्राम भूमिस्वामी।।
74	159	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.461	भागीरथ पुत्र छीद्वाराम जाति जाटव नि० भगीता का पुरा भूमिस्वामी।
75	313	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.021	राकेश पुत्र हरविलास जाति शिवहरे नि० बामौर भूमिस्वामी।
76	652 मिन.	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.031	श्यामसुन्दर पुत्र सुदर्शन प्रसाद रकवा ०. 157 दयाल सेवा शिक्षा समिति अध्यक्ष राम सुन्दर पुत्र राम प्रसाद सचिव हरेन्द्र शर्मा पुत्र श्याम सुन्दर शर्मा रकवा ०.209 नि० जिवाजी नगर ग्वालियर भू स्वामी।
77	259	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.010	श्रीमति नितू गोयल पत्नी रमनकिशोर गोयल हि० १/२ श्रीमति पदमा गोयल पत्नी गिराज किशोर गोयल भा० १/२ जाति वैश्य नि० ग्राम भूमिस्वामी।

78	236	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.003	अरुण दास पुत्र प्रेमनारायण निरो विनय नगर ग्वालियर भूमिस्वामी।
79	223	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.042	रामदयाल पुत्र भगवन्त जाति शिवहरे निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 0.50

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्षा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेष करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाष्ण की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

विषेष :— धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरात्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 26-अ-82-भू-अर्जन-रेलवे-जैतपुर-2017-5278.—

{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 {सिंहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत} }

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (गवालियर-श्योपुरकलौ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम जैतपुर, तहसील व उपखण्ड मुरैना, जिला-मुरैना में कुल रकवा 1.574 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम 4 के अधीन यथा विवरित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विरक्षयित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला-मुरैना तहसील-मुरैना के ग्राम-जैतपुर नूराबाद प.ह.नं. 89, रा.नि. वृत्त-08 में उक्त परियोजना के लिये 1.574 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया प्रस्तावित किया जाता है:-

### सूची

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	258	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.162	सुभाष गोयल पुत्र पुरनचन्द्र हि. 1/2 रामवीर सिंह पुत्र रामजीवन हि. 1/2 निं० ग्राम पहाड़ी भूमिस्वामी
2	277	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.278	कुअरपाल, केशव, रामचित्र, राजेन्द्र, आशाराम, वलराम पुत्रगण प्रभु मुलियाबाई वेवा प्रभु, माया, भूरी पुत्रियाँ प्रभु स०भा० कौम बघेल निं० ग्राम भूमिस्वामी
3	275 मिन 3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.100	हाकिम पुत्र गोधना, रामवेटी शीला पुत्रियाँ गोधना स०भा० 1/2 नारायण सिंह, बाबू पुत्रगण बंशी भग्गो लाडो पुत्रियाँ वंशी स०भा० 4/5 प्रेमा वेवा रमेश कल्लू पुत्र रमेश स०भा० 1/5 दर भाग 1/2 कौम बघेल निं० ग्राम भूमिस्वामी
4	279	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.066	राकेश, वलवीर सिंह पुत्र भीखमसिंह 1/4 नारायण सिंह पुत्र हीरासिंह कलावती, वैकुण्ठी पुत्रियाँ हीरा सिंह हि० 3/4 दर हि० रकवा 0.763 कौम गुर्जर, लक्ष्मण, रघुवर, मानसिंह पुत्रगण

						नबाव सिंह स0भा०रकवा 0.376 कौम गुर्जर नि० ग्राम भूमिस्वामी
5	280	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.034		कमला देवी पत्नि प्रीतमसिंह, विशाल सिंह पुत्र गोपाल सिंह स0भा० जाति गड़रिया नि०ग्राम भूमिस्वामी
6	281	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.236		कमला देवी पत्नि प्रीतमसिंह, विशाल सिंह पुत्र गोपाल सिंह स0भा० जाति गड़रिया नि०ग्राम भूमिस्वामी
7	282	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.056		कमला देवी पत्नि प्रीतमसिंह, विशाल सिंह पुत्र गोपाल सिंह स0भा० जाति गड़रिया नि०ग्राम भूमिस्वामी
8	285	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.199		रामहेतु पुत्र रामचरण, नारायणी पुत्री रामचरण स0भा० कौम गड़रिया नि० ग्राम भूमिस्वामी
9	292	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.001		राकेश, बलवीरसिंह पुत्रगण भीखम सिंह हि० 1/2 नारायण सिंह पुत्र हीरासिंह हि० 1/2 नि०ग्राम भूमिस्वामी
10	293	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.107		राकेश, बलवीरसिंह पुत्रगण भीखम सिंह हि० 1/2 नारायण सिंह पुत्र हीरासिंह हि० 1/2 नि०ग्राम भूमिस्वामी
11	295	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.335		राकेश, बलवीर सिंह पुत्र स्व० भीखम सिंह हि० 1/2 नारायणसिंह पुत्र हीरासिंह हि० 1/2 नि०ग्राम भूमिस्वामी

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्षा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेष करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

**विषेष :-** धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावध्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 27-अ-82-भू-अर्जन-रेलवे-पहाड़ी-2017-5281।—

भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 {सहपूर्ति भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्योपुरकलौ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम पहाड़ी, तहसील व उपखण्ड मुरैना, जिला-मुरैना में कुल रकवा 2.686 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम 4 के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला-मुरैना तहसील-मुरैना के ग्राम-पहाड़ी प.ह.नं. 87, रा.नि. वृत-08 में उक्त परियोजना के लिये 2.686 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया प्रस्तावित किया जाता है:-

### सूची

क्र. सं.	सर्व नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2023 2024	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.041	राजाराम बा. विजयसिंह नांवा० पि० कदमसिंह सर०म० हि० 1/3 पंजाब उर्फ शिवराम पूरनसिंह रामहेत पि० पीतम लच्छे पुत्री पीतम स०भा० 1/3 रामखत्यार कोकसिंह पि० भीकम हि० 1/3 कोम गू०ठा०सा० देह भूमिस्वामी
2	2026/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.197	सुंदरसिंह पुत्र राम सिंह जाति गू०ठा०सा० देह भूमिस्वामी
3	2026/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		मोहकम सिंह पुत्र स्व० श्री रमेशसिंह जाति गुर्जर नि० मेला दुल्लपुर ग्वालियर भूमिस्वामी
4	2027	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.278	जीवाराम पुत्र मूलाराम, नेनी वेवा मूलाराम स०भा० 1/2 मु० अनेगा वेवा देवीसिंह कलावती वेवा सोनेराम स०भा० 2/6 जसवंत, भूरा, कृष्णा पि० मूंगाराम भूरी रामा मीरा पि. मूंगाराम बतसिया वेवा मूंगाराम स०भा० 1/6 कोम गू०ठा०सा० देह भूमिस्वामी
5	2183/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.158	जसवंत सिंह पुत्र मूंगाराम जाति ठा० सा० देह भूमिस्वामी
6	2183/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		जसवन्त, भूरा, कृष्णा पुत्रगण मूंगाराम स०भा० जाति गू०ठा०सा० देह भूमिस्वामी

7	2115/1 सि.1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.167	राजाराम पुत्र कदम सिंह जाति गूठाठांसाठदेह भूमिस्वामी
8	2115/1 सि.2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		धर्मन्द्र सिंह पुत्र सियाराम जाति कोरी निंग्राम भूमिस्वामी
9	2115/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		जसवंत सियाराम पि. माधौसिंह फूलो पुत्री माधौसिंह स.भा. 1/2 सिद्दार, चौवे, रामखिलाड़ी आ० पन्नू स०भा० 1/2 जाति गुर्जर सा०देह भूमिस्वामी
9	2100/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.004	रामवरन पुत्र नवलसिंह कोम गुर्जर
10	2101	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.250	रामवरन पुत्र नवलसिंह कोम गुर्जर
11	2176	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.096	राजाराम बा० विजयसिंह नाबा० पुत्रगण कदमसिंह स०भाग 1/2 स.भा. रमेश, लक्ष्मण, सुरेश, रामखिलाड़ी सुरेश पुत्रगण जण्डेल सरोज, गीता, मधु पुत्रियाँ जण्डेल भूरी वेवा जण्डेल स०भाग 1/6 केदार, रघुनाथ, छोटे, रामजीवन, बिहारी स०भा० 4/6 ओमकार पि० आदिराम मंजू कोमश, रचना पुत्रियाँ आदिराम अलंता वेबा आदिराम स०भा० 1/6 दर भाग 1/2 जाति गुर्जर सा०देह भूमिस्वामी
12	2177	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.071	राजाराम बा० विजयसिंह नाबा० पुत्रगण कदमसिंह हि० 1/3 भीखम पुत्र अंगद हि० 1/3 रमेश, लक्ष्मण, रामखिलाड़ी, सुरेश पुत्रगण जण्डेल सिंह सरोज गीता मधु पुत्री जन्डेल भूरी वेबा जण्डेल स.भा./6 केदार रघुनाथ छोटे रामजीवन पुत्रगण हीरा 4/6 स.भा. ओमकार पुत्र आदिराम मंजू कोमेश रचना पुत्री आदिराम अलंता वेबा आदिराम जाति गूठा. हि. 1/6 दर भाग 1/3 भूमि स्वामी
13	2184	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.084	पातीराम पुत्र शंकरसिंह 5/6 फूलो पुत्री शंकर 1/6 सिंह कोम गुर्जर निंग्राम भूमिस्वामी
14	2181	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.089	जीवाराम पुत्र मूलाराम, नेनी वेबा मूलाराम स०भा० 1/2 मु० अनेगा वेवा देवीसिंह कलावती वेवा सोनेराम स०भा० 2/6 जसवंत, भूरा, कृष्णा पि० मूंगाराम भूरी रामा मीरा पुत्रियाँ मूंगाराम मु बतसिया वेबा मूंगाराम स०भा० 1/6 कोमा गूठाठांसाठदेह भूमिस्वामी
15	2168	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.060	राजाराम बा० विजयसिंह नाबा० पुत्रगण कदमसिंह स०भाग 1/2 स.भा. रमेश, लक्ष्मण, सुरेश, रामखिलाड़ी सुरेश पुत्रगण जण्डेल सरोज, गीता, मधु पुत्रियाँ जण्डेल भूरी वेवा जण्डेल स०भाग 1/6 केदार, रघुनाथ, छोटे, रामजीवन, पुत्रगण हीरा स०भा० 4/6 ओमकार पि० आदिराम मंजू कोमश, रचना पुत्रियाँ आदिराम

					अलंता वेबा आदिराम स0भा० 1/6 दर भाग 1/2 जाति गुर्जर सा०देह भूमिस्वामी
16	2116/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.219	भारत पिता सरनाम रकवा 0.33/ 1.862 राकेश अल्ली पिता सरनाम रामा पुत्री सरनाम जावित्री वेबा सरनाम स.भा. रकवा 1.489/ 1.862 सन्तो पत्नि राजाराम कमला पत्नि विजय सिंह स.भा. रकवा 0.340/ 1.862 जाति गू.ठा. नि.ग्राम भूमिस्वामी
17	2116/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		प्रकाश, महेन्द्र पुत्रगण हजारी गुड़ी पुत्री हजारी स0भा० कोम गू०ठ० भूमिस्वामी
18	2116/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		यकील पुत्र हजारीसिंह सावो वेबा हजारी सिया पुत्री हजारी स0भा० रकवा 1.524/ 1.694 सन्तो देवी पत्नि राजाराम कमला पत्नि विजय सिंह स0भा० 0.170/ 1.694 कोम गू०ठ० भूमिस्वामी
19	2180	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.109	राजाराम बा. विजयसिंह नाबा०पुत्रगण कदमसिंह हि० 1/3 भीखम पुत्र अंगद हि० 1/3 रमेश,लक्ष्मण ,रामखिलाड़ी,सुरेश पुत्रगण जण्डेल सिंह सरोज गीता मधू पुत्री जन्डेल भूरी वेबा जण्डेल स.भा. 1/6 कदार रघुनाथ छोटे रामजीवन पुत्रगण हीरा 4/6 स.भा. ओमकार पुत्र आदिराम मंजू कोमेश रचना पुत्री आदिराम अलंता वेबा आदिराम जाति गू.ठा. हि. 1/6 दर भाग 1/3 भूमि स्वामी
20	2102	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.863	सोनू उर्फ उर्मिला वेबा श्रीनिवास दीपेन्द्र, जितेन्द्र नाबा० आ० श्रीनिवास ज्योति नाबा० पुत्री श्रीनिवास सर० मॉ खुद नि०ग्राम भूमिस्वामी

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृद्ध को भूमि में प्रवेष करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

**विशेष :** धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 31-अ-82-भू-अर्जन-2016-17-5281.—

{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सिहपरित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत)}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (गवालियर-श्योपुरकलौ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम सिकरौदा, तहसील व उपखण्ड जौरा, जिला-मुरैना में कुल रकवा 1.550 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम 4 के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूंबों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला-मुरैना तहसील-जौरा के ग्राम-सिकरौदा प.ह.नं. 45, रा.नि. वृत्त-03 में उक्त परियोजना के लिये 1.550 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन किया प्रस्तावित किया जाता है:-

### अनुसूची

संक्र.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टर)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
1	527	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.682	रमेशचन्द्र पुत्र रामानन्द, बाबूलाल उर्फ हरीमोहन पुत्र छोटेलाल स.भाग 1/2 बाबूलाल पुत्र छोटे हि 1/2 जाति ब्राह्मण निवासी स्टेशन रोड जौरा
2	526	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.598	रमेशचन्द्र पुत्र रामानन्द, बाबूलाल उर्फ हरीमोहन पुत्र छोटेलाल स.भाग 1/2 बाबूलाल पुत्र छोटे हि 1/2 जाति ब्राह्मण निवासी स्टेशन रोड जौरा
3	572/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.004	हरी पुत्र जीवनलाल जाति खटीक निवासी ग्राम भूमिस्वामी
4	572/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.001	मु. रामकली बेवा शिवचरन, प्रयागनारायण, उम्मेद, भूरा, रामविलास पुत्रान् शिवचरन, सरोज पुत्री रामकली स.भाग जाति खटीक निवासी ग्राम भूमिस्वामी
5	521	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.004	रमेशचन्द्र पुत्र रामानन्द, बाबूलाल उर्फ हरीमोहन पुत्र छोटेलाल स.भाग 1/2 बाबूलाल पुत्र छोटे हि 1/2 जाति ब्राह्मण निवासी स्टेशन रोड जौरा
6	493	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.009	भूरा पुत्र भंवरसिंह हि. 1/2 राजू पुत्र छोटेसिंह हि. 1/2 जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमिस्वामी

7	492	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.006	भूरा पुत्र भंवरसिंह हि. 1/2 राजू पुत्र छोटेसिंह हि. 1/2 जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमिस्वामी
8	597	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.081	भंवरसिंह, छोटेसिंह पुत्रान् हाकिमसिंह स.भाग जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमिस्वामी
9	483	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.065	भंवरसिंह, छोटेसिंह पुत्रान् हाकिमसिंह स.भाग जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमिस्वामी
10	536	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.015	कमलेश पत्ली लक्षणसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमिस्वामी
11	532	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.047	आशाराम, रामहेतु पुत्रान् रंजीत जाति खटीक निवासी ग्राम भूमिस्वामी
12	533	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.038	आशाराम, रामहेतु पुत्रान् रंजीत जाति खटीक निवासी ग्राम भूमिस्वामी
कुल				1.550	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृद्ध को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

**विशेष** :-- धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 32-अ-82-भू-अर्जन-2016-17-5280.—

**भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सिहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत।**

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (गवालियर-श्योपुरकलौ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम अगरौता, तहसील व उपखण्ड जौरा, जिला-मुरैना में कुल रकवा 1.576 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम 4 के अधीन यथा विवित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विरथापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला-मुरैना तहसील-जौरा के ग्राम-अगरौता प.ह.नं. 47, रा.नि. वृत्त-03 में उक्त परियोजना के लिये 1.576 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

### अनुसूची

सं. क्र.	सर्व नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल (हे.मे.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
1	6	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.005	शंकर पुत्र हरदेव हि. 1/2 रोशन, दर्शनलाल, गोरेलाल, हलुके पुत्रान् देवी, मु. पुनिया बेवा देवी स.भाग 1/2 जाति कुशवाह निवासी राजाराम का पुरा
2	10	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.003	लतीब खां, पप्पू खां, शिवराती, निजामुद्दीन, टिललम खां पुत्रान् छुट्टन इस्लामी, शरीफन, वहीदन, रहीसा, गुडिया पुत्रियान् छुट्टन, मु बत्तो बेवा छुट्टन स.भाग 1/10 मुहम्मद पुत्र बजीरा भाग 1/10 दर भाग 1/5 गफूर खां, हबीब खां, शरीफ खां पुत्रान् मुहम्मद स.भाग 1/5 अहम्मद पुत्र मीरस्याह भाग 1/5 मु. उलफत बेवा हुसैन, नबीशर, शहजाद पुत्रान् हुसैनी, कुल्लम, मुन्नी, असगरी पुत्रियान् हुसैनी स.भाग 1/5 जाति मुसलमान, दाताराम, मोहन, कमलेश पुत्रान् सामलिया, मु. रामश्री बेवा सामलिया स. भाग 1/5 जाति कोली निवासी ग्राम
3	11/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.363	रामो, गुलाबी पुत्रियान् हरिविलास स. भाग 1/2 नरोत्तम, विनोद पुत्रान् बाबूलाल, विद्याबाई, ममता पुत्रियान्

					बाबूलाल स.भाग 4/5 मन्जू बेवा शैलेन्द्र, रोहित बा. सचिव नाबा. पुत्रान् शैलेन्द्र सरप. मां खुद स.भाग 1/5 दर भाग 1/4 रामरतन पुत्र रघुनाथ भाग 1/4 जाति त्यागी निवासी ग्राम
4	11/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.297	बाबूलाल, नरेन्द्र कुमार पुत्रान् भोगीराम स.भाग 0.25 जाति त्यागी निवासी चिन्नौनी करैरा, कल्याण मुन्ना सुरेश पुत्रान् शिवचरन स.भाग 0.76 जाति कुशवाह निवासी ग्राम
5	37/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.067	रामखिलाडी पुत्र पूरनसिंह जाति ठाकुर निवासी गोपालपुरा
6	37/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.035	अमरसिंह पुत्र राजाराम जाति ठाकुर निवासी ग्राम
7	34	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.512	नादरिया, सुग्रीव पुत्रान् मंगलिया हि. 2/9 आनन्दी बेवा पतिराम, बदनसिंह, अशोक, पूरन, सुदामा पुत्रान् पतिराम, रामरती, सुनीता पुत्रियान् पतिराम स.भाग 1/9 दाताराम, कमलेश, मोहन पुत्रान् सामलिया, मुन्नी पुत्र सामलिया स.भाग 1/3 मातादीन पुत्र ओछा, मु. छोटी बेवा ओछा स.भाग 1/3 जाति कोली निवासी ग्राम
8	35	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.128	मु. मुल्लो बेवा कुढ़ेरी, रामजीलाल, होतम, नारायण, द्वारिका, बाबूलाल, टीकाराम पुत्रान् कुढ़ेरी, रामरती पुत्री कुढ़ेरी स.भाग 1/3 रमेशचन्द्र, बाबूलाल पुत्रान् बंशी, रामदई, नारायणी, शंकरिया, बादामी पुत्रियान् बंशी स.भाग 1/18 सुखुआ पुत्र शिवराम हि. 1/18 मुन्ना, भूपसिंह पुत्रान् सुखराम, रमेश पुत्र बंशीधर स.भाग 1/18 मथुरा, मानो, जावित्री पुत्रियान् शिवराम स.भाग 3/18 दर भाग 1/3 जाति त्यागी, रामचरन पुत्र बद्रीप्रसाद हि. 1/3 जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम
9	36	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.097	वीखा, देवीराम बा. वीरेन्द्र, सोनेराम नाबा. पुत्रान् भरोषी सरप. पिता खुद स.भाग जाति बघेले निवासी ग्राम
10	41/1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.064	मुकेश नाबा. पुत्र भूपसिंह सरप. पिता खुद भूपसिंह पुत्र सुखराम जाति त्यागी निवासी ग्राम
11	42	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.03	मुन्ना पुत्र सुखराम जाति त्यागी निवासी ग्राम
कुल				1.576	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या बेघन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

**विशेष :** धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 33-अ-82-भू-अर्जन-2016-17-5285.—

भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सिहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम गैपरा, तहसील व उपखण्ड जौरा, जिला-मुरैना में कुल रकवा 9.601 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम 4 के अधीन यथा विचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विरथापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला-मुरैना, तहसील-जौरा के ग्राम-गैपरा प.ह.नं. 46, रानि. वृत-03 में उक्त परियोजना के लिये 9.601 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

### अनुसूची

स. क्र.	सर्व नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल (हे.मे.)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
1	508 / 1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिचित	0.270	जसवन्त, बारेलाल पुत्रान् भगवानलाल स.भाग जाति बघेल निवासी ग्राम
2	508 / 2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिचित		जसवन्त, बारेलाल पुत्रान् भगवानलाल स.भाग जाति बघेल निवासी ग्राम

3	509	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.049	लखपति पुत्र हरिमोहन, जगदीश पुत्र लखपति स.भाग जाति गुडा. निवासी कुंअरपुर
4	510	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.650	रामवीर, राजेन्द्र पुत्रान् विजयसिंह, गुडडी पुत्री रामदयाल, मु. बैकुण्ठी बेवा रामदयाल स.भाग 1/3 भरोषी पुत्र विजयसिंह हि. 1/3 मु. काशी बेवा बाबू शीला, गुडडी नाबा. पुत्रियान् बाबू सरप. मां काशी स.भाग 1/3 जाति बघेल निवासी ग्राम
5	511	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.340	जसवन्त, बारेलाल पुत्रान् भगवानलाल स.भाग जाति बघेल निवासी ग्राम
6	512	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.380	रामचरन, भगवानलाल, रामभरोषी, रामदयाल पुत्रान् विजयसिंह स.भाग जाति बघेल निवासी ग्राम
7	513	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.152	ओछी बेवा विजयसिंह, रामचरन, रामदयाल, भरोषी पुत्रान् विजयसिंह स.भाग 2/3 मु. काशी बेवा बाबू लीला स.
					भाग 1/6 मु. गनेशी बेवा भगवानलाल, रेवती, द्रोपती, कपूरी पुत्रियान् भगवानला, जसवन्त, श्रीपति, बारेलाल पुत्रान् भगवानलाल स.भाग 1/6 जाति बघेले निवासी ग्राम
8	514	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.827	रामवीर, राजेन्द्र पिता रामदयाल स.भाग रकवा 0.21 आरे जाति बघेले निवासी ग्राम, पवन कुमार पुत्र मातादीन जाति ब्राह्मण निवासी बिलगांव हाल कस्खा जौरा भाग रकवा 0.70 आरे दर भाग 2/3 रामवरन धर्मेन्द्र नाबा. पुत्रान् रामभरोषी सरप. पिता खुद स.भाग 1/3 जाति बघेले निवासी ग्राम
9	515	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.410	ओछी बेवा विजयसिंह, रामचरन, रामदयाल, भरोषी पुत्रान् विजयसिंह स.भाग 2/3 मु. काशी बेवा बाबू लीला, गुडडी नाबा. पुत्रियान् बाबू सरप. मां काशी स.भाग 1/6 मु. गनेशी बेवा भगवानलाल, रेवती, द्रोपती, कपूरी पुत्रियान् भगवानलाल, जसवन्त, श्रीपति, बारेलाल पुत्रान् भगवानलाल स.भाग 1/6 जाति बघेले निवासी ग्राम
10	516/2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.063	पीतम पुत्र बुद्धाराम जाति जाटव निवासी ग्राम

11	516 / 2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.090	रामवरन, रामलखन पुत्रान् भरोषी स.भाग जाति बघेले निवास ग्राम
12	517	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.039	उमिला पत्नी रामहेती, रामश्री पत्नी रामसिंह स.भाग जाति बघेले निवासी ग्राम
13	523	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.274	करीमुददीन पुत्र मन्नू आबादी पुत्री मन्नू स.भाग जाति मुसलमान निवासी ग्राम
14	525	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.030	लियाकत खां पुत्र मन्नू जाति मुसलमान निवासी ग्राम
15	526	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.300	भूपसिंह, रामलखन पुत्रान् भगरी, सरस्वती, फूलवती, राजाबेटी पुत्रियान् भगरी, रामश्री बेवा भगरी स.भाग 3/8 मु. शान्ती बेवा फेरन, गोपाल, लक्ष्मण पुत्रान् फेरन, मुन्नी पुत्री फेरन स.भाग 1/5 मु. रेखा बेवा दर्शन, पूजा नाबा. पुत्री दर्शन सरप. मां खुद स.भाग 1/20 दर भाग 16/30 जाति जाटव निवासी ग्राम, लियाकत खां पुत्र मन्नू खां भाग 14/30 जाति मुसलमान निवासी ग्राम
16	527	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.240	श्रीमती बब्न उस्मानी पत्नी पप्पू खां उस्मानी स.भाग जाति मुसलमान नि.ग्राम
17	528	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.149	रामचन्द्र, रोशन, चन्दन, रतनसिंह पुत्रान् गनपति, मु. भगवानदे बेवा गनपति जाति शाक्य निवासी ग्राम
18	531 / 1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.096	नारायणसिंह, बहादुरसिंह, उम्मेदसिंह पुत्रान् रामसिंह, महादेवी पुत्री रामसिंह, बिटो बेवा रामसिंह स.भाग जाति बघेले निवासी ग्राम
19	531 / 2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.097	रघुनाथ पुत्र हरिप्रसाद जाति बघेले निवासी ग्राम
20	532	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.050	मुरारी पुत्र पतिराम जाति जाटव निवासी ग्राम
21	533	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.020	बाबू राजेन्द्र पुत्रान् परमू स.भाग जाति जाटव निवासी ग्राम
22	534	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.230	भूपसिंह, रामलखन पुत्रान् भगरी, सरस्वती, फूलवती, राजाबेटी पुत्रियान् भगरी, रामश्री बेवा भगरी स.भाग 1/3 रोशन पुत्र भीखा हि. 1/3 रामश्री पुत्री भीखा हि. 1/3 जाति जाटव निवासी ग्राम

23	536 / 1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.280	गोपी पुत्र मटरे जाति जाटव निवासी ग्राम
24	536 / 2				
25	536 / 1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.270	भजनलाल पुत्र मटरे जाति जाटव निवासी ग्राम
26	536 / 2				
27	535	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.230	मुरारी पुत्र पतिराम, रामबेटी, कमला पुत्रियान् पतिराम स.भाग जाति जाटव निवासी ग्राम
28	540 / 1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.062	गोपी पुत्र मटरे जाति जाटव निवासी ग्राम
29	540 / 2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.062	भजनलाल पुत्र मटरे जाति जाटव निवासी ग्राम
30	541 / 1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.031	गोपी पुत्र मटरे जाति जाटव नि. ग्राम
31	541 / 2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.031	भजनलाल पुत्र मटरे जाति जाटव निवासी ग्राम
32	570	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.300	बेदरिया पुत्र मुरली जाति बढ़ई निवासी ग्राम वगैरा
33	571	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.180	दिलशान मो. शमशाद, मो. तोफीक मो. हि. 3 / 4 जाति मुसलमान निवासी अलापुर, हरीशंकर पुत्र नेतराम हि. 1 / 4 जाति त्यागी निवासी रुनीपुर
34	572	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.180	कैलाशचन्द्र पुत्र टीकाराम जाति वैश्य निवासी जौरा वगैरा
35	573	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.200	देवेन्द्र, बृजेश बा. पुत्रान् मनीराम जाति कुशवाह निवासी ग्राम वगैरा
36	575	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.310	बसन्ती देवी पल्ली देवचन्द्र हि. 1 / 2 हरीशचन्द्र पुत्र देवलाल हि. 1 / 2 जाति वैश्य निवासी कस्बा जौरा
37	523 / 920	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.230	लच्छी पुत्र शिवचरन, विमला पुत्री शिवचरन, मु. शान्ती बेवा शिवचरन, फूलो, प्रेमा पुत्रियान् शंकर जाति कुम्हार निवासी ग्राम
38	523 / 921	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.310	अशोक, पप्पू पुत्रान् मनू खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम
39	523 / 922	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.360	पप्पू पुत्र मनू खां, नन्ही पुत्री मनू खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम
40	131 / 1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.089	टीकाराम पुत्र बेदरिया जाति जाटव निवासी गैपरा
41	131 / 2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.090	बनवारी पुत्र कन्हैया जाति कोरी निवासी गैपरा

42	117	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.088	मुन्नालाल, भूपसिंह पुत्रान् सुखराम, रमेशचन्द्र, बाबूलाल पुत्रान् बंशीधर जाति त्यागी निवासी ग्राम
43	118 / 1	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.066	रघुनाथ पुत्र हरिप्रसाद जाति बघेले निवासी ग्राम
44	118 / 2	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.066	नारायणसिं, बहादुरसिंह, उम्मेदसिंह पुत्रान् रामसिंह, महादेवी पुत्री रामसिंह, बिटो बेवा रामसिंह स.भाग जाति बघेले निवासी ग्राम
45	118 / 3	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.066	काशीराम पुत्र चौखरिया, जीवनलाल पुत्र देवलाल जाति बघेले निवासी ग्राम वगैरा
46	130	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.130	छोटी बेवा मुल्ला जाति बघेले निवासी ग्राम
47	132	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.133	सूखा पुत्र धनसिंह हि. 109 / 115 जाति जाटव भरतसिंह पुत्र होतम हि. 6 / 115 जाति गुर्जर निवासी कस्बा जौरा
48	133	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.085	सूखा पुत्र धनसिंह हि. 109 / 115 जाति जाटव भरतसिंह पुत्र होतम हि. 6 / 115 जाति गुर्जर निवासी कस्बा जौरा
49	134	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.001	मीना पत्नी आशाराम हि. 33 / 50 जाति बघेले रामवती पुत्री विसराम हि. 17 / 50 जाति जाटव निवासी ग्राम
50	145	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.202	अर्चना वर्मा पत्नी अवनीश वर्मा जाति स्वर्णकार निवासी सदर बाजार वार्ड क्र. 12 जौरा
51	146	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.070	भूपसिंह, रामलखन पुत्रान् भगरी, सरस्वती, फूलवती, राजाबेटी पुत्रियान् भगरी, रामश्री बेवा भगरी जाति जाटव निवासी ग्राम वगैरा
52	147	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.027	मुरारी पुत्र पतिराम, रामबेटी, कमला पुत्रियान् पतिराम स.भाग जाति जाटव

					नि. ग्राम
53	153	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.006	रामवती पत्नी जण्डेल हि. 42/122 जाति जाटव निवासी ग्राम वगैरा
54	149	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.020	भरतसिंह पुत्र कुन्दन हि. 1/3 केशव पुत्र कुन्दन हि. 1/6 जाति जाटव गंगादेवी पत्नी गोपाल हि. 1/2 जाति बघेले निवासी ग्राम
55	538	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.187	सुधरसिंह, सुल्तानसिंह पिता मंगलिया, लीलावती, शीलाबाई पुत्रियान् मंगलिया जाति कोरी निवासी ग्राम
56	574	भूमिस्वामी	कृषिभूमि सिंचित	0.230	मुरारीलाल, दिनेशचन्द्र, सुभाषचन्द्र, अनिलं कुमार पुत्रान् शंकरलाल जाति वैश्य निवासी कस्बा जौरा
कुल				9.601	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

**विशेष** :— धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 35-अ-82-भू-अर्जन-2016-17-5279.—

**{भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सिहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत}**

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम टैंटरा, तहसील व उपखण्ड सबलगढ़, जिला-मुरैना में कुल रकवा 2.022 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम 4 के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला-मुरैना तहसील-सबलगढ़ के ग्राम-टैंटरा प.ह.नं.09 रा.नि., वृत्त-01 में उक्त परियोजना के लिये 2.022 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

### अनुसूची

क्र.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
01	163	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.009	रोशन पुत्र हरिनंदन जाति रावत शा. पटे
02	63 / मि-1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.312	बद्री पुत्र खूबा, जाति जाटव नि. ग्राम
	63 / मि-2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		भागीरथ पुत्र खूबा जाति जाटव नि. ग्राम
03	64	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.223	दिनेश, वीरेन्द्र पुत्रगण बद्री जाटव नि.ग्राम
04	65 / मि.1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.326	रघुनंदन, लक्ष्मण, पुत्रगण तोफनिया जाति जाटव नि. ग्राम समानभाग
	65 / मि-2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		श्रीनिवास, मुनेश पुत्रगण भन्ता जाटव नि. ग्राम समान भाग
05	71	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.025	राजअली शाह, मीरअली शाह, साहिद शाह शाकिरस्या पुत्रगण सरदार शाह मुन्नी, गुलशन, साथना गुडडी अनीसा, रुबीना गडिया पुत्रियान सरदार स्या समानभाग 5 / 26 गुडडी पल्लि इंसाफ अली भाग 21 / 26 जाति साई मुसलमान नि. निहरीसिंह का पुरा।
06	125 / मि-1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.057	शिवनारायण पुत्र सुन्दरलाल जाटव नि.ग्राम
	125 / मि-2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		लक्ष्मीप्रसाद पुत्र सुन्दरलाल जाटव नि.ग्राम
	125 / मि-3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		प्रहलाद पुत्र सुन्दरलाल जाटव नि. ग्राम
	125 / मि-4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		लालपति पुत्र बिहारी जाटव नि.ग्राम

07	82	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.061	हरिचरण, ओमप्रकाश पुत्रगण केवला गुडडी पुत्री केवला समानभाग 1/2 किन्तु पुत्री ग्याजीत भाग 1/2 जाति जाटव नि. ग्राम भूमिस्वामी
08	127मि-1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.557	बाबूलाल पुत्र बिहारी, जाति जाटव नि.ग्राम
	127 / मि-3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		वासुदेव, गिरज पुत्रगण जगनू जाटव नि. ग्राम
09	133	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.124	गोरेलाल, ज्ञानसिंह पुत्रगण हरिनंदन रावत नि.ग्राम
10	134	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.009	गोरेलाल, ज्ञानसिंह पुत्र हरिनन्दन, जाति रावत. नि. ग्राम समान भाग
11	135	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.319	बृजमोहन, दिनेश पुत्रगण बाबूलाल जाति मेहतर नि. ग्राम समान भाग

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

समुचित सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृद्ध को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमुदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हो, फाइल किए जा सकेंगे।

**विशेष :-** धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 36-अ-82-भू-अर्जन-2016-17-5283.—

{भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सिहपिठि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्योपुरकलौ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम पचेर तहसील व उपखण्ड सबलगढ़, जिला-मुरैना में कुल रकवा 0.037 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम 4 के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला-मुरैना तहसील-सबलगढ़ के ग्राम-पचेर प.ह.नं.35, रा.नि. वृत्त-01 में उक्त परियोजना के लिये 0.037 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

#### अनुसूची

क्र.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि प्रकार	का	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6	
01	432 / 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.021		रोशन पुत्र मुल्ला, कुशमा, सुखी पुत्रीयौ मुल्ला समान भाग
02	432 / 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि			रोशन पुत्र मुल्ला
03	400	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.016		बंसती वैवा दुर्जन, गणेश पुत्र दुर्जन, बैकुण्ठी, मीरा पुत्रियान दुर्जन, नरेश पुत्र वासुदेव हिस्सा 1/3 रामप्रसाद, अंगद पुत्रगण पन्ना हिस्सा 1/5 स. भाग, जाति कुम्हार गिरधर पुत्र गुलाब जाति ब्रा. नि. जाटोली हिस्सा 1/2

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

समुचित सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृद्धा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हैं, फाइल किए जा सकेंगे।

**विशेष :** धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 37-अ-82-भू-अर्जन-2016-17-5284.—

{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत)}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (गालियर-श्योपुरकलौ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) के लिये ग्राम खिरका, तहसील व उपखण्ड सबलगढ़, जिला-मुरैना में कुल रकवा 0.432 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, और नियम 4 के अधीन यथा विरचित कलेक्टर द्वारा गठित एक दल द्वारा एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है।

अतः जिला-मुरैना तहसील-सबलगढ़ के ग्राम-खिरका प.ह.नं 06., रा.नि. वृत्त-01 में उक्त परियोजना के लिये 0.432 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

क्र.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि प्रकार	का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2	3	4	5	6
01	99	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.064	लटूर पुत्र कल्ला, मु. भन्ती बेबा कल्ला, समान भाग 2/3, जावित्री बेबा रामस्वरूप सेवक पुत्र रामस्वरूप नारायणी, रेशा भूरे मनीशा पुत्रियान रामस्वरूप समानभाग 1/3 जाति जाटव
02	102	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.035	जीगन, परिमाल, शिवचरन पुत्रगण छोटे मु. नैनो बेबा छोटे स.भाग 1/2 सामन्त गिरवर पुत्रगण सुखुआ रुमाली ल्होरी पुत्रियान सुखुआ जाति जाटव निवासी ग्राम 1/2 समान भाग भूदान कृषक
03	225	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.003	जीगन परिमाल, शिवचरन पुत्रगण छोटे मु. नैनो बेबा छोटे स.भाग 1/2 सामन्त गिरवर पुत्रगण सुखुआ, रुमाली, ल्होरी पुत्रियान सुखुआ जाति जाटव स.भाग 1/2 भूदान कृषक
04	222	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.041	लटूर पुत्र कल्ला मु. भन्ती बेबा कल्ला समान भाग 2/3 जावित्री बेबा

					रामस्वरूप सेवक पुत्र रामस्वरूप, नारायणी रेखा भूरो, मनीशा. पुत्रीयान रामस्वरूप समानभाग 1/3 जाति जाटव
5	221	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.085	मातादीन पुत्र बालमुकन्द जाति वै य नि. सबलगढ़ भाग 1/2 हरीसिंह पुत्र लटूर भाग 1/4 जावित्री बेबा रामस्वरूप सेवक पुत्र रामस्वरूप, नारायणी रेखा भूरो मनीशा पुत्रीयान रामस्वरूप समान भाग 1/4 जाति जाटव नि. ग्राम
6	165	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.129	लटूर पुत्र कल्ला मु भन्ती बेबा कल्ला समानभाग 2/3 जावित्री बेबा रामस्वरूप सेवक पुत्र रामस्वरूप, नारायणी रेखा भूरो मनीशा पुत्रीयान रामस्वरूप समानभाग 1/3 जाति जाटव नि. ग्राम
7	163	भूमिस्वामी		0.075	मु. गनेशी बेबा सुखुआ, सियाराम मटुआ बादशाह शिवनारायण सुखराम आ. सुखुआ रामश्री सावित्री आ. सुखुआ 1/5 समानभाग प्रभू आ. वाहली भाग 1/5 जाति काढी निवासी टैटरा श्रीमती बंसती देवी पत्नि सामन्ताराम भाग 3/5 जाति जाटव नि. ग्राम भूमिस्वामी

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजरव) जौरा में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

समुचित सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृद्ध को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृद्धा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय/विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे।

**विशेष :** धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2017

क्रमांक एफ-3-17/2017/18-5 :: मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद द्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-17/2017/18-5, दिनांक 23.03.2017 द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित विदिशा विकास योजना 2011 में उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है :—

(उपांतरण का विवरण)

अनुक्र.	<u>उपांतरण विवरण</u>
1.	<p><b>अध्याय-6 कंडिका 6.1</b></p> <p><u>प्रवृत्तशीलता—</u></p> <p>भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उपविभाजन तथा भूमि का व्यवसायिक उपयोग के परिपेक्ष्य में भूमि उपयोग।</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है :—</p> <p><b>अध्याय-6 कंडिका 6.1</b></p> <p><u>प्रवृत्तशीलता—</u></p> <p>भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उपविभाजन, संयुक्तकरण, विलियन उपांतरण एवं भूमि का उपयोग सम्मिलित है।</p>
2.	<p><b>अध्याय-6 कंडिका 6.2</b></p> <p><u>क्षेत्राधिकार</u></p> <p>इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23) की धारा 13 (1) के अन्तर्गत गठित विदिशा निवेश क्षेत्र पर लागू होगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं है, वे म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होगे।</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है :—</p> <p><b>अध्याय-6 कंडिका 6.2</b></p> <p><u>क्षेत्राधिकार</u></p> <p>इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश</p>

	अधिनियम 1973 (क्रमांक 23) की धारा 13(1) के अन्तर्गत निवेश क्षेत्र पर लागू होगे तथा जो नियम इस अध्याय में वर्णित नहीं है वे म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होगे।
3.	<p><b>अध्याय-6 कंडिका 6.3</b></p> <p><u>परिभाषाए</u></p> <p>टीप:-</p> <p>अन्य परिभाषाए म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के अनुरूप रहेगी। उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-</p> <p><b>अध्याय-6 कंडिका 6.3</b></p> <p><u>परिभाषाए</u>-</p> <p>टीप:-</p> <p>म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप होगे।</p>
4.	<p><b>अध्याय-6 कंडिका 6.5</b></p> <p><u>नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन</u></p> <p>1. एक भूखण्ड में चार इकाईयों से अधिक को समाहित करने हेतु प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में तैयार किये गये अभिन्यास की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब आवश्यक प्रावधान जैसे-जल-मल निकास तथा विराम सुविधा का प्रावधान किया हो तथा भवन निर्माण की अनुमति देने के पूर्व उक्त सेवायें एवं सुविधाएँ प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होना चाहिये। ऐसे भूखण्डों का आकार 288 वर्गमीटर से कम नहीं होगा तथा म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 82 के अनुरूप परिवारों को समाहित करने हेतु विशिष्ट रूप से रूपांकित किये जायेंगे।</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-</p> <p><b>अध्याय-6 कंडिका 6.5</b></p> <p><u>नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन</u></p> <p>1. एक भूखण्ड में चार इकाईयों से अधिक को समाहित करने हेतु प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में तैयार किये गये अभिन्यास की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब आवश्यक प्रावधान जैसे-जल-मल निकास तथा विराम सुविधा का प्रावधान किया हो तथा भवन निर्माण की अनुमति देने के पूर्व उक्त सेवायें एवं सुविधाएँ प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होना चाहिये। ऐसे भूखण्डों का आकार 288 वर्गमीटर से कम नहीं होगा, उसे 12 मीटर चौड़े मार्ग से पहुंच होना चाहिये, ऐसे भूखण्डों पर स्वीकार्य आवासीय ईकाई की गणना एक आवासीय इकाई में व्यक्तियों की संख्या 5 तथा 1 व्यक्ति के लिये आवश्यक निर्मित क्षेत्र 12.5 वर्गमीटर की दर से की जावे। ऐसे भूखण्ड उपरोक्तानुसार परिवारों को समाहित करने हेतु अभिन्यासों में विशिष्ट रूप से रूपांकित किये जायेंगे।</p>

<p><b>5.</b> अध्याय—6 कंडिका 6.5</p> <p>2. म.प्र. नगर पालिका कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण एवं निर्बंधन शर्त नियम 1998 के प्रावधानों के अनुरूप अनौपचारिक वर्ग हेतु भूमि/भूखण्ड आरक्षित किया जाएगा।</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती हैः—</p> <p><b>अध्याय—6 कंडिका 6.5</b></p> <p>2. म.प्र. नगरपालिका (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण एवं निर्बंधन तथा शर्त) नियम 1998 एवं म.प्र. ग्राम पंचायत (कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण एवं निर्बंधन तथा शर्त) नियम 1999 के प्रावधानों के अनुरूप कमजोर आय वर्ग हेतु भूमि/भवन आरक्षित किया जाएगा।</p>
<p><b>6.</b> अध्याय—6 कंडिका 6.5</p> <p>4 म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के परिशिष्ट एम (नियम 94) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषता अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिए।</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती हैः—</p> <p><b>अध्याय—6 कंडिका 6.5</b></p> <p>4 अल्प आय तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभिन्यास म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 99 परिशिष्ट (ज) के निहित प्रावधानों के अनुरूप मान्य होगा।</p>
<p><b>7.</b> अध्याय—6 कंडिका 6.5.1</p> <p><u>आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड</u></p> <p>सारणी 6—सा—2 का नोट :-</p> <p>2. सारणी के अनुक्रमांक 9 से 13 में दर्शाये गये भूखण्ड के आकारों को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहुइकाई भू-खण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है।</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती हैः—</p> <p><b>अध्याय—6 कंडिका 6.5.1</b></p> <p><u>आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड</u></p> <p>सारणी 6—सा—2 का नोट :-</p> <p>2. सारणी के अनुक्रमांक 1 से 4 के भूखण्ड 6 मीटर चौड़े मार्ग पर होने की दशा में इस पर दो मंजिले आवास निर्माण अनुज्ञेय होगे। सारणी के अनुक्रमांक 9 से 13 में दर्शाये गये भूखण्ड के आकारों को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहुइकाई भू-खण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है। ऐसे भूखण्डों पर स्वीकार्य आवासीय इकाईयों की</p>

गणना विकास योजना में दिये गये घनत्व के आकार पर की जायेगी का विकास हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 56 के अनुरूप विकास के प्रकरणों पर एम.ओ.एम रखे जा सकते हैं और इन भूखण्डों के समक्ष 12 मीटर चौड़ा मार्ग होना चाहिए। अनुक्रमांक 1 से 8 तक भूखण्ड की श्रेणियां निजी आवासों के स्वरूप की होंगी।

#### **8. अध्याय-6 कंडिका 6.5.1**

टीप 4 :— समूह आवास में स्वीकार्य भूतल आच्छादन क्षेत्र में यदि आच्छादित वाहन विराम व्यवस्था की गई हो तो उसकी गणना फर्शी क्षेत्र अनुपात में न की जाये।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती हैः—

#### **अध्याय-6 कंडिका 6.5.1**

टीप 4 :— भूतल की नीचे बेसमेंट, म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 76 के प्रावधान अनुसार स्वीकार्य होगा।

#### **9. अध्याय-6 कंडिका 6.5.1**

टीप 5 :— भवन की अधिकतम ऊँचाई म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 में निहित प्रावधानों के अनुरूप होगी।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती हैः—

#### **अध्याय-6 कंडिका 6.5.1**

टीप 5 :— उपरोक्त सारणी भूखण्डीय विकास हेतु प्रस्तावित है, उपरोक्त भवन ऊँचाई एवं अन्य मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत नियंत्रित होंगे।

#### **10. अध्याय-6 कंडिका 6.5.1**

टीप 6 एवं 7 :— एकल/संयुक्त परिवार के भूखण्ड पर 4 आवासीय ईकाइयों से अधिक स्वीकार्य नहीं होगा। घनत्वीय गणना हेतु एक आवासीय ईकाई में 5 व्यक्ति तथा घरेलू नौकर आवास में 2.4 का रहवास माना जायेगा।

उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती हैः—

#### **अध्याय-6 कंडिका 6.5.1**

टीप 6 एवं 7 :— आवासीय प्रयोजन के भूखण्ड पर निर्धारित एफ.ए.आर. के अतिरिक्त कर्मचारी आवास का निर्माण म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 61 की सारणी में दिये गये टीप (3) के अनुरूप मान्य होगा।

11.	<p><b>अध्याय—6 कंडिका 6.5.1</b></p> <p>टीप 8 :—288 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्डों में स्वीकार्य निर्मित फर्शी क्षेत्र के प्रति 240 वर्गमीटर पर एक कार पार्किंग स्थल प्रावधित होना चाहिए।</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती हैः—</p> <p><b>अध्याय—6 कंडिका 6.5.1</b></p> <p>टीप 8:— 288 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्डों में स्वीकार्य निर्मित फर्शी क्षेत्र के प्रति 100 वर्गमीटर पर एक कार पार्किंग स्थल प्रावधित होना चाहिए।</p>
12.	<p><b>अध्याय—6 कंडिका 6.5.2</b></p> <p><u>बहुमंजिले इकाई निर्माण</u></p> <p>म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होगे।</p> <p>अन्य नियंत्रण</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती हैः—</p> <p><b>अध्याय—6 कंडिका 6.5.2</b></p> <p><u>बहुमंजिले इकाई निर्माण</u></p> <p>12 मीटर से ऊचे भवनों के मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के अनुरूप मान्य होगे। किन्तु विभिन्न उपयोगों में अधिकतम एफ.ए.आर. विकास योजना में प्रावधानित अनुसार होगा।</p>
13.	<p><b>अध्याय—6 कंडिका 6.6</b></p> <p><u>वन आवास (फार्म हाउस)</u>—</p> <p>विकास योजना में प्रस्तावित विकसित क्षेत्र एवं निवेश क्षेत्र सीमा के मध्य कृषि क्षेत्र में कृषक के निजी रहवासी हेतु निर्मित क्षेत्र फार्म सम्बन्धी अन्य गतिविधियों आच्छादित क्षेत्र आदि फार्महाउस के अन्तर्गत निम्नानुसार प्रस्तावित किया जाता है।</p> <p>इसके मापदण्ड निम्नानुसार होगे</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>भूखण्ड का न्यूनतम आकार 4045 वर्गमीटर होगा।</li> <li>अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात 0.10 अनुज्ञेय होगा।</li> <li>ढलुआ छत सहित संरचना (निर्माण) की अधिकतम ऊचाई 6.5 मीटर होगी।</li> <li>फार्महाउस के भूखण्ड में न्यूनतम 200 जीवित वृक्ष प्रति 4045 वर्गमीटर में प्राधिकारी के भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक द्वारा वृक्षारोपण करवाना होगा जिनका विकास का दायित्व आवेदक का होगा।</li> <li>फार्महाउस केवल उसी भूमि पर अनुज्ञेय होगा जिनके लिये सार्वजनिक मार्ग (सड़क) द्वारा पहुँच उपलब्ध हो अथवा क्षेत्र का अभिन्यास संचालक द्वारा अनुमोदित हो।</li> <li>वन आवास में सभी ओर से न्यूनतम 10 मीटर खुला क्षेत्र होगा।</li> <li>वन आवास से जल स्रोत प्रदूषित नहीं होना चाहिए।</li> <li>वन आवास में भवन/आच्छादित क्षेत्र/मार्ग आदि की संख्या तथा आवश्यकतानुसार</li> </ol>

	<p>समन्वित योजना नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा तैयार/अनुमोदित की जावेगी।</p> <p>9. किसी भी कृषि भूमि का भूस्वामी उक्त मापदण्डों के अनुरूप वन आवास के रूप में विकसित करने के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश से अनुज्ञा प्राप्त करेगा।</p> <p>कृषि भूमि उपयोग में निर्माण हेतु 0.4 हेक्टेयर क्षेत्रफल से कम की भूमि उपविभाजन हेतु स्वीकार्य नहीं होगी।</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-</p> <p><b>अध्याय-6 कंडिका 6.6</b></p> <p><u>वन आवास (फार्म हाउस):-</u></p> <p>निवेश क्षेत्र में फार्म हाउस के मानक म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 अनुसार मान्य होगे।</p>
14.	<p><b>अध्याय-6 कंडिका 6.7</b></p> <p><u>वाणिज्यिक विकास हेतु मापदण्ड</u></p> <p>सारणी 6-सा-3 की टीप- 2 उपरोक्त वाणिज्यिक क्षेत्रों में तलघर म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञेय होगा।</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-</p> <p><b>अध्याय-6 कंडिका 6.7</b></p> <p><u>वाणिज्यिक विकास हेतु मापदण्ड</u></p> <p>सारणी 6-सा-3 की टीप- 2 उपरोक्त वाणिज्यिक क्षेत्रों में तलघर म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञेय होगा।</p>
15.	<p><b>अध्याय-6 कंडिका 6.7</b></p> <p><u>वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक सारणी 6-सा-4 के कमांक 6 में विराम स्थल 1.5 कार स्पेस प्रति 100 वर्गमीटर क्षेत्र के।</u></p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-</p> <p><b>अध्याय-6 कंडिका 6.7</b></p> <p><u>वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक सारणी 6-सा-4 के कमांक 6 में विराम स्थल म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 के अनुरूप होंगे।</u></p>
16.	<p><b>अध्याय-6 कंडिका 6.7.1</b></p> <p><u>ईधन भराव एवं भराव सह सेवा केन्द्र हेतु मानक:-</u></p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-</p> <p><b>अध्याय-6 कंडिका 6.7.1</b></p>

	<p><u>ईंधन भराव एवं भराव सह सेवा केन्द्र हेतु मानकः— ईंधन भराव एवं भराव सह सेवा केन्द्र हेतु मानक म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 53 (3) (चार) के अनुरूप मान्य होंगे।</u></p>
17.	<p><b>अध्याय—6 कंडिका 6.7.2</b></p> <p><u>छविगृहों के लिये मापदण्ड</u></p> <p>मार्ग चौड़ाई :— छविगृहों का भूखण्ड जिस मार्ग पर स्थित होगा, उसकी चौड़ाई 18 मीटर से कम नहीं होगी।</p> <p>वाहन विराम स्थल (पार्किंग) :— सीमान्त खुला क्षेत्र के अतिरिक्त फर्शी क्षेत्र का 1.67 ई.सी.एस.प्रति 100 वर्गमीटर अथवा 1 ई.सी.एस. प्रति 150 कुर्सियों के लिए, इनमें जो भी कम हो।</p> <p>आवश्यक क्षेत्र :— 2.3 वर्गमीटर प्रति कुर्सी की दर से आवश्यक क्षेत्र की गणना की जावे।</p> <p>भूखण्ड का निर्मित क्षेत्र :— बैठक क्षमता 800 सीट तक के लिये अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 40 प्रतिशत स्वीकार्य होगा एवं उससे अधिक क्षमता के छविगृहों के लिये अधिकतम 33 प्रतिशत।</p> <p>सीमान्त खुला क्षेत्र :— न्यूनतम 15 मीटर</p> <p>आजू/बाजू : न्यूनतम 4.5 मीटर / 4.5 मीटर</p> <p>पीछे :— न्यूनतम 4.5 मीटर</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है।—</p> <p><b>अध्याय—6 कंडिका 6.7.2</b></p> <p><u>छविगृहों के लिये मापदण्ड</u></p> <p>छविगृहों के लिये मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 नियम 53(3) (दो) के अनुरूप मान्य होंगे।</p>
18.	<p><b>अध्याय—6 कंडिका 6.7.2 अ</b></p> <p><u>नयी कंडिका जोड़ा जाना प्रस्तावित है।</u></p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है।—</p> <p><b>अध्याय—6 कंडिका 6.7.2 अ</b></p> <p><u>नयी कंडिका जोड़ा जाना प्रस्तावित है।</u></p> <p><u>मल्टीप्लेक्स :</u></p> <p>मल्टीप्लेक्स हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 90 (क) के प्रावधान लागू</p>

	होगे।
19.	<p><b>अध्याय-6 कंडिका 6.7.2ब</b></p> <p><u>नयी कंडिका जोड़ा जाना प्रस्तावित है।</u></p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-</p> <p><b>अध्याय-6 कंडिका 6.7.2 ब</b></p> <p><u>शापिंग मॉल</u></p> <p>म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 96 के प्रावधान लागू होगे।</p>
20	<p><b>अध्याय-6 कंडिका 6.9</b></p> <p><u>औद्योगिक विकास मानक</u></p> <p>औद्योगिक क्षेत्रों के अभिन्यास के मानक निम्नानुसार होगे।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भूखण्ड का क्षेत्र— अधिकतम 60 प्रतिशत</li> <li>2. मार्गों, वाहन विराम एवं खुले क्षेत्र— अधिकतम 30 प्रतिशत</li> </ol> <p>दुकाने एवं अन्य सुविधाए— न्यूनतम 10 प्रतिशत।</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-</p> <p><b>अध्याय-6 कंडिका 6.9</b></p> <p><u>औद्योगिक विकास मानक</u></p> <p>औद्योगिक विकास के मानक म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 48 के अनुरूप होंगे। भूखण्डों को पहुच प्रदान करने वाले मार्गों की न्यूनतम चौड़ाई 15 मीटर होना चाहिए।</p>
21	<p><b>अध्याय-6 कंडिका 6.9.1</b></p> <p><u>फ्लेटेड फैक्ट्रीयों</u></p> <p>फ्लेटेड फैक्ट्रीयों के लिए अधिकतम निर्मित क्षेत्र एवं फर्शीक्षेत्र अनुपात नये विकसित क्षेत्र में निम्नानुसार होगा।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. न्यूनतम भूखण्ड का आकार —1000 मीटर</li> <li>2. निर्मित क्षेत्र —50 प्रतिशत</li> <li>3. फर्शी क्षेत्र 1:1.5</li> </ol> <p>सीमान्त खुला क्षेत्र—स्थल स्थिति / वाहन पार्किंग सुविधा सहित अभिन्यास के मानक अनुसार</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-</p> <p><b>अध्याय-6 कंडिका 6.9.1</b></p>

	<p><u>फ्लेटेड फैक्ट्रीयों</u></p> <p>फ्लेटेड फैक्ट्रीयों के मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 48 के अनुरूप होंगे।</p>
22	<p><b>अध्याय-6 कंडिका 6.10</b></p> <p><u>सामाजिक अधोसंरचना हेतु मानक</u></p> <p>सामाजिक अधोसंरचना के मापदण्ड सारणी 6—सा—9 अनुसार होंगे।</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती हैः—</p> <p><b>अध्याय-6 कंडिका 6.10</b></p> <p><u>सामाजिक अधोसंरचना हेतु मानक</u></p> <p>सामाजिक अधोसंरचना के मापदण्ड एवं प्रावधान म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49 के अनुरूप मान्य होंगे।</p>
23	<p><b>अध्याय-6 कंडिका 6.12(ब एवं स)</b></p> <p>कार एवं बसों के सड़को पर पार्किंग हेतु मानक,</p> <p>सड़को के किनारे कार पार्किंग सारणी 6—सा—13,</p> <p>परिसरों में वाहन विराम के मापदण्ड सारणी 6—सा—14</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती हैः—</p> <p><b>अध्याय-6 कंडिका 6.12(ब एवं स)</b></p> <p><u>वाहन विराम स्थल के मापदण्ड</u></p> <p>वाहन विराम संबंधित मापदण्ड म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 के प्रावधानों के अनुरूप मान्य होंगे।</p>
24	<p><b>अध्याय-6 कंडिका 6.13</b></p> <p><u>उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति सारणी 6—सा—15</u></p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती हैः—</p> <p><b>अध्याय-6 कंडिका 6.13</b></p> <p>उपयोग परिक्षेत्रों में उपयोग परिसरों की अनुमति सारणी 6—सा—15 में निम्न परिसर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य भूमि उपयोग में जोड़े जाये।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>आवासीय में विवाह पार्क (मेरिज गार्डन), मल्टीप्लेक्स।</li> <li>वाणिज्यिक स्वीकृत उपयोग में विवाह पार्क (मेरिज गार्डन), मल्टीप्लेक्स तथा शॉपिंग माल, पेट्रोल पम्प।</li> <li>औद्योगिक – कोई परिवर्तन नहीं।</li> </ol>

	<p>4. सार्वजनिक अर्द्धसार्वजनिक— विवाह पार्क (मेरिज गार्डन), पेट्रोल पम्प।</p> <p>5. आमोद-प्रमोद— पेट्रोल पम्प।</p> <p>6. यातायात एवं परिवहन— कोई परिवर्तन नहीं।</p> <p><u>कृषि</u> — विवाह पार्क (मेरिज गार्डन), मल्टीप्लेक्स।</p>
25	<p><b>अध्याय-6 कंडिका 6.15</b></p> <p><u>संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियम:-</u></p> <p>नदी, नाला एवं तालाबों के किनारे छोड़ा जाने वाला कम से कम क्षेत्र म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुसार होगा।</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-</p> <p><b>अध्याय-6 कंडिका 6.15</b></p> <p><u>संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियम:-</u></p> <p>नदी, नाला एवं तालाबों के किनारे छोड़ा जाने वाला कम से कम क्षेत्र म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 50 के प्रावधानों के अनुसार होगा।</p>
26	<p><b>अध्याय-6 कंडिका 6.17</b></p> <p><u>विकास / निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया:-</u></p> <p>विकास योजना प्रस्तावों के अन्तर्गत आवेदनकर्ता को अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने अपने आवेदन पत्र के साथ म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं म.प्र. भूमि विकास नियम, 1884 के प्रावधानानुसार होगी।</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-</p> <p><b>अध्याय-6 कंडिका 6.17</b></p> <p><u>विकास / निवेश अनुज्ञा प्राप्ति की प्रक्रिया:-</u></p> <p>विकास योजना प्रस्तावों के अन्तर्गत आवेदनकर्ता को अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन पत्र के साथ म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 एवं म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानानुसार होगी।</p>
27	<p><b>अध्याय-6 कंडिका 6.18</b></p> <p><u>विकास योजना के प्रस्तावों प्राप्ति हेतु प्रक्रिया:-</u></p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-</p> <p><b>अध्याय-6 कंडिका 6.18</b></p> <p><u>विकास योजना के प्रस्तावों प्राप्ति हेतु प्रक्रिया:-</u></p> <p>म.प्र. भूमि विकास नियम-2012 की धारा 49(1) के टिप्पणी 4 के प्रावधानों के अनुरूप विकास योजना प्रस्ताव प्राप्ति हेतु अभिलेखों की आवश्यकता होगी।</p>
28	<p><b>अध्याय-7</b></p> <p><u>योजना क्रियान्वयन</u></p> <p>भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण सम्बन्धी अनेक प्रावधान म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 एवं अधिनियम 1973 में निहित हैं।</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-</p> <p><u>योजना क्रियान्वयन</u></p> <p>भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण सम्बन्धी अनेक प्रावधान म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 एवं अधिनियम 1973 में निहित हैं।</p>

2. उपरोक्त उपान्तरण विदिशा विकास योजना 2011 का एकीकृत भाग होगा।

## सूचना

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2017

**क्रमांक-एफ-3/94/ 2016/18-5 :** मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3/94/2016/18-5, दिनांक 15.11.2016 द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित छतरपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है। उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है :-

### उपांतरणों का विवरण

क्र.	विकास योजना का प्रावधान जिसे उपांतरित किया जाना है एवं उपांतरित प्रावधान का विवरण
1.	<p><b>5.6 प्रस्तावित परिव्रमण संरचना (मध्य क्षेत्र)</b>  <b>(स ) वाहन विराम स्थल :-</b>          मध्यवर्ती क्षेत्र में नगर के अन्दर वाहनों की पार्किंग हेतु कोई विशिष्ट स्थल उपलब्ध नहीं हैं, मुख्यतः वाहन मार्गों के किनारे खड़े किये जाते हैं, वाहन विराम हेतु विकास योजना में वाहन, विराम स्थल प्रस्तावित किया जा सकता है, वर्तमान कृषि उपज मंडी के सामने एवं तहसील कार्यालय के सामने रिक्त भूमि का उपयोग पार्किंग हेतु प्रस्तावित है। इसके साथ ही वाणिज्यिक परिसरों में भी पार्किंग की व्यवस्था भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों तहत रखा जाना प्रस्तावित है।          उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-</p> <p><b>5.6 प्रस्तावित परिव्रमण संरचना (मध्य क्षेत्र)</b>  <b>(स ) वाहन विराम स्थल :-</b>          मध्यवर्ती क्षेत्र में नगर के अन्दर वाहनों की पार्किंग हेतु कोई विशिष्ट स्थल उपलब्ध नहीं हैं, मुख्यतः वाहन मार्गों के किनारे खड़े किये जाते हैं, वाहन विराम हेतु विकास योजना में वाहन, विराम स्थल प्रस्तावित किया जा सकता है, वर्तमान कृषि उपज मंडी के सामने एवं तहसील कार्यालय के सामने रिक्त भूमि का उपयोग पार्किंग हेतु प्रस्तावित है। इसके साथ ही वाणिज्यिक परिसरों में भी पार्किंग व्यवस्था वाहन विराम स्थल मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 84 के प्रावधानों तहत रखा जाना प्रस्तावित है।</p>
2.	<p><b>6.2 क्षेत्राधिकार</b>          (1) इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13(1) के अन्तर्गत गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं हैं वे मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 में निहित प्रावधानों के अनुरूप के होंगे          उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-</p> <p><b>6.2 क्षेत्राधिकार</b>          (1) इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13(1) के अन्तर्गत गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं हैं वे मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप होंगे।</p>

3.	<p><b>6.3 परिमापायें:-</b></p> <p><b>आच्छादित क्षेत्र</b></p> <p>भूतल पर भवन नींव जिस पर छत हैं, के क्षेत्र की गणना आच्छादित क्षेत्र में की जावेगी, जिसमें छत स्तर पर छज्जों द्वारा धेरा गया क्षेत्र आच्छादित क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जावेगा नींव के बाहर आवश्यक सेट बैक खुले क्षेत्र में किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन नींव स्तर पर स्वीकार्य नहीं होगा यह प्रोजेक्शन भूतल से 2.5 मीटर ऊँचाई के नीचे मान्य नहीं होगा वाहन/पद यात्रियों के आवागमन की सुगमता हेतु निर्धारित ऊँचाई के साथ उपरी छत पर सेट बैक के एक तृतीयांश (1/3) तक केन्टीलीवर प्रोजेक्शन आच्छादित क्षेत्र में सम्मिलित नहीं होगा। समूह आवास के आच्छादित क्षेत्र की गणना में द्वितीय एवं तृतीय तल स्तर पर आवागमन हेतु छत के नीचे 5.5 मीटर छोड़े गये सुस्पष्ट जगह (जो किसी सेट बैक/मार्जिनलओपेन स्पेस में समाविष्ट न हो) को सम्मिलित नहीं किया जावेगा, सर्विस डक्ट एवं लिफ्ट वेल्स को छोड़कर भवन के शेष सभी क्षेत्रों की गणना आच्छादित क्षेत्र में की जावेगी।</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-</p> <p><b>6.3 परिमापायें:-</b></p> <p><b>आच्छादित क्षेत्र</b></p> <p>आच्छादित क्षेत्र म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 नियम 2 (20) के प्रावधानों के अनुरूप मान्य होगा।</p>
3.2	<p><b>निर्माण योग्य क्षेत्र</b></p> <p>अपनी विभिन्न आकृतियों के साथ निर्माण योग्य क्षेत्र से तात्पर्य सभी तलों पर कुल निर्मित क्षेत्र से है, जिसमें दीवारों की मोटाई, कारीडोर, स्नान गृह, ऊपर से ढके छज्जे का आधार क्षेत्र प्रत्येक तल पर सीढ़ियों का आधार क्षेत्र (मिड लैंडिंगक्षेत्र के साथ) सम्मिलित होगा, निर्मित योग्य क्षेत्र में डक्टस, कट आउट्स, रैलिंग के साथ चारों ओर पैरापिट लिफ्ट वेल की गणना नहीं की जावेगी। पार्किंग हेतु निर्मित बैंसमेंट की गणना निर्माण योग्य क्षेत्र में नहीं की जावेगी। पार्किंग आवश्यकताओं के रूपाकांक्ष के विपरीत निर्मित बैंसमेंट को अन्य उपयोग हेतु बनाया मानकर इसे निर्माण योग्य क्षेत्र की गणना में सम्मिलित किया जावेगा ऐसे मेजनाइन तल जो कि दीवारों द्वारा विभाजित ना हो या बिना दीवारों को एक तरफ से खुला पार्टीशन हो एवं निचले तल के एक तृतीयांश तक हो, को निर्माण योग्य क्षेत्र की गणना में सम्मिलित नहीं किया जावेग। ऐसा मेजनाइन तल जो कि निचले तल के एक तृतीयांश क्षेत्र से अधिक हो या पार्टीशन द्वारा विभाजित हो, एक या सभी ओर से बन्द हो, को एक स्वतन्त्र मानकर निर्मित क्षेत्र की गणना में सम्मिलित माना जावेगा, आकाश की ओर खुले टैरेस के साथ सर्वोच्च तल पर निर्मित मशीन रूप एवं सीढ़ियों की मरमी को निर्माण योग्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-</p> <p><b>निर्माण योग्य क्षेत्र</b></p> <p>निर्माण योग्य क्षेत्र म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 नियम 2(30) के प्रावधानों के अनुरूप मान्य होगा।</p>
3.3	<p><b>फर्शी क्षेत्र अनुपात</b></p> <p>प्रश्नाधीन भूमि के भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल के अनुपात में एक भवन के सभी तलों पर निर्माण योग्य क्षेत्र का अनुपात फर्शी अनुपात कहलायेगा। निर्माण योग्य क्षेत्र में बैंसमेंट, यदि वह पार्किंग हेतु उपयोग में नहीं लाया जा रहा हो तो सम्मिलित होगा, ऐसे अनुपात में निर्माण मात्रा की अधिकतम सीमा निहित हैं, इस संबंध में कोई परिवर्तन या परिस्थितियां मान्य नहीं की जावेगी, केवल इस अध्याय में विशेष प्रावधित परिस्थितियों को छोड़कर।</p> <p>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-</p> <p><b>फर्शी क्षेत्र अनुपात</b></p> <p>फर्शी क्षेत्र अनुपात म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 नियम 2(30) के प्रावधानों के अनुरूप मान्य होगा।</p>

3.4	<p><b>भवन की ऊँचाई</b></p> <p>भवन की ऊँचाई की गणना संदर्भ तल के (पहुँच मार्ग) मध्य से की जावेगी, यह स्तर भूस्तर होगा एवं निर्मित संरचना की ऊँचाई की गणना इस स्तर से उच्चतम स्तर के अंतिम बिंदु तक की जायेगी, भूखण्ड की स्थिति का लाभ लेते हुए मार्ग स्तर से नीचे के भाग तक वार्ड रहवासी क्षेत्र के रूप में उपयोग किया जाता हैं तो उसे रहवासी क्षेत्र के रूप में स्वीकृत करते हुये उसकी एफ. ए. आर. में गणना की जावेगी आकाश की ओर खुले टेरेस पर निर्मित मशीन रूम, ऐसी एवं लिफ्ट से संबंधित निर्माण ऊँचाई में नहीं गिना जावेगा।</p> <p><b>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-</b></p> <p><b>भवन की ऊँचाई</b></p> <p><b>भवन की ऊँचाई म0प्र0 भूमि विकास नियम 2(9) के प्रावधानों के अनुरूप मान्य होगा।</b></p>
4.	<p><b>6.5—आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन</b></p> <p>(6) निम्न श्रेणी आवास समूह के लिये विशेष तौर पर अभिन्यास परिशिष्ट एम (नियम 94) मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानानुसार तैयार किया जावेगा।</p> <p><b>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-</b></p> <p><b>6.5—आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन</b></p> <p>(6) अल्प आय तथा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हेतु अभिन्यास म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 99 परिशिष्ट "ज" में निहित प्रावधान के अनुरूप मान्य होंगे।</p>
5.	<p><b>सारणी 6—सा—1:— आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड</b></p> <p><b>सारणी 6—सा—1 के नीचे नोट :-</b></p> <p>2. सारणी अनुक्रमांक 1से4 के भूखण्ड 6 मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित होने की दशा में इन पर केवल दो मंजिला आवास निर्माण अनुमति दी जाएगी।</p> <p>(3) सारणी के अनुक्रमांक 9 से 14 में दर्शाये गये आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों बहु इकाई भूखंडीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है। ऐसे भूखण्डों पर स्वीकार्य आवासीय इकाईयों की गणना भूमि विकास नियम 1984 के नियम 82 द्वारा अधिशासित होंगे।</p> <p>(5) समूह आवास में स्वीकार्य भूतल आच्छादन क्षेत्र में यदि आच्छादित पार्किंग व्यवस्था की गई हो तो उसकी गणना एफ.ए.आर. में न की जावें।</p> <p>(6) भवन की अधिकतम ऊँचाई 18 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहियें (सिटल्ट पार्किंग हेतु 2.4 मीटर ऊँचाई को छोड़कर)</p> <p><b>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-</b></p> <p><b>सारणी 6—सा—1:— आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड</b></p> <p><b>सारणी 6—सा—1 के नीचे नोट :-</b></p> <p>(2) विलोपित किया जाये।</p> <p>(3) विलोपित किया जाये।</p> <p>(5) विलोपित किया जाये।</p> <p>(6) विलोपित किया जाये।</p>
6.	<p><b>6.5.1 समूह आवास :-</b></p> <p>समूह आवास परियोजनाओं हेतु मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुसार मापदण्ड लागू होंगे।</p> <p><b>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-</b></p>

	<p><b>6.5.1 समूह आवास :-</b> समूह आवास मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 60 के प्रावधान लागू होंगे।</p>
7.	<p><b>6.5.2 बहुविधि बहुमंजिली इकाई निर्माण :</b> मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधान अनुसार नियंत्रित होंगे। <b>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित किया जाता है:-</b></p> <p><b>6.5.2 बहुविधि बहुमंजिली इकाई निर्माण :-</b> ऊँचे भवनों का निर्माण म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 की सारणीयों सारणी क्रमांक 4 तथा 5 में "कॉलम 5 में फर्शीक्षेत्र अनुपात छतरपुर विकास योजना 2021 में प्रावधानित अनुसार होगा" को संशोधित करते हुये एवं सहपठित नियम 12 के प्रावधान के अनुरूप मान्य होंगे।</p>
8.	<p><b>6.5.4 वन आवास :</b> विकास योजना में प्रस्तावित विकसित क्षेत्र एवं निवेश क्षेत्र सीमा के मध्य कृषि भूमि में कृषक के निजी रहवास हेतु निर्मित क्षेत्र में केवल आवास संबंधी अन्य गतिविधियां आच्छादित क्षेत्र आदि वन आवास के अन्तर्गत निम्नानुसार प्रस्तावित किया जाता है। इसके मापदण्ड निम्नानुसार होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. भूखण्ड का न्यूनतम आकार 4045 वर्ग मीटर होगा।</li> <li>2. अधिकतम तल क्षेत्र अनुपात 0.10 होगा।</li> <li>3. ढलुआ छत सहित संरचना (निर्माण) की अधिकतम ऊँचाई 6.5 मीटर होगी।</li> <li>4. वन आवास के भूखण्ड में न्यूनतम 200 जीवित वृक्ष प्रति 4045 वर्गमीटर में प्राधिकारी को भवन निर्माण अनुज्ञा हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक द्वारा वृक्षारोपण कराना होगा। जिनका विकास एवं संरक्षण का दायित्व आवेदक का होगा।</li> <li>5. वन आवास केवल उसी भूमि पर होगा जिसके लिये सार्वजनिक मार्ग द्वारा पहुँच उपलब्ध हो अथवा क्षेत्र का अभिन्यास संचालक द्वारा अनुमोदित हो।</li> <li>6. वन आवास के सभी ओर से न्यूनतम 10 मीटर खुला क्षेत्र होगा, अन्य शर्तें निम्नानुसार है :- (अ) आवासीय/आच्छादित भवन का, वन आवास बाड़ से कम से कम सेट बैक 15 मीटर होगा। (ब) यदि वन आवास पक्की सड़क पर स्थित हो तो ऐसी दशा में बाड़ से 22 मीटर का सेट बैक रखा जावेगा तथा ग्रामीण सड़क पर यदि फार्म हो तो ऐसी दशा में ऐसे मार्ग के मध्य से 30 मीटर जगह खुली रखी जावेगी। (स) वन आवास यदि राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित हो तो, राष्ट्रीय मार्ग की सीमात रेखा से 90 मीटर तक कोई निर्माण नहीं होगा। (द) जिन क्षेत्रों की ढलान, जलाशय, नदी, पेयजल, स्त्रोत, जलसंग्रहण एवं जल पितरण केन्द्र की ओर हो, वहां उक्त से 5 किलो मीटर तक फार्म हाउस प्रतिबंधित रहेंगे। यही शर्त प्राकृतिक ढलानों पर स्थित भूमि के लिये भी लागू मानी जावेगी। (इ) वन आवास के लिये पहुँच मार्ग कम से कम 13 मीटर का होगा, किन्तु जब एक ही पहुँच मार्ग, एक से अधिक वन आवास के लिये उपयोग में हो तो पहुँच मार्ग की चौड़ाई कम से कम 18 मीटर होगी। पहुँच मार्ग का निर्माण संयुक्त आवासीय हो सकता। (फ) वन आवास में भवन/आच्छादित क्षेत्र/मार्ग आदि की संरचना तथा आवश्यकतानुसार समन्वित योजना नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा तैयार अनुमोदित की जावेगी। (य) किसी भी कृषि भूमि का भू-स्वामी उक्त मानदंडों के अनुरूप वनआवास के रूप में विकसित करने के पूर्व नगर तथा ग्राम निवेश से अनुज्ञा प्राप्त करेगा।</li> </ol> <p><b>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-</b></p>

	<p><b>6.5.4 फार्म हाउस :</b> फार्म हाउस के मापदण्ड म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17 के प्रावधान के अनुरूप मान्य होंगे।</p>
9.	<p><b>6.7 वाणिज्यिक क्षेत्र विकास नियमन</b> सारणी 6—सा—2 के नीचे की टीप क्रमांक (2) उपरोक्त वाणिज्यिक क्षेत्रों में तल घर मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञेय होंगा। उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-</p> <p><b>6.7 वाणिज्यिक क्षेत्र विकास नियमन</b> सारणी 6—सा—2 के नीचे की टीप क्रमांक(2) उपरोक्त वाणिज्यिक क्षेत्रों में तल घर मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञेय होंगा।</p>
10.	<p><b>6.8 ईंधन भराव एवं भराव सह सेवा केन्द्र :-</b> पेट्रोल सह सेवा केन्द्रों के लिये निम्न नियमन अनुसंशित है:-</p> <p>1— मार्ग संगम से न्यूनतम दूरी (अ) 30 मी. से कम मार्गाधिकार वाले मार्ग 150 मीटर। (ब) 30 मीटर अथवा इससे अधिक मार्गाधिकार (चौड़ाई)– 250 मीटर।</p> <p>2. 30 मीटर से कम मार्गाधिकार वाले मार्गों के मध्य से पेट्रोल पम्प के भवन की दूरी कम से कम 15 मीटर होना आवश्यक है। जबकि 30 मीटर या उससे अधिक मार्गाधिकार वाले मार्गों की दशा में मार्ग का मार्गाधिकार सुरक्षित रखा जावे।</p> <p>3. न्यूनतम भूखण्ड आकार – (1) केवल ईंधन भराव 30X17 मीटर (ब) ईंधन भराव सह सेवा केन्द्र न्यूनतम आकार 36X30 मीटर एवं अधिकतम 45X33 मीटर। (स) भूखण्ड का अग्रभाग 30 मीटर से कम नहीं होना चाहिये। (द) भूखण्ड का लंबा भाग अग्र भाग नहीं होगा।</p> <p>4. 18 मीटर से मार्गाधिकार वाले मार्गों पर नये पेट्रोल पंप निषिद्ध होंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग/राजमार्ग पर चौराहे/तिराहे से दूरी –300 मी. (न्यूनतम)। उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-</p> <p><b>6.8 ईंधन भराव एवं भराव सह सेवा केन्द्र :-</b> ईंधन भराव एवं भराव सह सेवा केन्द्र हेतु मापदण्ड म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 नियम 53 (3) (4) के प्रावधान अनुरूप मान्य होंगे।</p>
11.	<p><b>6.8 छविगृह हेतु मापदण्ड :-</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>मार्ग की चौड़ाई:-छविगृह का भूखण्ड जिस मार्ग स्थित है, उसकी चौड़ाई 18 मीटर से कम नहीं होगी।</li> <li>आवश्यक क्षेत्र :- 2.3 वर्ग मीटर प्रति कुर्सी की दर से आवश्यक क्षेत्र की गणना की जायेगी।</li> <li>भूखण्ड का निर्मित क्षेत्र :- बैठक क्षमता 800 सीट तक के लिये अधिकतम आच्छादित क्षेत्र 40 प्रतिशत स्वीकार्य होगा एवं उससे अधिक क्षमता के छविगृहों के लिये अधिकतम 33 प्रतिशत स्वीकार्य होगा।</li> </ul> <p>खुलाक्षेत्र – अग्र 15 मीटर न्यूनतम आजू-बाजू 4.5 मी. 4.5 मीटर, पीछे 4.5 मीटर।</p> <p>विराम स्थल :-सीमांत खुला क्षेत्र के अतिरिक्त फर्शी क्षेत्र का 1.67 ई. सी.एस.प्रति 100 वर्ग मीटर अथवा</p>

	<p>ई. सी.एस.प्रति 150 कुर्सी के लिये, इनमें से जो भी कम है।</p> <p><b>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती हैः—</b></p> <p><b>6.8 छविगृह हेतु मापदण्ड :-</b></p> <p>छविगृहों के मापदण्ड म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 नियम 53 (3) (दो) के अनुरूप होंगे ।</p>
12.	<p><b>6.9 औद्योगिक विकास मानक :-</b></p> <p>औद्योगिक क्षेत्रों के अभिन्यास के मानक निम्नानुसार अनुशंसित है :-</p> <p>1.भूखण्ड का क्षेत्रः—अधिकतम 65 प्रतिशत</p> <p>2.मार्ग,वाहन, विराम :—न्यूनतम 25 प्रतिशत विराम एवं खुले क्षेत्र</p> <p>3.दुकानों एवं अन्य</p> <p>न्यूनतम 10 प्रतिशत सेवा—सुविधाओं हेतु न्यूनतम 10 प्रतिशत ।</p> <p>औद्योगिक विकास हेतु म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के नियम 48 (1) (2) के अनुसार भी आवश्यकता पड़ने पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा ।</p> <p><b>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती हैः—</b></p> <p><b>6.9 औद्योगिक विकास मानक :-</b></p> <p>औद्योगिक क्षेत्रों के विकास मानक म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 48 एवं मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई नियम 38(4)(ख) के प्रावधानों के अनुरूप मान्य होंगी।</p>
13.	<p><b>6.12 सामाजिक अधोसंरचना हेतु मानक</b></p> <p>सारणी 6—सा— 5 सेवा सुविधाओं हेतु विकास नियमन</p> <p><b>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती हैः—</b></p> <p><b>6.12 सामाजिक अधोसंरचना हेतु मानक</b></p> <p>सारणी 6—सा— 5 सेवा सुविधाओं हेतु विकास नियमन</p> <p>सामुदायिक सुविधाओं के मापदण्ड म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49 के अनुरूप होंगे ।</p>
14.	<p><b>6.15 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन</b></p> <p>बड़े नालों एवं प्रमुख तालाबों के किनारे से विकास योजना में प्रस्तावित/उपदर्शित क्षेत्र अथवा न्यूनतम 15 मीटर दूसी तक का क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र के रूप में खुला रखा जावेगा इस सीमा के अन्तर्गत स्थित संरचनाओं में किसी प्रकार का बदलाव या नव निर्माण की अनुमती नहीं दी जावेगी, नियंत्रित क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं बैठक की व्यवस्था स्वीकार्य होगी, इस क्षेत्र में ऐतिहासिक/विरासत महत्व के स्मारकों एवं मंदिर को सुरक्षित रखा जावेगा, तथा इन स्मारकों में रख रखाव को प्रोत्साहित किया जावेगा, कीचड़, मल निकास, सेप्टिक टैंक, निकास किसी भी स्थिति में तालाबों में प्रवाहित नहीं किया जावेगा ।</p> <p><b>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती हैः—</b></p> <p><b>6.15 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन</b></p> <p>म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के नियम 50 के प्रावधानों के अनुरूप होंगे ।</p>
15.	<p><b>6.18 उपयोग परिसर में स्वीकृत उपयोग गतिविधियाँ :</b></p> <p><b>सार्वजनिक दुकानें</b></p> <p>फुटकर, दुरुस्ती एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान, वाणिज्यिक कार्यालय, म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के परिशिष्ट (ज) में उल्लेखित वाणिज्यिक क्षेत्र में उल्लेखित उद्योग, उपचार, प्रयोगशाला, कलीनीक, एवं पाली कलीनीक, रेस्टोरेंट, शीतल पेय एवं स्नेस, डाकघर एवं बैंक विस्तार काउण्टर, नर्सिंग होम एवं अतिथि गृह ।</p> <p><b>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती हैः—</b></p>

	<p><b>6.18 उपयोग परिसर में स्वीकृत उपयोग गतिविधियाँ :-</b></p> <p><b>सार्वजनिक दुकानें</b></p> <p>फुटकर ,दुरुस्ती एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान ,वाणिज्यिक कार्यालय , म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 के परिशिष्ट (च) में उल्लेखित उद्योग ,उपचार ,प्रयोगशाला ,क्लीनीक ,एवं पाली क्लीनीक ,रेस्टोरेंट ,शीतल पेय एवं स्नेस,डाकघर एवं बैंक विस्तार काउण्टर , नर्सिंग होम एवं अतिथि गृह</p>
16.	<p><b>6.19 विकास /नियोजन अनुज्ञा प्राप्ति प्रक्रिया :</b></p> <p>विकास योजना प्रस्तावों के अन्तर्गत आवेदन कर्ता को अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन पत्र के साथ मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 तथा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानानुसार निम्न दस्तावेज /जानकारी संलग्न किया जाना आवश्यक होगी ।</p> <p>(1) मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के नियम 16 में निर्धारित प्रपत्र पर अनुज्ञा हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहिये जिसमें नियम 17 में उल्लेखित जानकारी का समावेश होना चाहिये ।</p> <p>(12) मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के अनुरूप विकास अनुज्ञा/नियोजन अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा ,अनुज्ञा आवेदन के साथ निर्धारित शीर्ष में जमा शुल्क का चालान संलग्नित होना चाहिये ।</p> <p>(14) मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 की धारा 49 (3) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रश्नाधीन भूमि का विकास योजना में प्रावधान प्राप्त कर विकास अनुज्ञा आवेदन के साथ संलग्नित करे ।</p> <p><b>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-</b></p> <p><b>6.19 विकास /नियोजन अनुज्ञा प्राप्ति प्रक्रिया :</b></p> <p>विकास योजना प्रस्तावों के अन्तर्गत आवेदन कर्ता को अनु प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन पत्र के साथ मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 तथा मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानानुसार निम्न दस्तावेज /जानकारी संलग्न किया जाना आवश्यक होगी ।</p> <p>(1) मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप में विकास अनुज्ञा हेतु आवेदन, नियम 16 में उल्लेखित जानकारी सहित प्रस्तुत करना होगा ।</p> <p>(12) मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अनुरूप विकास/अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा, आवेदन के साथ निर्धारित शीर्ष में जमा शुल्क का चालान संलग्नित होना चाहिये ।</p> <p>(14) मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 की धारा 49 (4) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रश्नाधीन भूमि का विकास योजना में प्रावधान प्राप्त कर विकास अनुज्ञा आवेदन के साथ संलग्नित करे ,</p>
17.	<p><b>6.20 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया (प्रस्तावित भू उपयोग )</b></p> <p>मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 1984 की नियम 49 (3) के प्रावधानों के अनुरूप विकास योजना प्रस्ताव प्राप्ति हेतु निम्न की आवश्यक होगी ।</p> <p>(1) निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र (परिशिष्ट-3 अनुसार )</p> <p>(2) प्रश्नाधीन भूमि का मूल खसरा मानचित्र जिसमें इसमें इस भूमि तथा 200 मीटर तक समीपस्थ खसरा क्रमांक दर्शित हो ।</p> <p>(3) अद्यतन खसरा पंचशाला एवं खसरा खतोनी</p> <p>(4) आवेदन केवल भू-स्वामी द्वारा ही प्रस्तुत किया जावेगा ।</p> <p><b>उपरोक्त कंडिका को विलोपित कर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-</b></p> <p><b>6.20 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया के (प्रस्तावित भूमि उपयोग )</b></p> <p>मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 की धारा 49 (4) के प्रावधानों के अनुरूप विकास योजना प्रस्ताव प्राप्ति हेतु निम्न की आवश्यकता होगी-1.परिशिष्ट-(छ) के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र तथा नियम 16 के अनुरूप दी जाने वाली जानकारी ।</p>

18.

**7.1 योजना क्रियान्वयन**

किसी भी विकास योजना से तब तक नगर वासी लाभान्वित नहीं हो सकते जब तक की योजना क्रियान्वयन हेतु ठोस प्रयास पूर्णरूप से नहीं किया जावें, नगर के विकास के लिये वहाँ के नागरिकों, विकास संस्थाये, स्थानीय प्रशासन एवं शासकीय विभागों के सामुहिक प्रयास आवश्यक होते हैं। विकास योजना क्रियान्वयन हेतु नगर तथा ग्राम निवेश नियोजन सम्बंधी परामर्श/मार्ग दर्शन उपलब्ध करायेगा ताकि प्रस्तावित विकास एवं निर्माण कार्य विकास योजना प्रस्तावों के अनुरूप हो सकें। मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई भी विकास कार्य चाहे वह शासकीय/अर्द्धशासकीय या व्यक्तिगत हो उसकी अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त कर लिया जावें भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण सम्बंधी प्रावधान म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 एवं नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में निहित है।

उपरोक्त कांडिका को विलोपित कर निम्न कांडिका प्रतिस्थापित की जाती है:-

**7.1 योजना क्रियान्वयन**

किसी भी विकास योजना से तब तक नगर वासी लाभान्वित नहीं हो सकते जब तक की योजना क्रियान्वयन हेतु ठोस प्रयास पूर्णरूप से नहीं किया जावें, नगर के विकास के लिये वहाँ के नागरिकों, विकास संस्थाये, स्थानीय प्रशासन एवं शासकीय विभागों के सामुहिक प्रयास आवश्यक होते हैं। विकास योजना क्रियान्वयन हेतु नगर तथा ग्राम निवेश नियोजन सम्बंधी परामर्श/मार्ग दर्शन उपलब्ध करायेगा ताकि प्रस्तावित विकास एवं निर्माण कार्य विकास योजना प्रस्तावों के अनुरूप हो सकें। मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई भी विकास कार्य चाहे वह शासकीय/अर्द्धशासकीय या व्यक्तिगत हो उसकी अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त कर लिया जावें भूमि उपयोग तथा भूमि विकास के नियंत्रण सम्बंधी प्रावधान म0प्र0 भूमि विकास नियम 2012 एवं नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में निहित है।

2. उपरोक्त उपान्तरण छतरपुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सी. के. साधव, उपसचिव,

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 06 जून 2017

प्र. क्र. 01-अ-82-09-10—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये प्रयोजन के लिये मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रचलित डब्ल्यू.पी.-1993-2011 में पारित आदेश दि. 8 दिसम्बर 2016 में दिये गये निर्देशों के परिपालन में कृषि उपज मंडी द्वारा अपने पत्र क्रमांक 100 दिनांक 19 मई 2017 अनुसार मध्यप्रदेश शासन एवं वरिष्ठालय सिलवानी से बरेली रोड स्थित शासकीय कृषि फार्म की जगह अधिगृहित कर मंडी निर्माण कराया जा चुका है. मंडी समिति को वर्तमान में उक्त भूमि की आवश्यकता नहीं है. या आवश्यकता पड़ने की संभावना नहीं है.

अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. वर्तमान में उक्त ख.नं. की आवश्यकता नहीं होने से अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के डीनोटिफिकेशन हेतु प्राधिकृत करता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	खसरा नंबर	लगभग क्षेत्रफल प्रस्तावित रकम (एकड़ में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
रायसेन	सिलवानी	आमापानी कलां पटवारी हल्का नम्बर 18	63/3/3/2 63/3/3/2 63/3/4/2 63/3/3/1 63/3/4/1	0.21 0.21 3.65 3.41 7.48	सचिव कृषि उपज मंडी समिति सिलवानी जिला रायसेन.	डीनोटिफिकेशन हेतु

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
भावना वालिम्बे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला डिण्डौरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

डिण्डौरी, दिनांक 19 जून 2017

क्र. भू-अर्जन-23-(अ-82)-2016-2017-38.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधान अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है.

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाधान अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन					निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकम (हेक्टेयर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	चरगांव माल सबमाइंरे नं. 01	208/3 214/1	0.05 0.06	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगांव परियोजना का नहर कार्य.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			209	0.15		
			210/1	0.03		
			210/2	0.03		
			211/1	0.03		
			211/2	0.03		
			211/3	0.03		
			194/1	0.04		
			194/2	0.04		
			192/1	0.05		
			145/1	0.02		
			192/2	0.05		
			145/2	0.02		
			58/1	0.03		
			189/2	0.03		
			159	0.12		
			150/5क	0.02		
			150/2ख	0.04		
			151/1	0.04		
			151/2	0.08		
			152/1	0.08		
			152/4	0.02		
			152/2	0.02		
			152/3	0.02		
			153/1	0.10		
			154/2	0.01		
			154/1	0.01		
			154/3	0.01		
			83	0.07		
			59/1, 59/7	0.05		
			59/2, 59/8	0.05		
			59/3, 59/14	0.05		
			59/4, 59/9	0.05		
			59/6, 59/12	0.05		
			60	0.06		
			48	0.18		
			61	0.06		
			63	0.07		
			50/1	0.16		
			50/2	0.08		
			50/3	0.08		
			49/1	0.04		
			49/2	0.16		
			39	0.05		
			42	0.12		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			40/1	0.10		
			40/2	0.10		
			41	0.14		
			योग . .	<u>2.98</u>		
	शासकीय भूमि	84		0.01		
		85/2, 86/2		0.02		
		62		0.01		
		186		0.01		
		योग . .	<u>0.05</u>			
		सकल योग . .	<u>3.03</u>			

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-24-(अ-82)-2016-2017-39.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

भूमि का वर्णन				अनुसूची		निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकम (हेक्टेयर में)	का नाम	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
डिण्डौरी	शहपुरा	समनपुरा माल	122	0.04	कार्यपालन यंत्री, जल	बिलगाँव परियोजना का नहर	
			125/1	0.08	संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	कार्य.	
			123/1	0.16			
			123/3	0.04			
			125/2	0.10			
			124	0.07			
			121	0.06			
			120	0.08			
			योग . .	<u>0.63</u>			
	शासकीय भूमि			योग . .	<u>0.00</u>		
				सकल योग . .	<u>0.63</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-25-(अ-82)-2016-2017-40.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाधात अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन					निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	संग्रामपुर माल	153/1 154 155 232/1 160 231 230/2 232/2 226/1 226/2 221 227 219	0.02 0.01 0.03 0.19 0.01 0.05 0.01 0.04 0.06 0.05 0.06 0.04 0.03	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगाँव परियोजना का नहर कार्य.
योग . .					<u>0.60</u>	
शासकीय भूमि					<u>0.60</u>	
योग . .					<u>0.60</u>	
सकल योग . .					<u>0.60</u>	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-26-(अ-82)-2016-2017-41.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाधात अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन					निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	पिपराडी सबमाइनर नं. 01	11 12/1	0.02 0.04	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगाँव परियोजना का नहर कार्य.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			12/2	0.04		
			13/1	0.01		
			13/2	0.01		
			13/3	0.01		
			13/4	0.01		
			13/5	0.01		
			171	0.01		
			172	0.02		
			173	0.02		
			174	0.02		
			190	0.01		
			195/1	0.01		
			195/2	0.01		
			195/3	0.01		
			195/4	0.01		
			196	0.02		
			199/1	0.01		
			199/2	0.01		
			200/1	0.01		
			200/2	0.01		
			201/1	0.01		
			201/2	0.01		
			201/3	0.01		
			201/4	0.01		
			202/1	0.02		
			202/2/क	0.02		
			202/2/ख	0.02		
			202/2/ग	0.02		
			202/3/क	0.02		
			202/3/ख	0.02		
			202/4	0.02		
			202/5	0.02		
			योग . .	<u>0.53</u>		
		शासकीय भूमि				
			योग . .	<u>0.00</u>		
			सकल योग . .	<u>0.53</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-27-(अ-82)-2016-2017-42.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाघात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाघात अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के

अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता हैः—

अनुसूची					निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
भूमि का वर्णन			भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)				
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	शक्तिभगदू माल.	362	0.13	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगाँव परियोजना का नहर कार्य.	
			363	0.13			
			364	0.15			
			365/1	0.10			
			365/2	0.07			
			योग .	0.58			
शासकीय भूमि							
			योग .	0.00			
			सकल योग .	0.58			

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-28-(अ-82)-2016-2017-43.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाधात अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता हैः—

अनुसूची					निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
भूमि का वर्णन			भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)				
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	बरौदा	308	0.02	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगाँव परियोजना का नहर कार्य.	
			306/2क	0.02			
			306/2ख	0.02			
			306/1	0.07			
			274/1	0.07			
			274/2	0.06			
			276/1	0.06			
			276/2	0.06			
			278	0.09			
			279/1	0.06			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			279/2	0.06		
			280	0.08		
			281	0.05		
			205/3	0.03		
			282/3	0.02		
			282/4	0.02		
			205/4	0.03		
			282/5	0.02		
			205/5	0.03		
			284	0.05		
			287/1	0.02		
			287/2	0.01		
			287/3	0.01		
			287/4	0.01		
			287/5	0.01		
			287/6	0.02		
			222/1	0.04		
			286	0.01		
			226/1, 226/7	0.02		
			226/2	0.02		
			226/9	0.02		
			226/3	0.02		
			226/4	0.02		
			226/5	0.02		
			226/8	0.02		
			226/6	0.02		
			226/10	0.02		
			225/1	0.04		
			225/4	0.01		
			225/5	0.01		
			225/6	0.01		
			223	0.02		
			222/2	0.04		
			217	0.12		
			215	0.03		
			213	0.02		
			214	0.02		
			212	0.02		
			210	0.14		
			209	0.20		
			208	0.05		
			207/3	0.06		
			207/4	0.06		
			207/1	0.01		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			207/2	0.01		
			364/2	0.01		
			364/3	0.01		
			364/1	0.02		
			368	0.17		
			205/2	0.03		
			205/1	0.03		
			योग . .	<u>2.37</u>		
	शासकीय भूमि		307	0.02		
			216	0.01		
			346	0.03		
			363	0.01		
			योग . .	<u>0.07</u>		
			सकल योग . .	<u>2.44</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-29-(अ-82)-2016-2017-44.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाधात अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

अनुसूची						
जिला	तहसील/ तालुक	भूमि का वर्णन	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	(1)	(2)
डिण्डौरी	शहपुरा	पोड़ी	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगाँव परियोजना का नहर कार्य.	प्रस्तावित रकमा (हेक्टेयर में)	प्रस्तावित रकमा (हेक्टेयर में)
					150	0.26
					113	0.04
					111	0.02
					17	0.29
					14	0.19
					योग . .	<u>0.80</u>
	शासकीय भूमि				152	0.01
					112	0.06
					37	0.05
					38	0.02
					योग . .	<u>0.14</u>
					सकल योग . .	<u>0.94</u>

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-30-(अ-82)-2016-2017-45.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाधात अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची					निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	भूमि का वर्णन	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	शक्तिभगदू रैयत	127 130	0.03 0.08	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगॉव परियोजना का नहर कार्य.
		सबमाइनर.	128 123 122 121	0.28 0.26 0.09 0.02		
			योग . .	<u>0.76</u>		
		शासकीय भूमि				
			योग . .	<u>0.00</u>		
			सकल योग . .	<u>0.76</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-31-(अ-82)-2016-2017-46.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाधात अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची					निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	भूमि का वर्णन	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	मंगेला	39 40 42/1 42/2	0.02 0.07 0.02 0.02	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगॉव परियोजना का नहर कार्य.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			30/1	0.03		
			36/1	0.03		
			30/2	0.03		
			29/3	0.02		
			30/3	0.02		
			29/1	0.02		
			29/2	0.02		
			28	0.07		
			27	0.04		
			38	0.01		
			47	0.08		
			37	0.08		
			36/2	0.03		
			34/1	0.03		
			34/2	0.03		
			46/2	0.04		
			46/3	0.07		
			योग . .	<u>1.05</u>		
			योग . .	<u>1.05</u>		
			शासकीय योग . .	<u>0.00</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-32-(अ-82)-2016-2017-47.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधान अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाधान अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	भूमि का वर्णन		निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
			सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	टिकरिया	341	0.02	कार्यपालन यंत्री, जल	बिलगाँव परियोजना का नहर
		सबमाइनर नं. 01	346/1	0.01	संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	कार्य.
			346/2	0.01		
			347	0.02		
			348/1	0.01		
			348/2	0.01		
			348/3	0.01		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			431	0.02		
			432	0.03		
			433	0.02		
			435	0.03		
			438	0.03		
			439	0.04		
			449/1	0.01		
			449/2	0.01		
			451	0.09		
			450/1	0.05		
			450/2	0.02		
			454/1	0.02		
			454/2	0.02		
			455	0.03		
			453	0.04		
			456/1	0.03		
			456/2	0.03		
			457	0.09		
			458/2	0.03		
			459	0.06		
			460	0.03		
			461	0.04		
			462	0.01		
			463	0.07		
			635	0.03		
			636/1	0.03		
			636/2	0.03		
			637/1	0.03		
			637/2	0.03		
			675ब	0.02		
			466	0.01		
			467	0.02		
			468/1	0.01		
			468/2	0.01		
			योग . .	1.16		
शासकीय भूमि		452		0.01		
			योग . .	0.01		
			सकल योग . .	1.17		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-33-(अ-82)-2016-2017-48.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाधात अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				निर्माण कार्य एजेंसी		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	टिकरा खम्हरिया	32	0.05	कार्यपालन यंत्री, जल	बिलगाँव परियोजना का नहर
			26	0.08.	संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	कार्य.
			22/1	0.03		
			22/2	0.13		
			22/3	0.02		
			21	0.06		
			योग .	<u>0.37</u>		
		शासकीय भूमि	30	<u>0.01</u>		
			योग .	<u>0.01</u>		
			सकल योग .	<u>0.38</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-34-(अ-82)-2016-2017-49.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाधात अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				निर्माण कार्य एजेंसी		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	बरगाँव	1761/1	0.01	कार्यपालन यंत्री, जल	बिलगाँव परियोजना का नहर
		माइनर-1	1760	0.07	संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	कार्य.
			1772/1	0.04		
			1772/2	0.05		
			1771	0.04		
			1810	0.13		
			1811	0.10		
			1823	0.02		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1822	0.03		
			1815	0.05		
			1817	0.01		
			1818	0.03		
			1819	0.02		
			1820	0.02		
			1827	0.01		
			1828	0.09		
			1829	0.06		
			1830/1	0.02		
			1830/2	0.02		
			1830/3	0.02		
			1821	0.05		
			योग . .	<u>0.89</u>		
शासकीय भूमि						
			योग . .	<u>0.00</u>		
			सकल योग . .	<u>0.89</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर/डिपॉर्टमेंट में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-34-(अ-82)-2016-2017-49.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, डिएंडोरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधान अध्ययन से छट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाधान अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

भूमि का वर्णन					निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रक्कम (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	बरगाँव	74	0.04	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगाँव परियोजना का नहर कार्य.
		माइनर नं. 02	299	0.02		
			323	0.09		
			300	0.13		
			294/2	0.01		
			295/1	0.12		
			294/1	0.15		
			288	0.13		
			293/1	0.01		
			265/1	0.09		
			265/2	0.09		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			265/3	0.09		
			263	0.02		
			262	0.01		
			264	0.13		
			145	0.21		
			146	0.01		
			250	0.05		
			249	0.06		
			248	0.06		
			152	0.02		
			153	0.23		
			162	0.07		
			161	0.10		
			160	0.06		
			159/1	0.02		
			159/2	0.02		
			159/3	0.02		
			222	0.01		
			223	0.04		
			218/1	0.07		
			218/2	0.02		
			218/3	0.04		
			219	0.01		
			220	0.01		
			182	0.01		
			योग . .	<u>2.27</u>		
		शासकीय भूमि				
			योग . .	<u>0.00</u>		
			सकल योग . .	<u>2.27</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर/डिप्लौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-35-(अ-82)-2016-2017-52.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, डिप्लौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाजात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाजात अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।—

जिला	तहसील/ तालुक	भूमि का वर्णन		भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	सर्वे नंबर			
(1) डिप्लौरी	(2) शहपुरा	(3) करौदी	(4) 94	(5) 0.02	(6) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिप्लौरी.	(7) बिलगाँव परियोजना का नहर कार्य.
		माइनर-2	93	0.02		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			90	0.04		
			92	0.03		
			91/1	0.03		
			91/2	0.10		
			101	0.36		
			योग . .	<u>0.60</u>		
			योग . .	<u>0.60</u>		
			शासकीय . .	<u>0.00</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-36-(अ-82)-2016-2017-50.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधान अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाधान अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।—

भूमि का वर्णन				अनुसूची		निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकम (हेक्टेयर में)	का नाम	का वर्णन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
डिण्डौरी	शहपुरा	सुहगी नं. 1	254 257 249 258 268/1 266 256/1 270/2 158/3 256/2 270/1 248 246 247 225 167 168/1 168/4 163/1 163/4	0.02 0.22 0.03 0.01 0.01 0.03 0.08 0.02 0.03 0.04 0.05 0.07 0.11 0.04 0.16 0.05 0.03 0.02 0.03 0.03	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगाँव परियोजना का नहर कार्य.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			161/1	0.01		
			161/4	0.02		
			155/1	0.01		
			155/4	0.01		
			168/2	0.03		
			163/2	0.02		
			161/3	0.01		
			155/3	0.01		
			168/3	0.02		
			163/3	0.02		
			161/2	0.01		
			155/2	0.01		
			158/1	0.03		
			158/7	0.03		
			158/2	0.03		
			154/1	0.01		
			158/4	0.03		
			158/5	0.03		
			158/6	0.03		
			154/2	0.02		
			153	0.03		
			152	0.03		
			144/1	0.01		
			144/2	0.01		
			268/2	0.01		
			258/2	0.01		
			258/3	0.01		
			268/3	0.01		
			258/4	0.01		
			268/4	0.01		
			258/5	0.01		
			268/5	0.01		
			योग . .	<u>1.63</u>		
<b>शासकीय भूमि</b>			151	0.02		
			192	0.02		
			योग . .	<u>0.04</u>		
			<b>सकल योग . .</b>	<b><u>1.67</u></b>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर/डिप्लॉरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-36-(अ-82)-2016-2017-50.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, डिप्लॉरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाजात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाजात अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के

अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

भूमि का वर्णन				अनुसूची		निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	का नाम		का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	सुहागी नं. 02	77/1 77/2 87 78 82 89 88 94/1 94/2	0.16 0.05 0.10 0.02 0.03 0.02 0.11 0.09 0.08	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगाँव परियोजना का नहर कार्य.	
				योग . .	0.66		
		शासकीय भूमि	80		0.13		
				योग . .	0.13		
				सकल योग . .	0.79		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-37-(अ-82)-2016-2017-53.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाजात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाजात अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

भूमि का वर्णन				अनुसूची		निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	का नाम		का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	रनगांव माईनर-02	352 359 358 357 360 361/1 361/2	0.02 0.09 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगाँव परियोजना का नहर कार्य.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			361/3	0.05		
			441	0.10		
			439	0.07		
			436	0.02		
			437	0.04		
			383/2	0.01		
			383/1	0.05		
			384	0.02		
			385/1	0.07		
			419	0.03		
			392	0.019		
			385/2	0.07		
			385/3	0.07		
			391	0.04		
			56/1	0.14		
			56/2	0.02		
			55/1/क	0.05		
			55/1/ग	0.02		
			55/2	0.02		
			54	0.02		
			51	0.10		
			399	0.04		
			440	0.10		
			444	0.02		
			327	0.12		
			योग . .	<u>1.83</u>		
	शासकीय भूमि		449	<u>0.08</u>		
			313	<u>0.03</u>		
			योग . .	<u>0.11</u>		
			सकल योग . .	<u>1.94</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर/डिप्टी रोड में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-37-(अ-82)-2016-2017-53.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, डिप्टी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधार अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाधार अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है।

भूमि का वर्णन				निर्माण कार्य एजेंसी		सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिप्टी	शहपुरा	रनगांव	188/1	0.07	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिप्टी	बिलगाँव परियोजना का नहर कार्य.
		माईनर-01	185	0.02		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			194	0.01		
			183	0.43		
			146	0.34		
			143	0.13		
			144	0.02		
			योग . .	<u>1.02</u>		
		शासकीय भूमि				
			योग . .	<u>0.00</u>		
			सकल योग . .	<u>1.02</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर/डिप्लौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-38-(अ-82)-2016-2017-54.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, डिप्लौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वर्तनस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाधात अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

### अनुसूची

जिला	तहसील/ तालुक	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिप्लौरी	शहपुरा	शहपुरा	440	0.08	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिप्लौरी.	बिलगॉव परियोजना का नहर कार्य.
		माईनर-02	448/1	0.05		
			448/2	0.16		
			442/1	0.10		
			442/2	0.06		
			444/1	0.06		
			444/2	0.07		
			444/3/क	0.06		
			444/3/ख	0.06		
			445	0.03		
			436/22	0.06		
			458/1	0.05		
			458/2	0.05		
			457/2	0.05		
			446/2			
			455/2			
			456	0.18		
			457/1			
			459			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			452	0.03		
			436/3/1	0.04		
			436/3/2	0.04		
			436/3/3	0.04		
			436/3/4	0.04		
			436/3/5	0.04		
			436/2ख	0.020		
			436/11ख			
			436/2ख	0.08		
			436/11ख			
			454/2/1	0.02		
			454/3	0.03		
			454/4	0.02		
			454/5/ख	0.03		
			455/1/ख	0.02		
			455/1/ग	0.02		
			455/1/घ	0.02		
			453/1	0.04		
			453/2	0.04		
			711/1	0.01		
			711/2	0.03		
			710	0.07		
			724/1	0.10		
			724/3			
			724/4	0.23		
			724/5			
			723	0.11		
			708	0.07		
			724/2	0.10		
			योग . .	2.68		
	शासकीय भूमि		457/1	0.04		
			759	0.02		
			योग . .	0.06		
			सकल योग . .	2.74		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-38-(अ-82)-2016-2017-54.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाधात अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के

अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

भूमि का वर्णन				अनुसूची	निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	शहपुरा	680/1	0.01	कार्यपालन यंत्री, जल	बिलगाँव परियोजना का नहर
		सबमाईनर-01	680/2	0.01	संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	कार्य.
			680/3	0.01		
			680/4	0.01		
			685/1/क	0.04		
			685/1/ख	0.07		
			685/1/ग	0.07		
			615/8	0.04		
			685/2			
			686/1	0.05		
			686/2	0.02		
			686/3	0.02		
			689/1	0.01		
			689/2	0.01		
			690/1	0.09		
			690/2	0.09		
			817/2	0.01		
			691	0.04		
			694/1	0.03		
			694/15	0.03		
			694/2	0.07		
			694/5	0.03		
			694/6	0.03		
			694/7	0.03		
			694/9	0.03		
			694/8	0.03		
			694/10	0.03		
			694/11	0.03		
			694/13	0.03		
			694/14	0.03		
			695/2	0.08		
			693	0.02		
			826/1/क	0.01		
			826/1/ख	0.01		
			826/1/ग	0.01		
			695/1	0.16		
			696/1	0.16		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			764	0.18		
			817/1	0.01		
			817/3	0.01		
			632/1/क	0.01		
			632/1/ख	0.01		
			632/4/ख	0.04		
			697/2	0.04		
			697/3	0.04		
			697/5	0.04		
			697/6	0.04		
			697/7	0.04		
			698/1			
			698/4	0.04		
			698/7			
			698/2	0.04		
			698/7			
			698/3			
			698/5	0.04		
			698/8			
			699	0.16		
			794/2	0.02		
			794/3	0.04		
			700	0.05		
			793	0.10		
			792/1	0.03		
			792/2	0.03		
			763/1	0.06		
			763/2/क	0.02		
			763/2/ख	0.02		
			765	0.14		
			697/1	0.04		
			697/4	0.04		
			769/1/ब	0.12		
			769/2	0.12		
			769/3	0.12		
			770	0.01		
			768	0.02		
			747/2	0.06		
			748	0.10		
			749/2	0.19		
			752/1	0.01		
			752/2	0.01		
			751			
			752/3	0.01		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			752/4	0.01		
			योग . .	<u>3.56</u>		
		शासकीय भूमि	694/3	0.01		
			694/4	0.01		
			816	0.02		
			633	0.03		
			744	0.02		
			706	0.03		
			789	0.17		
			योग . .	<u>0.29</u>		
			सकल योग . .	<u>3.85</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-38-(अ-82)-2016-2017-54.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाजात अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाजात अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:—

अनुसूची					निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	भूमि का वर्णन	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	का नाम	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	शहपुरा	256/1	0.02	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	बिलगॉव परियोजना का नहर कार्य.
		सबमार्ईनर-04	256/2क	0.05		
			256/2ख	0.10		
			252	0.10		
			201/1	0.04		
			256/3	0.03		
			256/4	0.03		
			256/6	0.05		
			256/9	0.05		
			256/10	0.02		
			256/11	0.02		
			256/12	0.02		
			250/2क	0.14		
			250/2घ	0.14		
			250/2ख	0.04		
			200/1क	0.07		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			200/1ख	0.07		
			201/2क	0.04		
			201/2ख	0.04		
			201/2ग	0.04		
			201/2घ	0.04		
			201/2ड	0.04		
			201/2च	0.04		
			201/4क	0.04		
			201/4ख	0.04		
			201/6	0.04		
			201/7	0.04		
			203/1	0.04		
			203/2	0.04		
			203/3	0.06		
			203/4	0.04		
			203/5	0.04		
			203/6	0.04		
			185/1	0.07		
			185/2	0.07		
			177	0.09		
			178/1	0.04		
			178/2	0.02		
			173/2	0.07		
			151/1	0.40		
			152	0.17		
			160/2/1	0.01		
			160/2/2	0.01		
			147/2	0.06		
			योग . .	<u>2.66</u>		
	शासकीय भूमि		135	<u>0.02</u>		
			योग . .	<u>0.02</u>		
			सकल योग . .	<u>2.68</u>		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर/डिण्डौरी में देखा जा सकता है।

क्र. भू-अर्जन-38-(अ-82)-2016-2017-54.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग डिण्डौरी कार्य शीघ्र शुरू किये जाने हेतु शासन निर्देश के तारतम्य में सामाजिक समाधान अध्ययन से छूट के लिये अधिनियम की धारा 40 के तहत कार्यवाही चाही गई है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 09 के तहत अत्यावश्यकता की दशा में “सामाजिक समाधात अध्ययन रिपोर्ट” से छूट प्रदान करते हुए अधिनियम, 2013 की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है:-

भूमि का वर्णन					अनुसूची	निर्माण कार्य एजेंसी	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)	का नाम		का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)
डिण्डौरी	शहपुरा	शहपुरा	433/1	0.05	कार्यपालन यंत्री, जल	बिलगाँव परियोजना का नहर	
		सबमाईनर-03	433/2	0.05.	संसाधन संभाग, डिण्डौरी.	कार्य.	
			57/1क	0.03			
			57/1/ख	0.03			
			55/1, 57/2	0.03			
			55/8, 57/9	0.03			
			55/3, 57/3	0.03			
			55/4, 57/4	0.03			
			55/5, 57/5	0.04			
			64/1	0.01			
			64/2	0.01			
			63/3	0.01			
			67	0.08			
			68/1	0.06			
			68/8	0.06			
			68/2	0.06			
			68/3	0.06			
			54/1	0.04			
			68/7	0.06			
			68/9	0.06			
			80	0.20			
			81	0.10			
			75	0.19			
			76/1	0.04			
			76/2	0.06			
			57/7	0.03			
			55/7, 57/8	0.03			
			54/3	0.04			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			72/2	0.16		
			27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5	0.10		
			27/4	0.07		
			24/1	0.12		
			28/1	0.07		
			23/1	0.02		
			23/2	0.04		
			24/2	0.09		
			27/6	0.08		
			432/3क	0.03		
			432/3ख	0.02		
			432/3ग	0.02		
			432/5	0.07		
			70/1	0.02		
			70/9	0.02		
			70/3	0.02		
			70/4	0.02		
			71/1	0.02		
			70/4/1	0.02		
			70/5क	0.02		
			70/8क	0.02		
			70/5ख	0.02		
			70/8ख	0.02		
			70/6	0.02		
			70/2	0.02		
			70/7	0.02		
			70/10	0.02		
			72/1	0.16		
			69/1	0.05		
				योग . .	2.90	
	शासकीय भूमि		57/2, 55	0.03		
			59	0.02		
			65	0.03		
			29/1	0.02		
			22	0.08		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			योग . .	0.18		
			सकल योग . .	3.08		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय, कलेक्टर/डिप्लौरी में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अमित तोमर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 28 जून 2017

पत्र क्र. भू-अर्जन 2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ।

#### अनुसूची

##### भूमि का वर्णन

जिला	तहसील	ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	बटियागढ़	नीमी, लुधनी लिथोरा हारट.	2.53 हेठो	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह।	फतेहपुर जलाशय योजना के अंतर्गत अतिरिक्त नहर निर्माण कार्य हेतु।

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पथरिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव।

### कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 29 जून 2017

प्रकरण क्र. 05-अ- 82-2014-15-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिए यह घोषणा की है, कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

#### अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला—छतरपुर
- (ख) तहसील—राजनगर
- (ग) ग्राम—बन्दरगढ़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल, निजी भूमि—0.160 हे।

स0क्र0

भूमि स्वामी का नाम

भूमि खसरा नं0

अर्जित रकमा (हे0मे)

(1)	(2)	(3)	(4)
1	मनप्यारे तनय श्री बल्देवा कोंदर	296/1	0. 130
2	मनप्यारे तनय बल्देवा कोंदर	296/2	0. 030
	योग . . . 02 किता		<u>0.160</u>

(2) लोक निर्माण विभाग सेतु परियोजना संभाग सागर हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

(3) भूमि के नक्शे, (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), राजनगर में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रमेश भण्डारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग  
जबलपुर, दिनांक 19 जूलाई 2017

क्र. 63-भू-अर्जन.इ-1-प्र.क्र.-03-(अ-82)-2016-2017.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) में उपबंधों के द्वारा अनुसूची के खाने (5) उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

कार्यपालन यंत्री, रानी अवंती बाई लोधी सागर, बांयी तट नहर संभाग क्र.2 बरगी हिल्स, जबलपुर की खजूरी वितरण नहर शाखा निर्माण हेतु ग्राम बिलखरवा, तहसील पाटन व जिला जबलपुर की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अतिआवश्यक है।

अतः अधिनियम की धारा-4 के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण की आवश्यकता नहीं है। इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

### अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन	धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेर में)	(5)	(6)
जबलपुर	पाटन	ग्राम बिलखरवा	0.39	भू-अर्जन अधिकारी रा.अ.बा.लो.सा. इकाई क्र. 1 बरगी हिल्स, जबलपुर.	खजूरी वितरण नहर निर्माण हेतु.
		प.ह.नं. 16 नं. ब. 300			
		तहसील पाटन,			
		जिला जबलपुर.			

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के बारे में हितवद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट [www.jabalpur.nic.in](http://www.jabalpur.nic.in) एवं मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट [www.mprevvenue.nic.in](http://www.mprevvenue.nic.in) पर भी देखा जा सकता है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी इकाई क्र. 1 बरगी हिल्स, जबलपुर एवं कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर, बांयी तट नहर संभाग क्र.2 बरगी हिल्स, जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

## राजस्व विभाग

**कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासि, बाणसागर, परियोजना जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

रीवा, दिनांक 7 जुलाई 2017

पत्र क्र. 1168-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मनगवां
- (ग) ग्राम—धुचियारी-150
- (घ) क्षेत्रफल —0.106 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकमा
	(हे. में)

(1)	(2)
-----	-----

अ-निजी पट्टे की भूमि

701	0.106
-----	-------

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग	0.106
------------------------------	-------

ब-म. प्र. शासन की भूमि

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग	0.000
--------------------------------	-------

अ + ब का योग	0.106
--------------	-------

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 10 एवं सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1171-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मनगवां
- (ग) ग्राम—भौवार-464
- (घ) क्षेत्रफल —4.889 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकमा

(हे. में)

(1) (2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

302	0.006
298	0.115
310	0.004
311	0.023
293	0.073
317	0.001
319	0.018
321	0.056
322	0.031
578	0.033
577	0.034
574	0.065
573	0.001
575	0.018
572	0.023
571	0.020
569	0.008
568	0.020
567	0.025
566	0.010
444	0.046
565	0.018
448	0.068
447	0.002

(1)	(2)	(1)	(2)
556	0.009	87	0.018
464	0.007	88	0.005
465	0.030	44	0.290
466	0.033	36	0.183
467	0.007	98	0.061
553	0.001	35	0.005
552	0.016	100	0.133
551	0.027	107	0.049
550	0.025	106	0.055
820	0.016	108	0.071
821	0.110	110	0.338
840	0.010	25	0.029
833	0.147	26	0.004
916	0.153	6	0.048
917	0.016	7	0.035
918	0.076	12	0.003
919	0.022	8	0.035
921	0.027	13	0.007
922	0.004	14	0.104
229	0.023	115	0.033
228	0.117	21	0.042
233	0.050	116	0.005
232	0.020	18	0.089
230	0.004	अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	4.862
231	0.182		
346	0.071	ब-म. प्र. शासन की भूमि	
57	0.063	301	0.017
58	0.059	349	0.010
60	0.019	ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.027
59	0.012	अ + ब का योग . .	4.889
61	0.136		
63	0.097	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 11 एवं 12 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.	
62	0.031		
53	0.126		
51	0.009	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	
50	0.091		
49	0.019		
48	0.121		
47	0.038	पत्र क्र. 1173-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन	
46	0.144		
45	0.334		

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मनगवां
- (ग) ग्राम—दुअरा-272
- (घ) क्षेत्रफल —0.002 हेक्टेयर.

खसरा नं अर्जित रकबा  
(हे. में)

(1)	(2)
-----	-----

#### अ-निजी पट्टे की भूमि

1	0.002
---	-------

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.002

#### ब-म. प्र. शासन की भूमि

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ + ब का योग . . 0.002

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1175-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता हैः—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मनगवां

- (ग) ग्राम—डिलहा-243
- (घ) क्षेत्रफल —0.310 हेक्टेयर.

खसरा नं.

अर्जित रकबा  
(हे. में)

(1)	(2)
-----	-----

#### अ-निजी पट्टे की भूमि

14	0.070
----	-------

15	0.005
----	-------

35	0.046
----	-------

34	0.018
----	-------

33	0.021
----	-------

36	0.008
----	-------

37	0.091
----	-------

45	0.029
----	-------

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.288

#### ब-म. प्र. शासन की भूमि

46	0.022
----	-------

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.022

अ + ब का योग . . 0.310

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1177-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मनगवां

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—कोलहा-108		(ख) तहसील—मनगवां
(घ) क्षेत्रफल —0.579 हेक्टेयर.		(ग) ग्राम—दुआरा-275
खसरा नं.	अर्जित रकबा	(घ) क्षेत्रफल —0.057 हेक्टेयर.
	(हे. में)	
(1)	(2)	
<b>अ-निजी पट्टे की भूमि</b>		
47	0.022	
48	0.139	109 0.019
72	0.137	113 0.038
73	0.001	
32	0.066	
31	0.056	
80	0.052	
79	0.001	
82	0.105	
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.579</u>	
<b>ब-म. प्र. शासन की भूमि</b>		
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>	
अ + ब का योग . .	<u>0.579</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1179-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगवां	अर्जित रकबा
(ग) ग्राम—दुआरा-275	(हे. में)
(घ) क्षेत्रफल —0.057 हेक्टेयर.	
खसरा नं.	अर्जित रकबा
	(हे. में)
(1)	(2)
<b>अ-निजी पट्टे की भूमि</b>	
109 0.019	
113 0.038	
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>0.057</u>
<b>ब-म. प्र. शासन की भूमि</b>	
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.000</u>
अ + ब का योग . .	<u>0.057</u>
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत चंदेह माइनर क्र. 12” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।	
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।	
पत्र क्र. 1181-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	
<b>अनुसूची</b>	
(1) भूमि का वर्णन—	
(क) जिला—रीवा	
(ख) तहसील—मनगवां	
(ग) ग्राम—रजहा-488	
(घ) क्षेत्रफल —1.550 हेक्टेयर.	
खसरा नं.	अर्जित रकबा
	(हे. में)
(1)	(2)
<b>अ-निजी पट्टे की भूमि</b>	
120	0.222

(1)	(2)	(ग) ग्राम—मिसिरगवां-850 (घ) क्षेत्रफल — 0.685 हेक्टेयर.
119	0.077	खसरा नं.
115	0.080	अर्जित रकमा (हे. में)
114	0.157	(1)
93	0.064	(2)
91	0.058	अ-निजी पट्टे की भूमि
90	0.078	208 0.010
89	0.095	231 0.066
88	0.137	232 0.049
87	0.097	238 0.110
86	0.071	260 0.022
79	0.233	257 0.013
78	0.087	258 0.003
77	0.061	256 0.036
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	<u>1.517</u>	263 0.002

**ब-म. प्र. शासन की भूमि**

81	0.033	255 0.054
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	<u>0.033</u>	265 0.048
अ + ब का योग . .	<u>1.550</u>	266 0.005

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडापुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1183-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्वर्चवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

**अनुसूची**

- (1) भूमि का वर्णन—  
(क) जिला—रीवा  
(ख) तहसील—मऊगंज

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.685

**ब-म. प्र. शासन की भूमि**

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000  
अ + ब का योग . . 0.685

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“डगडापुर वितरक के माइनर क्र. 1” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

पत्र क्र. 1185-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—मऊगंज
- (ग) ग्राम—करोंदहा-104
- (घ) क्षेत्रफल —0.640 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकम (हे. में)
----------	-------------------------

(1)	(2)
-----	-----

#### अ-निजी पट्टे की भूमि

69	0.091
72	0.073
75	0.013
74	0.068
85	0.040
60	0.005
92	0.069
93	0.032
91	0.007
94	0.056
98	0.050
97	0.010
96	0.010
8	0.109
7	0.007

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.640

#### ब-म. प्र. शासन की भूमि

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000  
अ + ब का योग . . 0.640

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 1” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1187-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
- (ख) तहसील—नईगढ़ी
- (ग) ग्राम—भटिगांव-770
- (घ) क्षेत्रफल —0.099 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकम (हे. में)
----------	-------------------------

(1)	(2)
-----	-----

#### अ-निजी पट्टे की भूमि

126	0.099
-----	-------

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 0.099

#### ब-म. प्र. शासन की भूमि

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ + ब का योग . . 0.099

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—“बहुती नहर के अन्तर्गत डगडगपुर माइनर क्र. 8” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश	(1)	(2)	(3)	(4)			
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	1094	0.000	0.091	0.091			
अलीराजपुर, दिनांक 7 जुलाई 2017	1093/3	0.000	0.076	0.076			
क्र. 1827-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (01) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (04) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—	1062	0.000	0.524	0.524			
अनुसूची	1060	0.000	0.291	0.291			
(1) भूमि का वर्णन—	1059	0.000	0.080	0.080			
(क) जिला—अलीराजपुर	1057	0.000	0.578	0.578			
(ख) तहसील—जोबट	1055	0.000	0.100	0.100			
(ग) ग्राम—चमारबेगड़ा	1052	0.392	0.000	0.392			
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	1051	0.000	0.202	0.202			
(2) सिंचित असिंचित कुल रकबा	1049	0.000	0.093	0.093			
2.877 8.957 11.834	1048	0.000	0.570	0.570			
(1) खसरा क्रं.	(2) सिंचित	(3) असिंचित	(4) कुल रकबा	177/1	0.000	0.415	0.415
1137	0.000	0.259	0.259	176	0.000	0.251	0.251
1136	0.000	0.323	0.323	175	0.000	0.070	0.070
1133	0.000	0.107	0.107	170	0.000	0.104	0.104
1131	0.000	0.395	0.395	169	0.000	0.488	0.488
1129	0.000	0.185	0.185	168	0.000	0.148	0.148
1127	0.000	0.192	0.192	167	0.000	0.383	0.383
1126	0.000	0.112	0.112	166	0.000	0.429	0.429
1123/1	0.131	0.000	0.131	99/2	0.000	0.043	0.043
1122	0.230	0.000	0.230	1047	0.000	0.013	0.013
1121/1	0.000	0.090	0.090	1011	0.000	0.024	0.024
1120	0.000	0.011	0.011	1053	0.570	0.000	0.570
1108/1	0.200	0.000	0.200	1056	0.000	0.125	0.125
1107/1	0.110	0.000	0.110	1061	0.000	0.281	0.281
1106/1	0.000	0.340	0.340	1100	0.023	0.000	0.023
1104	0.043	0.000	0.043	1109	0.000	0.013	0.013
1103	0.416	0.000	0.416	1128	0.000	0.025	0.025
1102	0.372	0.000	0.372	1130	0.000	0.001	0.001

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
1132	0.000	0.004	0.004	945/4	0.390	0.000	0.390
1134	0.000	0.002	0.002	945/3	0.350	0.000	0.350
1121/2	0.000	0.280	0.280	945/2	0.340	0.000	0.340
1108/2	0.080	0.000	0.080	945/1	0.330	0.000	0.330
1107/2	0.310	0.000	0.310	953	0.180	0.000	0.180
1106/2	0.000	0.320	0.320	940	0.015	0.000	0.015
योग ..	<u>2.877</u>	<u>8.957</u>	<u>11.834</u>	937	0.000	0.370	0.370

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाइन कार्य हेतु”.	935/2	0.054	0.000	0.054
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़दोरा तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण), पश्चिम रेलवे छोटाउदयपुर-धार के कार्यालय में किया जा सकता है.	934	0.582	0.000	0.582
	933	0.647	0.000	0.647
	932	0.699	0.000	0.699
	931	0.639	0.000	0.639
	930	0.048	0.000	0.048

क्र. 1829-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (01) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (04) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—अलोराजपुर
- (ख) तहसील—जोबट
- (ग) ग्राम—बलदमूंग
- (घ) अर्जित रकबा—हेक्टेयर.

#### अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

संचित	असंचित	कुल रकबा	
8.912	1.277	10.189	

(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
खसरा क्रं.	संचित	असंचित	कुल रकबा				
952	0.498	0.000	0.498	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाइन कार्य हेतु”.			
950	0.350	0.000	0.350	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़दोरा तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण), पश्चिम रेलवे छोटाउदयपुर-धार के कार्यालय में किया जा सकता है.			
949	0.200	0.000	0.200				
948	0.280	0.000	0.280				
947	0.000	0.280	0.280				
946	0.000	0.100	0.100	प्र. क्र. 1831-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (01) में			

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (04) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

	(1)	(2)	(3)	(4)
610/3	0.064	0.000	0.064	0.064
610/2	0.034	0.000	0.034	0.034
609	0.377	0.000	0.377	0.377

### अनुसूची

#### (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अलीराजपुर	543/2	0.017	0.000	0.017
(ख) तहसील—जोबट	542	0.000	0.407	0.407
(ग) ग्राम—खेरवा	541	0.124	0.000	0.124
(घ) अर्जित रकबा—हेक्टर.	526	0.000	0.047	0.047

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

525/2	0.000	0.100	0.100
525/1	0.000	0.001	0.001

संचित	असंचित	कुल रकबा		
6.177	2.212	8.389	524	0.000
(1)	(2)	(3)	(4)	
523		0.311	0.000	0.311
522		0.000	0.421	0.421

खसरा क्रं.	संचित	असंचित	कुल रकबा	521	0.000	0.218	0.218	
684/1	0.028	0.000	0.028	519/2	0.000	0.083	0.083	
683	0.011	0.000	0.011	517	0.016	0.000	0.016	
682/3	0.225	0.000	0.225	511	0.000	0.011	0.011	
682/2	0.031	0.000	0.031	510	0.000	0.471	0.471	
682/1	0.060	0.000	0.060	490	0.000	0.166	0.166	
681	0.119	0.000	0.119	489/1	0.000	0.005	0.005	
679	0.285	0.000	0.285	509	0.335	0.000	0.335	
677/2	0.177	0.000	0.177	508	0.200	0.000	0.200	
638	0.301	0.000	0.301	613	0.446	0.000	0.446	
635	0.000	0.031	0.031	516	0.000	0.002	0.002	
631	0.032	0.000	0.032	546	0.002	0.000	0.002	
628/2	0.367	0.000	0.367	678	0.001	0.000	0.001	
628/1/1	0.160	0.000	0.160	कुल योग . .	6.177	2.212	8.389	
628/1/2	0.250	0.000	0.250	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—“छोटाउदयपुर-धार नई बड़ी रेलवे लाईन कार्य हेतु”.			
628/1/3	0.058	0.000	0.058	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़दोरा तथा कार्यपालन इंजीनियर (निर्माण), पश्चिम रेलवे छोटाउदयपुर-धार के कार्यालय में किया जा सकता है.			
627	0.264	0.000	0.264					
626	0.554	0.000	0.554					
625	0.062	0.000	0.062					
614	0.260	0.000	0.260					
686	0.004	0.000	0.004					
612	0.003	0.000	0.003					
611	0.870	0.000	0.870					
610/4	0.048	0.000	0.048					

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
गणेश शंकर मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं**  
**उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर**

Bhopal, the 4th July, 2017

No. 848-Confdl.-2017-II-15-36-99.—In continuation of Hon'ble the High Court Order No. 813-Confdl-2017, dated 22 June 2017 regarding training, the Judicial Officers who are under orders of transfer to Labour Judiciary, are also directed to attend the two days' Workshop on—Labour Laws scheduled to be held on 21 July 2017 & 22 July 2017 at Madhya pradesh State Judicial Academy, Jabalpur.

No. 851-Confdl.-2017-II-2-1-2017.—Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of M. P., Jabalpur is conducting foundation Course (Seconded Phase) for the District Judges (Entry Level) directly appointed from the Bar from 24 July 2017 to 05 August 2017 in the Academy, Judges, whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course.

Bhopal, the 6th July, 2017

No. 859-Confdl.-2017-II-2-1-2017.—Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of M. P., Jabalpur is conducting Orientation/Sensitization Programme on Adoption Laws/ Rules/Regulations/Procedures for the Judges of District Judiciary as well as Judges of Family Courts dealing with adoption cases on 15 July 2017 in the Academy. Judges, whose names and posting figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid Course.

Bhopal, the 7th July, 2017

No. 879-Confdl.-2017-II-2-5-2017.—The Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of M. P., Jabalpur is conducting two days' Workshop for Panel Lawyers on 18th July 2017 & 19th July 2017 in the BRBRAITT, Cantonment Board, Ridge Road, South Civil Lines, Jabalpur.

For the aforesaid purpose, Panel Lawyers whose names are shown as per list "A" annexed with this order, will participate in the Workshop on aforesaid dates from 11.00 AM to 5.00 PM, as per the following terms and conditions:—

1. The nominated Panel Lawyers shall have to report at 10.30 AM sharp on 18 July 2017 at BRBRAITT, Cantonment Board Ridge Road, South Civil Lines, Jabalpur.
2. The nominated Panel Lawyers are directed to appear soberly dressed (i. e. white shirt and

grey-black striped/white/black trousers in case of men and white saree and blouse in case of women).

3. Nominated Panel Lawyers are expected to bring law books (bare Acts of those enactments which are included in the programme).
4. The training programme will be conducted in BRBRAITT, Cantonment Board, Ridge Road, South Civil Lines, Jabalpur.
5. During the training programme, breakfast, working lunch and tea twice with light snacks and dinner shall be served.
6. On successful completion of the programme, MPSJA shall provide "Certificate of participation" to the participants.

**ANNEXURE—"A"**

**MADHYA PRADESH STATE JUDICIAL ACADEMY  
HIGH COURT OF M. P. JABALPUR  
WORKSHOP FOR THE PANEL LAWYERS**

DATE : 18th & 19th July, 2017

No. (1)	Name (2)	District (3)
1	Shri Masood Akhtar Qureshi	Alirajpur
2	Shri Rajesh Baghela	Alirajpur
3	Shri Jagdish Prasad Pande	Anuppur
4	Shri Chandrakant Patel	Anuppur
5	Shri Rammurti Singh Chouhan	Ashoknagar
6	Smt. Asha Patba	Ashoknagar
7	Shri R. P. Singh	Balaghat
8	Shri M. R. Bhondekar	Balaghat
9	Shri Sanjay Gupta	Barwani
10	Shri Anuj Jain	Barwani
11	Shri Punjabrao Pawar	Betul
12	Shri Jibrail Khan	Betul
13	Shri Vinod Kumar Dixit	Bhind
14	Smt. Anita Choudhari	Bhind
15	Shri Badriprasad Yadav	Bhopal
16	Shri Jitendra Singh Solanki	Bhopal
17	Shri Yogesh B. Lodhe	Burhanpur
18	Shri Vijay Kumar Medhe	Burhanpur
19	Shri Omprakash Patel	Chatarpur

(1)	(2)	(3)
20	Shri Prakash Babu Pande	Chhatarpur
21	Shri Brijlal Verma	Chhindwara
22	Ku. Priyanka Agarwal	Chhindwara
23	Shri Shyam Bihari Khare	Damoh
24	Shri Satya Kumar Tiwari	Damoh
25	Shri Saleem Khan	Datia
26	Shri Hariom Gupta	Datia
27	Shri Trilok Patidar	Dewas
28	Shri Vijay Rathor	Dewas
29	Shri Mohan Pathak	Dhar
30	Shri Ashwini Kumar Joshi	Dhar
31	Shri Prahlad Yadav	Dindori
32	Shri Ramendra Tiwari	Dindori
33	Shri Majhar Alam	Guna
34	Shri Ganeshram Shaqya	Guna
35	Shri B. K. Shivhare	Gwalior
36	Smt. Anuradha Vyas	Gwalior
37	Shri Deepak Kumar Khare	Harda
38	Shri Rishi Kumar Pare	Harda
39	Shri Neeraj Patel	Hoshangabad
40	Shri Hanumant Singh Thakur	Hoshangabad
41	Shri Munish Shrivastava	Indore
42	Shri Ajay Kumar Jain	Indore
43	Ku. Mamta Gupta	Jabalpur
44	Shri Amit Kumar Sahu	Jabalpur
45	Shri Manish Kanungo	Jhabua
46	Shri Prateek Mehta	Jhabua
47	Smt. Meena Singh Baghel	Katni
48	Shri Rajkumari Bakshi	Katni
49	Shri Shilendra Kalme	Khandwa
50	Shri Chetan Gohar	Khandwa

No. 884-Confdl.-2017-II-2-1-2017.—Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of M. P., Jabalpur is conducting Advance/Orientation Course (Second Batch) for the District Judges (Entry Level) promoted in the year 2017 from 31 July 2017 to 05 August 2017 in the Academy. Judges, whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid Course.

By order of Hon'ble the Chief Justice,  
MOHD. FAHIM ANWAR, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 6 जुलाई 2017

क्र. B-3678-दो-3-48-2003.—श्री जी. एस. दुबे, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 5 से 16 जून 2017 तक बारह दिवस के ग्रीष्मकालीन अवकाश के

साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2017 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. B-3680-दो-3-34-2014.—श्री अनिल वर्मा, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), इंदौर को दिनांक 4 से 13 जून 2017 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एच.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2017 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 20 जून 2017 के अनुसार प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 1 जून 2017

क्र. B-3552-दो-2-4-2013.—श्री आर. के. जोशी, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 6 से 10 जून 2017 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 जून 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. जोशी, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 6 जुलाई 2017

क्र. E-4880-दो-2-26-2012.—श्री हरिशंकर वैश्य, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, गुना को दिनांक 19 से 21 मई 2017 तक तीन दिन के अर्जित अवकाश के अनुक्रम में

दिनांक 22 से 27 मई 2017 तक छः दिन का तथा दिनांक 12 से 16 जून 2017 तक पांच दिन का ग्रीष्मकालीय अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 मई 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री हरिशंकर वैश्य, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरिशंकर वैश्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-4882-दो-2-37-2017.—श्री राकेश कुमार सिंह, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2013 से 31 अक्टूबर 2015 तक दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए 30 दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. E-4884-दो-2-19-2013.—श्री आर. के. एस. गौतम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड़, खण्डवा को दिनांक 9 से 14 जून 2017 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपयोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. E-4886-दो-2-14-2013.—श्री व्ही. के. दुबे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 3 से 10 जून 2017 तक के ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपयोग करने के कारण वर्ष 2015 से वर्ष 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक) दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. E-4888-दो-2-50-2010.—श्री योगेश कुमार सोनगरिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 11 से 21 मई 2017 तक ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 22 मई 2017 से 3 जून 2017 तक तेरह दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 मई 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 जून 2017 के

सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री योगेश कुमार सोनगरिया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित/ग्रीष्मकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री योगेश कुमार सोनगरिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-4890-दो-2-20-2007.—श्री बी. एस. जमरा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को दिनांक 22 मई 2017 से 3 जून 2017 तक तेरह दिवस के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 4 से 10 जून 2017 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 जून 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. एस. जमरा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एस. जमरा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-4892-दो-2-17-2016.—श्री एन. पी. सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 19 से 21 जून 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एन. पी. सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. पी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-4894-दो-2-35-2006.—श्री आर. के. दुबे, सेवानिवृत्त प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को कुटुंब न्यायालय से दिनांक 23 मई 2017 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 1 सितम्बर 2015 से दिनांक 23 मई 2017 तक लगभग 20 माह की अवधि के लिए पात्रतानुसार 23 दिवस (तेरेस

दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 5 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

**क्र. B-3698-दो-2-64-2016.**—श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट को दिनांक 10 से 12 जुलाई 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री उमेश कुमार गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उमेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

**क्र. E-4896-दो-2-3-15-2003.**—श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को दिनांक 17 से 24 जून 2017 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 एवं 26 जून 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

**क्र. B-3700-दो-3-420-80- भाग-बारह.**—श्री जगदीश प्रसाद माहेश्वरी, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बुरहानपुर को कुटुम्ब न्यायालय से दिनांक 20 सितम्बर 2016 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 12 जून 2015 से दिनांक 20 सितम्बर 2016 तक लगभग 14 माह की अवधि के लिए उनके अवकाश लेखा में संचित अवकाश में से 17 दिवस (सत्रह दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15

जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 5-5-2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 7 जुलाई 2017

**क्र. B-3715-दो-2-33-2017.**—डॉ. जे. सी. सुनहरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को दिनांक 15 से 21 मई 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में 14 मई 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर डॉ. जे. सी. सुनहरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. जे. सी. सुनहरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

**क्र. E-4898-दो-2-26-2016.**—श्रीमती लक्ष्मी शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रत्लाम को दिनांक 23 से 29 मई 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती लक्ष्मी शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रत्लाम पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती लक्ष्मी शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

जबलपुर दिनांक 11 जुलाई 2017

**क्र. B-3803-दो-2-6-2016.**—श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को दिनांक 21 से 27 जुलाई 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आलोक कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक कुमार वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-5025-दो-3-420-80 भाग-बारह.—श्री योगेश कुमार सोनगरिया, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रत्लाम को उनके सेवानिवृत्त दिनांक 28 फरवरी 2017 को रजिस्ट्री आदेश क्रमांक ई-2825, दिनांक 12 अप्रैल 2017 के द्वारा उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 232 दिवस (दो सौ बत्तीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उपरोक्त आदेश के अनुक्रम में श्री सोनगरिया के अवकाश लेखे में दिनांक 28 फरवरी 2017 को शेष बचे 02 दिवस (दो दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति और प्रदान की जाती है।

क्र. E-5018-दो-2-56-2016.—श्री पी. एन. सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रीवा को दिनांक 13 से 14 अक्टूबर 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 से दिनांक 22 अक्टूबर 2017 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एन. सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एन. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-5020-दो-3-420-80- भाग-बारह.—श्री आर. के.एस. गौतम, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को उनके सेवानिवृत्त दिनांक 30 जून 2017 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 210 दिवस (दो सौ दस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

### गणना-पत्रक

- श्री आर.के.एस. गौतम, सेवानिवृत्त : 13-12-1985 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा का नियुक्ति दिनांक.
- सेवानिवृत्त दिनांक : 30-06-2017
- नियुक्ति दिनांक 13-12-1985 से : 01 वर्ष 02 माह दिनांक 09-03-1987 तक 26 दिन कुल सेवा अवधि.

- दिनांक 10-03-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक 30 वर्ष, 03 माह, 20 दिन। कुल सेवा अवधि.
- कालम (3) में अंकित 1x15=15 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).
- कालम (4) में अंकित 30=15x15=225 दिन अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).
- कुल अर्जित अवकाश 240 दिन समर्पण की पात्रता.
- घटाइये:—सेवा के दौरान 30 दिन लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.
- सेवानिवृत्ति पर अर्जित 210 दिन अवकाश समर्पण की पात्रता.

**नोट:**—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

क्र. E-5022-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री एस. जे. रणदिवे, सेवा निवृत्त प्रधान न्यायाधीश (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुंब न्यायालय, बुरहानपुर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2016 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे अवकाश में से 240 दिवस (दो सौ चालीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

### गणना-पत्रक

1. श्री एस. जे. रणदिवे, सेवानिवृत्त : 19-12-1983 प्रधान न्यायाधीश, (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), कुटुंब न्यायालय, बुरहानपुर का नियुक्ति दिनांक.
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 30-11-2016
3. नियुक्ति दिनांक 19-12-1983 से : 03 वर्ष 03 माह दिनांक 09-03-1987 तक 20 दिन कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 10-03-1987 से : 29 वर्ष, 08 माह, 20 दिन. सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
5. कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).
6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण 1×7=7 दिन अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).
7. कुल अर्जित अवकाश : 262 दिन समर्पण की पात्रता.
8. घटाइये:—सेवा के दौरान : 15 दिन लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 240 दिन अवकाश समर्पण की पात्रता.

**नोट:**—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

क्र. E-5027-दो-3-420-80-भाग-बारह.—श्री पी. सी. शर्मा, सेवा निवृत्ति जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को उनके सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मई 2017 को उनके अवकाश लेखे में शेष बचे 136 दिवस (एक सौ छत्तीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक 1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती हैं।

### गणना-पत्रक

1. श्री पी. सी. शर्मा, सेवानिवृत्ति जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी का नियुक्ति दिनांक : 03-11-1987
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 31-05-2017
3. नियुक्ति दिनांक . . . . से : लागू नहीं दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि.
4. दिनांक 03-11-1987 से : 29 वर्ष, 06 माह, 27 दिन. सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि.
5. कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से).
6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण 1×7=7 दिन अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से).
7. कुल अर्जित अवकाश : 217 दिन समर्पण की पात्रता.
8. घटाइये:—सेवा के दौरान : निरंक लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ.
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित : 217 दिन अवकाश समर्पण की पात्रता.

**नोट.—** मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (1) एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 के अनुसार दिनांक 1 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

क्र. E-5029-दो-2-47-2010.—श्री आर. एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंडला को दिनांक 30 जून 2017 से 1 जुलाई 2017 तक दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 जुलाई 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. पटेल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मंडला को मंडला पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. पटेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,  
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार,

जबलपुर, दिनांक 4 जुलाई 2017

क्र. 844-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री दिनेश कुमार नायक, तत्कालीन उच्चतर न्यायाधीक सेवा के सदस्य एवं सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर, वर्तमान में Member, M. P. Real State Regulatory Authority, Bhopal को, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3(1)6-2014-21-ब(एक) 1787, दिनांक 29 मई 2017 के द्वारा उनकी सेवाएं मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय को लौटाये जाने एवं श्री नायक को दिनांक 31 जनवरी 2017 से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान किये जाने के कारण उन्हें दिनांक 31 जनवरी 2017 पूर्वान्ह से औपचारिक रूप से कार्योत्तर स्वीकृति के आधार पर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, जबलपुर के पद पर पदस्थ करता है। श्री दिनेश कुमार नायक के सेवानिवृत्ति स्वत्वों का निराकरण जिला न्यायालय, जबलपुर के मद से किया जावेगा।

जबलपुर, दिनांक 6 जुलाई 2017

क्र. 861-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरति कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है। साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

#### सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा	बुरहानपुर	रीवा	रीवा	सिविल जिला, रीवा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में।
2	श्री शिव बदन वर्मा	पन्ना	बुरहानपुर	बुरहानपुर	सिविल जिला, बुरहानपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री जोगेन्द्र कुमार वर्मा के स्थान पर।

**टिप्पणी:**—आदेश क्रमांक 817/गोपनीय-2017, दिनांक 23 जून 2017, जहां तक इसका संबंध श्री रहस बिहारी गुप्ता, तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी का सीधी से रीवा स्थानांतरण से है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

क्र. 862-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अधीन एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तत्संबंधी स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट विशेष न्यायाधीश की हैसियत से तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा.-1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 26 अक्टूबर 1995, अधिसूचना क्रमांक फा. 1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 19 फरवरी 1997 एवं क्रमांक 1-2-90-इक्कीस-अ(एक), दिनांक 7 मई 1999, क्रमांक फा.-1-2-90-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 4 मई 2007 तथा अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 1-2-90 इक्कीस-ब(एक) 1511/2016, दिनांक 16 मई 2016 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 की संख्या 33) की धारा 14 के अधीन विनिर्दिष्ट सारणी के तत्संबंधी स्तम्भ (7) में निर्दिष्ट विशेष न्यायालय/अनन्य विशेष न्यायालय में पीठासीन अधिकारी के रूप में पदस्थ एवं नियुक्त करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 की संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये अपर सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है:—

### सारणी

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय के संदर्भ में टिप्पणी	विशेष न्यायालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	श्री अमिताभ मिश्र	उज्जैन	पन्ना	पन्ना	पीठासीन अधिकारी, विशेष न्यायालय की हैसियत से श्री शिव बदन वर्मा के स्थान पर.	पन्ना

क्र. 863-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017-(भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्टस् एक्ट, 1958 की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में दर्शित उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को उनके समक्ष स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान पर स्थानांतरित कर, उक्त न्यायिक अधिकारी के समक्ष स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 9 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

### सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्रीमती कुमुदिनी पटेल	नागदा	भोपाल	भोपाल	अठारहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.

### टिप्पणी:—

- (1) श्रीमती कुमुदिनी पटेल, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नागदा जिला उज्जैन का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर किया गया है, साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि श्रीमती पटेल को उनके पूर्व के स्थानांतरण भोपाल से नागदा हेतु परिवहन भत्ता (Transportation allowance) की भी पात्रता नहीं होगी।

क्र. 865-गोपनीय-2017-दो-3-1-2017-(भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को उसी हैसियत में स्थानांतरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश को उनके नाम के समक्ष स्तम्भ (5) में अंकित जिले में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:—

### सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री तपेश कुमार दुबे	इंदौर	खण्डवा	खण्डवा	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री विवेक शर्मा के स्थान पर.
2	श्री संतोष कुमार गुप्ता, पीठासीन अधिकारी, ब्रह्म न्यायालय, ग्वालियर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	ग्वालियर	शिवपुरी	शिवपुरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री शशि भूषण शर्मा के स्थान पर.
3	श्रीमती दीपिका मालवीय	सीतामऊ	सतना	सतना	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री राकेश कुमार गोयल के स्थान पर.
4	श्री प्रदीप राठौर	भोपाल	सीहोर	सीहोर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री नवीन कुमार शर्मा के स्थान पर.
5	श्रीमती निशा विश्वकर्मा	ब्यौहारी	कटनी	कटनी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्रीमती कविता वर्मा के स्थान पर.
6	श्री राम गोपाल प्रजापति	खाचरौद	शहडोल	शहडोल	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री सुनील कुमार मिश्रा के स्थान पर.
7	श्री आशीष टांकले	खुरई	धार	धार	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से डॉ. श्रीमती शुभ्रा सिंह के स्थान पर.
8	श्री राम सिंह कनौजिया	शहडोल	डिण्डौरी	डिण्डौरी	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री संजय गोयल के स्थान पर.
9	श्रीमती प्रीति सिंह	जबलपुर	शाजापुर	शाजापुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी के स्थान पर.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	श्री चन्द्र किशोर बारपेटे	होशंगाबाद	उज्जैन	उज्जैन	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री संजय कुमार सिंह के स्थान पर।
11	श्री राजजी लाल ताम्रकार	लखनादौन	बालाघाट	बालाघाट	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री सुजीत कुमार सिंह के स्थान पर।
12	श्री ओम प्रकाश बोहरा	भोपाल	अलीराजपुर	अलीराजपुर	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी की हैसियत से श्री राधवेन्द्र सिंह चौहान के स्थान पर।

क्र. 866-गोपनीय-2017-दो-3-1-2017-(भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 तथा न्यायिक दण्डाधिकारी/प्रथम श्रेणी को उसी हैसियत से स्थानान्तरित कर उनके नाम के समक्ष अंकित स्थान एवं पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है:—

### सारणी

क्रमांक	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री आदेश कुमार मालवीय	सीतामऊ	सतना	सतना	चंचल व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 कि हैसियत से रिक्त न्यायालय में।

### टिप्पणी:—

- (1) श्रीमती अशीष टांकले, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, खुरई जिला सागर का स्थानान्तरण स्वयं के व्यय पर किया है।

क्र. 868-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017-(भाग-बी).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 एवं मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट्स् एक्ट, 1958(19 सन् 1958) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) को जिन्हें विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. क्रमांक 3(ए) 01-2017-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 21 जून 2017 द्वारा पदोन्नति पर मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद स्थानापन रूप में कार्य करने लिए अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है एवं जिनके नाम निम्न सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लेखित है, स्तम्भ (2) में उल्लेखित उनकी वर्तमान पदस्थापना के स्थान से स्थानान्तरित कर उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में वर्णित स्थान पर पदस्थ करता है एवं उन्हें निम्न सारणी के स्तम्भ (5) में दर्शित अपर जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है एवं निर्देश देता है कि वे निम्न सारणी के स्तम्भ (6) में दर्शाये गये स्थान पर, आगामी आदेश होने तक बैठेंगे।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्न अधिकारी को उनके नाम के समक्ष निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिए सत्र न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अपर सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है:—

## सारणी

क्रमांक	अधिकारी का नाम व पदनाम	वर्तमान पदस्थापना का स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान	सत्र खण्ड का नाम	न्यायालय का नाम जिसके अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त एवं पदस्थ	न्यायालय में बैठने का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	श्री नवीन कुमार शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सीहोर.	सीहोर	सीहोर	सीहोर	पदोन्नति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	सीहोर
2	श्री शशिभूषण शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, शिवपुरी.	शिवपुरी	शिवपुरी	शिवपुरी	पदोन्नति पर पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	शिवपुरी
3	श्री संजय गोयल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, डिण्डौरी.	डिण्डौरी	पिछोर	शिवपुरी	पदोन्नति पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पिछोर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, पिछोर जिला शिवपुरी की हैसियत से.	पिछोर
4	श्रीमती सुरेखा मिश्रा, सोलहवें व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, भोपाल.	भोपाल	भोपाल	भोपाल	पदोन्नति पर सत्रहवें अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.	भोपाल
5	श्री विवेक शर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, खण्डवा.	खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा	पदोन्नति पर चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	खण्डवा
6	श्री राकेश कुमार गोयल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सतना.	सतना	सतना	सतना	पदोन्नति पर पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	सतना
7	श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, अलीराजपुर.	अलीराजपुर	इंदौर	इंदौर	पदोन्नति पर अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-5 विद्युत अधिनियम, इंदौर कि हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	इंदौर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	श्री सुनील कुमार मिश्रा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, शहडोल.	शहडोल	जबलपुर	जबलपुर	पदोन्ति पर अष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	जबलपुर
9	श्री योगेन्द्र कुमार त्यागी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, शाजापुर.	शाजापुर	शाजापुर	शाजापुर	पदोन्ति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	शाजापुर
10	श्री संजय कुमार सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, उज्जैन.	उज्जैन	उज्जैन	उज्जैन	पदोन्ति पर चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	उज्जैन
11	डॉ. श्रीमती शुभा सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, धार.	धार	धार	धार	पदोन्ति पर पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	धार
12	श्री अनील कुमार पाठक, ओ.एस.डी., मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, (ए.सी.जे.एम.), जबलपुर.	जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर	पदोन्ति पर सप्तम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	जबलपुर
13	श्रीमती कविता वर्मा, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, कटनी.	कटनी	कटनी	कटनी	पदोन्ति पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	कटनी
14	श्री सुरोत कुमार सिंह, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बालाघाट.	बालाघाट	देवसर	सिंगरौली	पदोन्ति पर द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की हैसियत से नवनिर्मित न्यायालय में.	देवसर

**टिप्पणी:-**

- (1) श्री संजय गोयल, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-1 एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, डिण्डौरी का स्थानान्तरण स्वयं के व्यय पर किया गया है।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
मो. फहीम अनबर, रजिस्ट्रार जनरल।

जबलपुर, दिनांक 1 जुलाई 2017

क्र. 839-गोपनीय-2017-दो-3-64-2017.—उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश कुमारी बिंदिया दुबे, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, डिण्डौरी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश, डिण्डौरी का विवाह उपरांत नाम परिवर्तन “श्रीमती बिंदिया पाठक” पति श्री देवकुमार पाठक करने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करता है उनके संबंधित प्रपत्रों में उनका परिवर्तित नाम अंकित किया जावे।

Jabalpur, the 6th July, 2017

No. 876-Confdl.-2017-II-15-36-99.—In continuation of Hon'ble the High Court Order No. 813-Confdl-2017, dated 22 June 2017 nomination of Shri Vijay Kumar Bohre, the then Presiding Officer Labour Corut, are (now retired) made at S.No.5 (10) for attending the two days' Workshop on—Labour Laws scheduled to be held on 21st July 2017 & 22 July 2017 at Madhya pradesh State Judicial Academy, Jabalpur is hereby, recalled.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,  
मो. फहीम अनबर, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 10 जुलाई 2017

#### शुद्धि पत्र

क्र. 882-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-बी).—रजिस्ट्री आदेश क्रमांक 868-गोपनीय-2017-दो-2-1-2017 (भाग-बी), दिनांक 6 जुलाई, 2017 की सारणी के सरल क्रमांक 7 पर उल्लेखित श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान के नाम के समक्ष स्तम्भ-5 में अंकित “पदोन्नति पर अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-5 विद्युत अधिनियम, इंदौर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में” के स्थान पर “पदोन्नति पर अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय क्रमांक-7 विद्युत अधिनियम, इंदौर की हैसियत से रिक्त न्यायालय” में पढ़ा जावे।

मो. फहीम अनबर, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 21 जून 2017

क्र. 335-स्था.सैट-2017.— श्री नितिन धगट, अनुभाग अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) जबलपुर को दिनांक 6 से 16 जून 17 तक कुल ग्यारह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाति है।

अवकाश काल में श्री धगट को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे।

उक्त अवकाश से लौटने पर श्री नितिन धगट को अस्थाई रूप से उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) जबलपुर में अनुभाग अधिकारी के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नितिन धगट अवकाश पर नहीं जाते तो अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्य करते रहते चूंकि अवकाश पर गये हैं अतः अवधि दिनांक 6 से 16 जून 2017 को मूलभूत नियम 26 (ब) (2) के अनुसार वेतन वृद्धि के लिए गिनी जावेगी।

आदेशानुसार,  
चन्द्रेश कुमार खरे, रजिस्ट्रार (प्रशासन)

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 जून 2017

फा.क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक)-2288-2017.—प्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49 की) धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, और इस विभाग की अधिसूचना फा. क्र. 1-1-88-इक्कीस-ब (एक) 1488-2016 दिनांक 12-5-2017 अधिसूचना फा. क्र. 1-5-96 इक्कीस-ब (एक) 2868-2016, दिनांक 30 अगस्त 2016 तथा अधिसूचना फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक) 2995-2015, दिनांक 16 नवम्बर 2015 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सेशन न्यायाधीशों को उसके कॉलम (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुख्यालय के लिए उसके कालम (4) में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 3 उपधारा (1) खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट

अपराधों के संबंध में तथा दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का सं. 25) के अधीन अन्वेषण किये गये अन्य समस्त अन्य अपराधों के संबंध में मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायाधीश के रूप नियुक्त करता है, अर्थात्:—

### सारणी

अनुक्रमांक (1)	न्यायाधीश का नाम (2)	मुख्यालय (3)	विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार (4)
1	श्रीमती माया विश्वलाल, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, सागर, दमोह, सिवनी, छिंदवाड़ा, रीवा, सतना, पन्ना, सीधी, बालाघाट, शहडोल, कटनी, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर एवं सिंगरौली.
2	श्री पंकज सिंह माहेश्वरी, षष्ठम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इंदौर.	इंदौर	इंदौर, धार, रतलाम, झाबुआ, मंदसौर, मण्डलेश्वर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, खंडवा, नीमच, बड़वानी, अलीराजपुर एवं बुरहानपुर.

F. No. 1-5-96-XXI-B(one)-2288-2017.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), and quashing this departments notification F. No. 1-1-88/21-B(1) 1488-2017, dated 12th May, 2017 and in supersession of this departments notification F. No. 1-5-96-XXI-B(one) 2868-2016, dated 30 August 2016 and notification F. No. 1-5-96-XXI-B(One) 2995-2015, dated 16 November 2015, the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Additional Sessions Judges specified in column (2) of the Table below to be the Special Judge with the head quarter specified in the corresponding entry in column (3) thereof for the areas comprising in column (4) thereof to try the cases relating to the offences specified in clauses (a) and (b) of sub-section (1) of Section 3 of the said Act and all other offences investigated under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946) by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation, namely:—

### TABLE

S. No. (1)	Name of Judge (2)	Head Quarter (3)	Jurisdiction of special court (4)
1	Smt. Maya Vishwala, IVth Additional Sessions Judge, Jabalpur.	Jabalpur	Jabalpur, Narsinghpur, Mandla, Sagar, Damoh, Seoni, Chhindwara, Rewa, Satna, Panna, Sidhi, Balaghat, Shahdol, Katni, Dindori, Umaria, Anuppur, and Singrauli.
2	Shri Pankaj Singh Maheshwari, VIth Additional Sessions Judge, Indore.	Indore	Indore, Dhar, Ratlam, Jhabua, Mandsaur, Mandleshwar, Ujjain, Dewas, Shajapur, Khandwa, Neemuch, Badwani, Alirajpur and Burhanpur..

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. वाणी, सचिव,

जबलपुर, दिनांक 6 जुलाई 2017

क्र. B-3708-तीन-6-4-81-भाग-छ:—मध्यप्रदेश डैकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981, (अधिनियम क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को, प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर एतद्वारा, अपनी अधिसूचना क्रमांक ई-3057-तीन-6-4-81, भाग-पांच, दिनांक 19 अप्रैल 2017 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

### संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में अनुक्रमांक (1) तथा उससे संबंधित स्तंभ (2) में वर्णित वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जावें :—

#### अनुसूची

क्र.	अधिकारी का नाम एवं पदनाम विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में	क्षेत्र जिसके लिए विशेष न्यायाधीश की नियुक्ति की गई	शासन द्वारा निर्मित स्पेशल कोर्ट का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री रविन्द्र सिंह, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर.	ग्वालियर सेशन खंड के अधीन पुलिस थाना मुरार, झांसी रोड, कम्पू, जनकगांव, गोला का मंदिर, बहोड़पुर महिला थाना पड़ाव, जी. आर.पी. (बी.जी., एन.जी.) आर.पी.एफ.	विशेष न्यायालय, ग्वालियर

No. B-3708-III-6-4- 81-Pt-VI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of the Section (6) of Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981 (Act No. 36 of 1981) the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur hereby makes the following amendment in its Notification No. E-3057-III-6-4-81-Pt-V dated 19th April, 2017, namely :—

#### AMENDMENT

In the Schedule of the said Notification in Serial No. (1) for the existing entries in Column No. (2), the following entries shall be substituted :—

#### SCHEDULE

S. No	Name & Designation of the Presiding Officer appointed in the Special Court	Area for which the appointment made in Special Court	Name of the Special Court established by the State Government.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Shri Ravinder Singh, IIInd Additional Sessions Judge, Gwalior	Police Station Murar, Jhansi Road, Kampoo, Janakganj, Gola Ka Mandir, Bahodpur Mahila Thana Padav, GRP (BG, NG) RPF under Sessions Division Gwalior.	Special Court, Gwalior

विवेक सक्सेना, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (डी. ई.).